

CNR-UPME010134812025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.-12, मेरठ

पीठासीन अधिकारी: (जयवीर सिंह नागर), (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP2704

सत्र परीक्षण सं.- 752/2025

सत्र वाद सं.- 1365/2025

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन

बनाम

1. अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह, उम्र-22 वर्ष, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात,
थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ

2. श्रीमती रविता पत्नी अमित, उम्र-25 वर्ष निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात,
थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ

.....अभियुक्तगण

अपराध संख्या-67/2025

धारा-103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस.

थाना- बहसूमा, जनपद मेरठ

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से

...विद्वान ए.डी.जी.सी. सुश्री फरजाना मकसूद

वादी मुकदमा की ओर से

....विद्वान अधिवक्ता श्री बलराज सिंह

अभियुक्तगण की ओर से

..विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह भाटी

घटना की तिथि व समय	दिनांक 12.04.2025, अदम समय
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	दिनांक 16.04.2025 समय 21.30 बजे
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 20.06.2025
आरोप विरचित करने की तिथि	दिनांक 29.09.2025
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 09.10.2025
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक 24.09.2026

निर्णय की तिथि	दिनांक 07.10.2026
दण्डादेश की तिथि यदि कोई हो	दिनांक 16.10.2026

क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश	धारा
1.	अमरदीप	17.04.25	17.11.25	103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस.	दोषसिद्ध		
2.	रविता	17.04.25	Nil	103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस.	दोषसिद्ध		

अभियोजन/बचाव/अदालत के गवाहों की सूची

अ- अभियोजन के गवाह

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी अन्य)
पी.डब्लू.1	मोनू कश्यप	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.2	श्रीमती मुनेश	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.3	कृष्ण	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.4	प्रीतम नाथ	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.5	उप.निरीक्षक पंकज गौतम	पंचायतनामा साक्षी
पी.डब्लू.6	कां. कर्क रामप्रवेश	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी.डब्लू.7	डाक्टर कपिल गर्ग	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी.डब्लू.8	उप.निरीक्षक इन्दु वर्मा	विवेचनाधिकारी
पी.डब्लू.9	शुभम शर्मा, नोडल अधिकारी वोडाफोन, आईडिया लिमिटेड	सी.डी.आर. एवं कैफ के साक्षी
पी.डब्लू.10	लोकेश कुमार, अल्टरनेट नोडल अधिकारी जीयो इन्फोकॉम लिमिटेड	सी.डी.आर. एवं कैफ के साक्षी
पी.डब्लू.11	सुखपाल	तथ्य साक्षी
पी.डब्लू.12	पिन्टू	तथ्य साक्षी

ब- बचाव पक्ष के गवाह

अभियोजन साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी अन्य)
-----------------------	-----	--

डी.डब्लू.1	इन्द्रपाल	तथ्य साक्षी
डी.डब्लू.2	रविन्द्र	तथ्य साक्षी
डी.डब्लू.3	गौरव	तथ्य साक्षी

स- न्यायालय साक्षी यदि कोई हो

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी अन्य)

अभियोजन/बचाव/अदालत के प्रदर्शों की सूची

6. अभियोजन की ओर से निम्न अभिलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया तथा साबित किया गया है-

क्रमांक	अभियोजन साक्ष्य	कागज संख्या	साक्षी	प्रदर्श
1.	तहरीर	4 अ/4	पी.डब्लू.1	क-1
2.	पंचायतनामा	7 अ/1 ता 2	पी.डब्लू.5	क-2
3.	चिठ्ठी आर.आई.	7 अ/4	पी.डब्लू.5	क-3
4.	चिठ्ठी सी.एम.ओ.	7 अ/5	पी.डब्लू.5	क-4
5.	फोटोनाश	7 अ/6	पी.डब्लू.5	क-5
6.	पुलिस फॉर्म -33	7 अ/7	पी.डब्लू.5	क-6
7.	चालाननाश	7 अ/8	पी.डब्लू.5	क-7
8.	नमूना मोहर	7 अ/9	पी.डब्लू.5	क-8
9.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	4 अ/1 ता 3	पी.डब्लू.6	क-9
10.	जी.डी. संख्या-75 दिनांकित 16.04.25	5 अ/7	पी.डब्लू.6	क-10
11.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	7 अ/10 ता 19	पी.डब्लू.	क-11
12.	जी.डी.संख्या-27 दिनांकित 29.04.2025	5 अ/11	पी.डब्लू.8	क-12
13.	नक्शानजरी	6 अ/1	पी.डब्लू.8	क-13
14.	गिरफ्तारी प्रपत्र (अमरदीप)	8 अ/1	पी.डब्लू.8	क-14

15.	गिरफ्तारी प्रपत्र (रविता)	8 अ/2	पी.डब्लू.8	क-15
16.	सी.डी.आर. व कैफ आई.डी. के लिये प्रार्थना पत्र	10 अ/1	पी.डब्लू.8	क-16
17.	मोबाईल नं.7818078778 की स्मार्ट रिपोर्ट एवं सी.डी.आर.	10 अ/2 ता 35	पी.डब्लू.8	क-17
18.	मोबाईल नं.7819026020 की स्मार्ट रिपोर्ट एवं सी.डी.आर.	10 अ/36 ता 48	पी.डब्लू.8	क-18
19.	मोबाईल नं.6399606027 की स्मार्ट रिपोर्ट एवं सी.डी.आर.	10 अ/49 ता 60	पी.डब्लू.8	क-19
20.	कैफ आई.डी. मोबाई नं. 7818078778	10 अ/61	पी.डब्लू.8	क-20
21.	कैफ आई.डी. मोबाई नं. 7819026020	10 अ/63	पी.डब्लू.8	क-21
22.	मोबाईल नं.6399606027 अमरदीप ई.के.वाई.सी. प्रार्थना पत्र	10 अ/65	पी.डब्लू.8	क-22
23.	आरोप पत्र	3 अ/1 ता 7	पी.डब्लू.8	क-23
24.	एस.सी.मेरठ को प्रेषित पत्र दिनांकित 17.02.26	39 क/2	पी.डब्लू.9	क-24
25.	कैफ मोबाईल नं. 6399606027	39 क/3	पी.डब्लू.9	क-25
26.	कैफ मोबाईल नं. 6399563491	39 क/5	पी.डब्लू.9	क-26
27.	प्रमाण पत्र धारा-63(4) सी भारतीय साक्ष्य अधि.	39 क/7	पी.डब्लू.9	क-27
28.	प्रमाण पत्र धारा-63(4) सी भारतीय साक्ष्य अधि.	39 क/8	पी.डब्लू.9	क-28
29.	सी.डी.आर. मोबाईल नं.6399606027	39 क/11 ता 104	पी.डब्लू.9	क-29
30.	एस.सी.मेरठ को प्रेषित पत्र दिनांकित 10.12.25	30 क/2	पी.डब्लू.10	क-30

31.	प्रमाण पत्र धारा-63(4) सी भारतीय साक्ष्य अधि.	30 क/3	पी.डब्लू.10	क-31
32.	कैफ मोबाईल नं. 7818078778	30 क/4	पी.डब्लू.10	क-32
33.	कैफ मोबाईल नं. 7819026020	30 क/11	पी.डब्लू.10	क-33
34.	सी.डी.आर. मोबाईल नं. 7818078778	30 क/18 ता 30 क/327	पी.डब्लू.10	क-34
35.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट	35 क/2		क-35

भौतिक साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ब- बचाव प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

स- न्यायाल प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

निर्णय

1. अभियुक्तगण अमरदीप व श्रीमती रविता समीर का विचारण अपराध संख्या-67/2025, अन्तर्गत धारा-103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस., थाना-बहसूमा, जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श-23 के आधार पर किया गया।
2. संक्षेप में तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी मोनू कश्यप पुत्र विजयपाल कश्यप निवासी ग्राम अकबरपुर सादात थाना बहसूमा जनपद (मेरठ) का रहने वाला है, मेरे छोटे

भाई अमित कश्यप कि पत्नि रविता के मेरे ही गांव के अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह से काफी दिनों से अवैध सम्बन्ध है। जिस कारण मेरे छोटे भाई अमित व उसकी पत्नि रविता में आये दिन विवाद होता रहता था। दिनांक 12.04.25 को भी दोनों में अमरदीप को लेकर विवाद हुआ था। रात को दोनों अपने ही घर में सोये थे। दिनांक 13.04.25 की सुबह मेरा भाई अमित कश्यप चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। जब मैंने रजाई हटा कर देखा तो मेरे भाई के बगल में जिन्दा साँप पड़ा हुआ था। जब मैंने अमित को पास से देखा तो उसके गले व चेहरे पर चोट के निशान थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे छोटे भाई अमित की हत्या उसकी पत्नि रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर कर दी है। अब मैं अपने परिजनो के साथ अपने भाई के क्रिया कर्म से निवृत्त होकर थाना पर आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना- बहसूमा, जनपद मेरठ पर दिनांक 16.04.2025 को समय 21.30 बजे, अभियुक्तगण अमरदीप व श्रीमती रविता के विरुद्ध अपराध संख्या-67/2025, अन्तर्गत धारा-103(1), 238 बी.एन.एस. के तहत पंजीकृत किया गया। जिसका खुलासा जी.डी. संख्या-75, दिनांकित 16.04.2025 को समय-21.30 बजे किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना की गयी और विवेचना के उपरान्त पुलिस थाना बहसूमा के द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण अमरदीप व श्रीमती रविता के विरुद्ध अपराध संख्या 67/2025, अन्तर्गत धारा 103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस., थाना बहसूमा, जनपद मेरठ के तहत आरोप पत्र प्रदर्श क-23 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आरोप पत्र पर संज्ञान के उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को सत्र विचारणीय पाते हुए सत्र सुपुर्द किया गया, जो

कि माननीय सत्र न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. सत्र परीक्षण संख्या-752/2025, सत्र वाद संख्या-1365/2025, अपराध संख्या- 67/2025 में अभियुक्तगण अमरदीप व श्रीमती रविता के विरुद्ध दिनांक 29.09.2025 को अन्तर्गत धारा 103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस., में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-12, मेरठ द्वारा आरोप विचरित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है-

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी अन्य)
पी.डब्लू.1	मोनू कश्यप	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.2	श्रीमती मुनेश	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.3	कृष्ण	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.4	प्रीतम नाथ	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.5	उप.निरीक्षक पंकज गौतम	पंचायतनामा साक्षी
पी.डब्लू.6	कां. कर्क रामप्रवेश	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी.डब्लू.7	डाक्टर कपिल गर्ग	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी.डब्लू.8	उप.निरीक्षक इन्दु वर्मा	विवेचनाधिकारी
पी.डब्लू.9	शुभम शर्मा, नोडल अधिकारी वोडाफोन, आईडिया लिमिटेड	सी.डी.आर. एवं कैफ के साक्षी
पी.डब्लू.10	लोकेश कुमार, अल्टरनेट नोडल अधिकारी जीयो इन्फोकॉम लिमिटेड	सी.डी.आर. एवं कैफ के साक्षी
पी.डब्लू.11	सुखपाल	तथ्य साक्षी
पी.डब्लू.12	पिन्टू	तथ्य साक्षी

इसके अतिरिक्त और कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया। विद्वान ए.डी.जी.सी. के आदेश पत्र पर इस अंकन की साक्ष्य पूर्ण हुआ, अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन साक्ष्य

7. पी.डब्लू. 1 साक्षी मोनू कश्यप ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि थाने से कागज आया था, जब मैं न्यायालय में आया हूँ। मैं सातवी कक्षा तक पढ़ा-लिखा हूँ। मेरा छोटा भाई अमित कश्यप टाईल्स पत्थर का काम करता था। मेरे भाई की शादी रविता के साथ हुई थी। मुल्जिम अमरदीप, मेरे भाई का दोस्त था और उसी के साथ टाईल्स पत्थर का काम करता था। अमरदीप का मेरे भाई अमित के घर पर आना-जाना था। मुल्जिम अमरदीप का मेरे छोटे भाई अमित की पत्नी रविता के साथ अवैध संबंध था। मैंने मुल्जिम अमरदीप को रविता के साथ बाजार आते-जाते देखा था और ये लोग फोन पर बात करते थे, गांव वाले भी इस बात को जानते थे। जब मेरे भाई अमित को यह बात पता चली और इस बात का विरोध किया, तो दिनांक 20.03.2025 को अमरदीप और उसके भाई ने मेरे भाई अमित की खूब पिटाई की थी। पुलिस को बुलाया था पुलिस आई थी। मेरे भाई की डाक्टरी हस्तिनापुर, सरकारी अस्पताल में हुई थी, फिर गांव वालों ने फैसला कर दिया था। क्या फैसला हुआ था, मेरे पापा को पता है। इसी चीज को लेकर मेरे भाई अमित का उसकी पत्नी रविता के बीच अक्सर लड़ाई-झगडा होता रहता था। जिस दिन अमित की लाश चारपाई पर मिली थी, उससे एक-दो दिन पहले रविता, अमित के साथ हरिद्वार की तरफ देवी मन्दिर पर प्रसाद चढ़ाने गई थी और एक दिन पहले शाम को ही वापस आयी थी। दिनांक 13.04.2025 की सुबह जब मेरा भाई चारपाई पर से नहीं उठा, तो मैं उसके घर गया और उसको उठाया, रजाई हटायी तो उसकी बगल में जिन्दा सांप बैठा हुआ था। मैं सांप को देखकर

डर गया था। फिर सपेरा को बुलाया गया, और उस सांप को डिब्बे में बन्द कर लिया गया। मेरे भाई अमित के चेहरे व गर्दन पर काफी चोटें थी, खून नहीं बह रहा था, लाल-लाल निशान पड़े थे। हम अपने भाई को ईलाज के लिये प्यारे लाल अस्पताल, मेरठ लेकर आये। वहाँ डाक्टर ने देखा और बताया कि इसे सांप ने नहीं कांटा है, इसे किसी ने मारा है। फिर डाक्टर ने हमसे कहाँ कि सांप दिखाओ कहाँ है। मैं सांप को डिब्बे में अपने साथ लेकर गया था, और डाक्टर को सांप को दिखाया तो डाक्टर ने कहा कि यह सांप काटने वाला नहीं है। फिर डाक्टर साहब ने पुलिस को अस्पताल में बुलवाया। फिर अस्पताल में लाश को पर्ची लगाकर फ्रीज में रख दिया था। फिर पुलिस आ गई थी। फिर पुलिसवालो ने पंचनामा लिखा। फिर मेरे भाई की लाश का पोस्टमार्टम करवाया। मेरे मृतक भाई की पत्नी ने मुझसे कहा कि पोस्टमार्टम मत करवाना वरना तुम्हारे खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवायी जायेगी। फिर हमने पोस्टमार्टम करवाया। मेरे भाई की हत्या रविता व अमरदीप ने मारा। रविता व अमरदीप के अवैध संबंध थे, और इन दोनों ने ही मेरे भाई का मार डाला। मैंने रविता व अमरदीप को अपने भाई को मारते नहीं देखा। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने घटना की तहरीर अपने ताऊ के लडके सन्दीप से लिखवायी थी, मैंने जो बोला था, वहीं उसने लिखा था। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0 4 अ/4 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर करके थाने पर दिया था. इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-1 अंकित किया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 16 पेजों की विस्तृत जिरह की गयी।

8. पी.डब्लू.2 साक्षी श्रीमती मुनेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मेरे पति विजयपाल को फालिस पड़ी है, जिस कारण वे चल नहीं पाते और घर पर ही चारपाई पर लेटे रहते हैं। मेरे बेटे का नाम अमित था,

जो अमरदीप के साथ टाईल्स पत्थर का काम करता था, इसलिये अमरदीप का हमारे घर पर आना जाना था। अमित की पत्नी का नाम रविता है। अमित के तीन बच्चे हैं। अमरदीप का घर हमारे घर से 400-500 कदम की दूरी पर है। अमित की पत्नी रविता का अमरदीप से प्रेम संबंध हो गये थे, जिस कारण अमरदीप को लेकर अमित और रविता में कहासुनी होती रहती थी। हमने कई बार अमरदीप व रविता को काफी समझाया कि तुम दोनों मत मिला करो, घर खराब हो जायेगा, लेकिन नहीं माने। जिस रात अमित की मृत्यु हुई थी, उस दिन मैं अमरदीप और रविता शाकुम्बरी मन्दिर प्रसाद चढ़ाने गये थे, जब रविता मन्दिर से वापस आयी तो अमित और रविता का झगड़ा हुआ था। रात को 3-4 बजे के करीब जब मैं उठी तो जब जानवरो का चारा कर रही थी तो मुझे अमरदीप अमित के घर में दिखायी दिया। मैंने उसे अमित के घर आते देखा था। मैंने अमरदीप को इसलिये नहीं टोका कि अमरदीप अमित के पास किसी काम से गया होगा। उसके बाद अमरदीप को अमित के घर से जाते देखा। सुबह होने पर रविता ने छोटे लड़के के हाथ अमित का चाय पराठा देने भेजा, जब अनिकेत चाय पराठा लेकर अमित के पास गया और उसे आवाज दी तथा अमित के ऊपर से उसने रजाई हटाई, उसने देखा कि अमित की बगल सांप था। मेरे पोते ने शोर मचाया तो उसने बताया कि मेरे पापा की बगल में सांप है। इस सूचना पर मैं अमित के पास गयी तो देखा कि उसके गले पर चोट के निशान थे और अमित की बगल में सांप बैठा हुआ था। शोर शराबे की आवाज पर आसपास के लोग आ गये थे। ज्यादातर लोग गांव के सुबह के समय खेतों पर गेहूँ काटने गये हुए थे, इसलिये रोले-रुक्के पर दो-चार लोग ही आ पाये थे और परिवार वाले भी गेहूँ काटने गये हुए थे। मेरा बेटा मोनू व परिवार वाले आ गये थे। गाँव के किसी आदमी ने सपेरे को बुला लिया था। सपेरे ने साँप को पकड़ लिया था। हम अमित को लेकर प्यारे लाल अस्पताल आये और डाक्टर को दिखाया तो डाक्टर ने कहा कि इसको साँप ने नहीं काटा है, इसको मारा गया है। वहाँ पुलिस आ गयी थी। डाक्टर ने कहा मर गया है, उसके बाद मैं सदमे में

एक तरफ बैठ गयी थी, फिर वहाँ से पुलिस ने मेरे लड़के को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था। फिर हमने अंतिम संस्कार किया था। मेरे बेटे की हत्या अमरदीप व रविता ने गला घोटकर की है। इस मुकदमे में रिपोर्ट करने के बाद अमरदीप को व रविता को पकड़ लिया था। मेरे से पुलिसवालों ने पूछताछ की थी। घटना से आज तक छः-साढ़े छः माह पहले की है। मैंने घटना से एक माह पहले अमरदीप व रविता को अमित के घर में नग्न अवस्था में देखा था और एक-दो बार मैंने चूमा-चामी करते हुए भी देखा था। जब मैंने दोनों को नग्न अवस्था में देखा था तो अमित ने इस बात का विरोध किया था। इस बात पर अमरदीप व उसके भाई ने अमित के साथ मारपीट की थी। बात थाने तक पहुँच गयी थी। थाने वालों ने अमित की डाक्टरी करायी थी, लेकिन गांव के प्रधान, गांव के कुछ लोगों ने समझौता करा दिया था कि बहू-बेटी की बात है, नाम गंदा हो जायेगा। अमित के काम पर जाने के बाद अमरदीप रविता से मिलने उसके घर पर आ जाता था। कई बार मैंने टोका कि गैर आदमी का आना सही नहीं है। इस पर अमरदीप व रविता ने मुझे धमकी दी। जब अनिकेत मेरे पास ये बताने आया था कि माँ पापा के बगल में साँप बैठा है तो मेरे से पहले अमित के पास मोनू आ गया था और मोनू ने अमित को उठाया, उसकी रजाई हटायी तो उसके पास साँप बैठा था। इस घटना की रिपोर्ट मोनू ने करायी थी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 19 पेजों की विस्तृत जिरह की गयी।

9. पी.डब्लू.3 साक्षी कृष्ण ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं अनपढ़ हूँ। हस्ताक्षर कर लेता हूँ। कोर्ट से समन गया था, तब मैं आया हूँ। मजदूरी करता हूँ। हमारा कुनबा पीढ़ियों से साँप पकड़ने का काम करता है। मैं भी पकड़ता हूँ। जब किसी का फोन आता है तो उसके घर से साँप पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं। लोग इसके बदले आटा-चून दे देते हैं, वहीं ले लेता हूँ। अमरदीप आज से लगभग सात महीने पहले मेरे घर आया

था और कहा कि जागरण के लिये साँप मांगा, घोड़ा पछाड़। तब मेरे नाना जी ने एक साँप जो पकड़ा था, उसे जंगल में छोड़ने जा रहे थे तो थैले में रखकर अमरदीप को दे दिया था और कहा था कि पूजा के बाद मुझे वापस कर देना। अपनी मर्जी से हजार रुपये अमरदीप ने दिया था। मुझे अमरदीप ने साँप वापस नहीं किया। मुझसे साँप पूजा के लिये कहकर ले गया था। इसके बाद मुझे पता नहीं चला कि साँप का क्या किया। घोड़ा पछाड़ साँप काटने से आदमी मरता नहीं है। दरोगा जी ने आज से लगभग सात-साढ़े सात माह पहले मेरे बयान घर पर लिया था। गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्त अमरदीप की पहचान की और कहा कि इसी को मैंने साँप दिया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 3 पेजों की विस्तृत जिरह की गयी।

10. पी.डब्लू.4 साक्षी प्रीतम नाथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि कोर्ट से समन गया था, इसलिये आज गवाही देने आया हूँ। मैं सपेरा जाति का हूँ और गाँव के आसपास साँप पकड़ने का काम करता हूँ। जब मैं किसी के घर साँप पकड़ने जाता हूँ तो लोग आटा-दाल दे देते हैं, इसी से गुजारा चल रहा है। कृष्णा मेरा धेवता है, यह भी जिस गाँव में मैं रहता हूँ, वही रहता है। आज से 6-7 माह पहले कृष्ण मुझसे एक घोड़ा-पछाड़ साँप ले गया था, उसने कहा था कि जागरण में किसी को देना है। मैं उसको वह साँप दे दिया था। घोड़ा-पछाड़ साँप काटता नहीं है, उसके काटने से कोई मरता नहीं है। पुलिसवालों ने मुझसे पूछताछ की थी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

11. पी.डब्लू.-5 साक्षी उप.निरीक्षक पंकज गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 13.04.2025 को थाना बहसूमा पर बतौर एस. आई तैनात था। उस दिन मैं थानाध्यक्ष के आदेश मिलने पर मृतक अमित कुमार पुत्र विजय पाल, निवासी- अकबरपुर सादात थाना बहसूमा

जिला मेरठ का पंचायतनामा भरने हेतु समय लगभग 12.50 बजे पी. एल. शर्मा अस्पताल मेरठ पंचायतनामा व दिगर कागजात लेकर गया, जहाँ मेरे द्वारा मृतक अमित कुमार की पंचायतनामें संबंधी कार्यवाही शुरू की गयी तथा पंचान नियुक्त कर उनकी राय जानी गयी। मेरे द्वारा मृतक अमित कुमार का पंचायतनामा दिनांक 13.04.2025 को समय 2.00 बजे भरना शुरू किया तथा लगभग 3.30 बजे पंचायतनामे से संबंधित कार्यवाही पूर्ण की गयी। शव को पंचायतनामा भरने के बाद सील सर्वे मोहर किया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा कागज सं० 7 अ/1 व संबंधित कागजात, चिड़ी आर, आई. कागज सं० 7 अ/4., चिड़ी सी.एम.ओ. 7 अ/5, फोटो लाश 7 अ/6, चालान नाश (फॉर्म 33) कागज सं० 7 अ/7 व 7 अ/8, नमूना मोहर कागज सं० 7 अ/9 को देखकर कहा कि यह वही पंचायतनामा व संबंधित कागजात है जो मृतक अमित कुमार के शव के संबंध में मेरे द्वारा तैयार किये गये थे, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इन सभी पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इनकी शिनाख्त करता हूँ। पंचायतनामे पर प्रदर्श क-2, चिड़ी आर. आई. पर प्रदर्श क-4, फोटो नाश पर प्रदर्श क-5, चालान नाश (फॉर्म 33) पर प्रदर्श क-6 व 7, नमूना मोहर प्रदर्श क-8 डाला गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

12. पी.डब्लू.6 साक्षी कां क्लर्क रामप्रवेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं समन मिलने पर न्यायालय में आया हूँ। मैं थाना बहसूमा पर बतौर काँ० क्लर्क लगभग चार साल से तैनात हूँ। मोनू कश्यप के द्वारा तहरीर दी गयी थी, जिसमें एस.ओ. साहब द्वारा मुझे आदेशित किया गया था कि मुकदमा दर्ज करें। दिनांक 16.4.2025 को मैंने समय 21.23 बजे अपराध सं-67/25, अंतर्गत धारा--103 (1), 238,3 (5) BNS श्रीमति रविता के विरुद्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर लोकेश कुमार से बोल बोलकर

शब्दशः टाईप करायी थी। जिसका खुलासा मेरे द्वारा जी.डी. सं० 75 दिनांकित 16.04.2025 समय 21.30 बजे किया था। पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 4 अ/1 ता 3 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसे मैंने दर्ज कराया था, इसे मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-9 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 5 अ/7, जी.डी. सं० 75 को देखकर कहा कि यह वही जी.डी. है जिस पर मैंने अपराध सं० 67/25 का खुलासा किया था। गवाह ने शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क-10 साबित किया गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

13. पी.डब्लू.7 साक्षी डाक्टर कपिल गर्ग ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 13.04.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरधना पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन गृह मैडिकल कॉलेज में थी। उस दिन मृतक अमित कुमार पुत्र विजयपाल, निवासी-अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, मेरठ उम्र-लगभग 30 वर्ष, पुरुष, जिसे शव विच्छेदन हेतु सी.पी. 1622 अजय यादव लेकर आये थे, जिसकी शनाख्त मृतक के भाई मोनू व संदीप द्वारा की गयी थी। मेरे द्वारा दिनांक 13.04.2025 को मृतक अमित कुमार का शव विच्छेदन समय 05.45 पी.एम. पर शुरू किया गया तथा 06.30 पी.एम. पर समाप्त हुआ। दौरान शव-विच्छेदन मेरे द्वारा मृतक के पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी तथा चेहरे पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हल्का नीलापन था। दोनो आंखे बंद व कन्जस्टिड थी। मुँह बन्द था और दोनो हाथों के नाखून साईनोज थे। प्राकृतिक द्वार एन.ए.डी. था। मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटों का विवरण

एंटीमोर्टम इंजरी-

1. चोट नं.1 मल्टीपल खरोचे चेहरे व नाक के बायी ओर 3 x 2 सेमी. के एरिये में मौजूद थे।
2. चोट नं.2 दोनों होठों व दोनों ...ऑफ माउथ पर कई खरोचों के निशान थे।
3. चोट नं.3 गर्दन के दाहिनी 5 x 3 सेमी. के क्षेत्र में कई खरोचे थी।
4. चोट नं.4 बायी गर्दन पर 3 x 3 सेमी. के क्षेत्र में कई खरोचे थी।
5. चोट नं.5 दो पंचर्ज घाव, जिनका आकार .2 सेमी. की दूरी पर गर्दन के पीछे की ओर मौजूद थे। मृतक के शरीर नीला नहीं था, बल्कि चेहरा हल्का नीला था।

नोट- चोट नं.3 व 4 में अंकित गर्दन पर आयी चोटों को खोलने पर उनके नीचे सूजन व खून के धब्बे मौजूद थे। थाइराईड कार्टिलेज के दोनों सुपीरियर बोन व हायोईड बोन टूटी हुई थी। मृतक की गर्दन पर चोटे थी, इसलिए मृतक की गर्दन खोलनी पड़ी।

आन्तरिक परीक्षण-

दिमाग व दिमाग की झिल्लायों, खाने व स्वास की नली, दोनो फैफडे, प्लीहा, लीवर, दोनों गुर्दे सब कन्जस्टिड थे। हार्ट के चारो चैम्बर फुल थे। पेट खोलने पर पेट की दीवार कन्जस्टिड थी व लगभग उसमें 50 एम.एल. भूरे रंग का पदार्थ मौजूद था, जिसे हमने प्रयोगशाला हेतु भेज दिया था। मृत्यु का समय आधे से एक दिन था। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाने व नाक मुँह दबाने के कारण व दम घुटने से हुई है। मृतक की मृत्यु पूर्व गले की थायरॉइड कार्टिलेज व हायोईड बोन तब टूटती है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जबरदस्ती गला घोटता है। गला घोटने के कारण ही यह हड्डी टूटी है। मृतक के चेहरे पर जो चोटे आयी है, वह कोई दूसरा व्यक्ति नाक व मुँह दबाये, तब भी आ सकती है और मृतक के अपने बचाव करने में भी ऐसी चोटे आना संभव है। मृतक के शरीर पर कपडे लोवर और टी-शर्ट व अन्डरवीयर सील कर साथ आये कां. सिपाही को दे दिये थे तथा मृतक के शरीर से लिये गये बिसरा फोरेंसिक लैब में जाँच हेतु भेजे गये थे। बिसरा

को सील सर्वे मोहर कर साथ आये, सिपाही को दे दिये थे। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध शव-विच्छेदन रिपोर्ट कागज संख्या- 7 अ/10 ता 7 अ/14 को देखकर कहा कि यह वही शव विच्छेदन रिपोर्ट है, जो मेरे द्वारा दौरान शव विच्छेदन मृतक अमित कुमार तैयार की गयी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, इस पर प्रदर्श क-11 डाला गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

14. पी.डब्लू.8 उप.निरीक्षक इन्दु वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 16.04.2025 को थाना बहसूमा पर बतौर थाना अध्यक्ष तैनात थी। उस दिन मैंने इस मुकदमें की विवेचना ग्रहण की। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर, उसका अवलोकन किया गया। अवलोकन पोस्टमार्टम, एफ०आई०आर० लेखक कान्सटेबल रामप्रवेश के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये तथा वादी मुकदमा मोनू कश्यप के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये। मेरे द्वारा दिनांक 17.04.2025 को सी०डी० सं०-2 किता की गई, जिसमें मैं व हमराहीयान थाना हाजा से रवाना होकर, अभियुक्त अमरदीप के घर गये, जहाँ दबिश दी गई, अभियुक्त अमरदीप को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर मौजूद अभियुक्त के पिता सुन्दर को दी गई। तत्पश्चात अभियुक्त अमरदीप उपरोक्त के साथ रवाना होकर, अभियुक्ता श्रीमती रविता की तलाश के लिये वादी मुकदमा के मकान पर आये। जहाँ पर परिजन मौजूद थे। और रविता को गिरफ्तारी का कारण बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्ता के बताये अनुसार, अभियुक्ता की भाभी श्रीमती मानसी पत्नी रवि, निवासी ग्राम सैदपुरा, थाना तितावली, जिला मुजफ्फरनगर के मोबाईल नम्बर से दी गई। दोनों अभियुक्तगण को थाना हाजा पर लाकर अलग-अलग बिठाकर पूछताछ की

गई। अभियुक्त अमरदीप को हवालात मर्दाना के गेट पर बुलाकर बाहर कुर्सी डालकर विश्वास में लेकर पूछताछ की गई। तो अभियुक्त अमरदीप ने बताया ने बताया कि मैं ग्राम अकबरपुर सादात का रहने वाला हूँ। मैं और अमित टाईल्स पत्थर लगाने का कार्य करते थे। अमित मेरा दोस्त था। अमित के बुलाने पर मैं उसके घर आता-जाता था। इसी बीच 8-9 महीने मेरी अमित की पत्नी रविता से बातचीत शुरू हो गई, हम दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और मेरा अमित के घर आना-जाना बढ़ गया और हम दोनों के अवैध संबंध भी हो गये थे। इस बात की जानकारी अमित को हो गई थी। जिस वजह से अमित अपनी पत्नी के साथ लड़ाई-झगडा, गाली-गलौच करने लगा था। रविता मुझे सारी बातें बताती थी। यह सुनकर मुझे गुस्सा आता था। जिसकी वजह से मैंने 5-6 महीने पहले ही अमित के साथ काम करना बन्द कर दिया था। लेकिन मेरी व रविता की बातचीत व मिलना-जुलना चलता रहा। घटना से करीब आठ दिन पहले हमने अमित को मारने की योजना बना ली थी। दिनांक 12.04.2025 को रविता अपने पति व बच्चों के साथ शाकुम्भरी देवी दर्शन करने गई थी, जब वह लौट रही थी, तो रास्ते से ही रविता ने मुझे फोन कर दिया था कि सांप का इन्तजाम कर लेना। आज रात में ही हमें काम को अन्जाम देना है। तभी मैंने सांप का इन्तजाम करके सांप को एक थैले में बन्द करके, ग्राम अकबरपुर सादात नहर के किनारे रख दिया था। जब वह लोग वापस आ रहे थे, तो मैं बाईपास तिराहा कस्बा बहसूमा पर खड़ा था। अमित ने मुझे देख लिया था। इसी बात को लेकर अमित ने घर पर जाकर रविता के साथ झगडा किया। यह बात मुझे रविता ने फोन पर बतायी थी। रात में खाना खाने के बाद रात में नौ-साढ़े नौ बजे, जब अमित सौ गया तब रविता ने मुझे फोन करके बताया कि तुम सांप लेकर आ जाओ, अमित सौ गया है। अमित घर में ही कमरे के बाहर बरामदे में चारपाई पर सौ रहा था। रविता ने मुझसे कहा कि पहले गला दबाकर मार देते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले सांप को छोड़ा तो हो सकता है कि सांप पहले कहीं हमें ही ना काट ले। इसके बाद रविता ने अमित का मुँह दबाया

और मैं अमरदीप ने अमित का गला दबाकर, अमित को जान से मार दिया। इसके बाद अमित को थोड़ा उपर उठाकर उसकी पीठ ने नीचे, थैले का मुहें खोलकर सांप को छोड़ दिया जिससे सांप की पूछ अमित की कमर के नीचे तथा मुहें गर्दन के पास आ गया, जिससे कि देखने वालो को यह लगे के सांप ने ही अमित को डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद रविता ने मुझे घर भेज दिया और मैं घर आ गया। सुबह गांव में यह चर्चा थी कि अमित को सांप से डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। यही बात पूछताछ में रविता ने अपने बयान में भी यही बात बतायी तथा अभियुक्तगण ने एक-दूसरे की बात का समर्थन किया तथा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय में 14 दिवस रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-3 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्तगण से फिर उक्त संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें अमरदीप से सांप को किसके द्वारा लाया गया और कैसे खरीदा गया के बारे में पूछताछ की गई तो अमरदीप द्वारा बताया कि मैंने अमित की हत्या के मुकदमें से बचने के लिये, घटना को दूसरा रूप देने के लिये कृष्ण सपैरा से एक हजार रुपये में सांप लिया था। जिसको मैंने अमित की हत्या करने के बाद उसकी कमर के नीचे छोड़ दिया था। जिसका तस्करा मेरे द्वारा जी०डी० में किया गया व उसका अवलोकन कर उसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया। दिनांक 18.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-4 किता की गई, जिसमें सपैरा कृष्ण व सपैरा प्रीतमनाथ के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये। तथा सांप को पकड़ने वाले गवाह सपैरा सुखपाल व पिन्टू, जिसने अमित की कमर के नीचे से सांप को निकाला था, के बयान अंकित किये गये। व दोनों गवाहो पर धारा 190 बी०एन०एस०एस० के नोटिस की तामील करायी गई। तथा गवाह विजय कुमार, जिसने अपने बयानों में बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ, दिनांक 13.04.2025 को सुबह मेरे पास, मेरे दोस्त अरुण पुत्र अमीचन्द्र, कस्बा बहसूमा का फोन आया कि ग्राम अकबरपुर सादात में किसी को सांप ने काट लिया है तथा सांप अभी

चारपाई पर ही बैठा है, सांप को पकड़ने के लिये किसी सपैरे को भेज दो, तो अपने ही गांव के सपैरों को भेज दिया। इसके पश्चात मेरे द्वारा गवाह अरुण कुमार के बयान अंकित किये, जिसने विजय कुमार को फोन करके सपैरो को भेजने के बात कही थी। दिनांक 19.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-5 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा घटना स्थल के आसपास सी०सी०टी०वी० कैमरों की तलाश की गई तो घटना-स्थल के आसपास कोई कैमरा होना नहीं मिला। तत्पश्चात मेरे द्वारा गवाह अंकित, श्रीमती रेनू, श्रीमती मोनी, श्रीमती मुनेश के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये तथा इन पर नोटिस की तामील करायी गई। दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-6 किता की गई, जिसमें गवाह सन्दीप, गवाह राजू, गवाह सन्दीप पुत्र कृष्णपाल तथा गवाह धर्मपाल, गवाह राजकुमार के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये तथा नोटिस की तामील करायी। दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-7 किता की गई, जिसमें पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर, उसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया। तथा मेरे द्वारा अभियुक्ता रविता व अमरदीप के मोबाईलों की सी०डी०आर० प्राप्त कर उसका अवलोकन, उसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया। जिसमें दोनों अभियुक्तगण को आपस में बातें होना पाया गया। मोबाईल नम्बर 6399606027 व मोबाईल नम्बर 7818078678 का संदिग्ध होना पाया गया। जिसमें दोनों नम्बरों की आपस में दिनांक 12.04.2025 को समय 09:25 बजे से समय 22:34 बजे तक आठ बार वार्ता होना पाया गया व दिनांक 13.04.2025 को रात्रि 01:50 बजे भी वार्ता होना पाया गया व दोनों की लोकेशन भी ग्राम अकबरपुर सादात में होना पाया गया व मोबाईल नम्बर की कैफ आई०डी० के लिये सर्विलांस सैल को रिपोर्ट भेजी गई। दिनांक 29.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-8 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा गवाह विजयपाल व गवाह सोनू उर्फ सोहनवीर के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये व दोनों के नोटिस तामील कराये, तथा इसके पश्चात मेरे द्वारा उक्त मुकदमें धारा

3(5) बी०एन०एस० की वृद्धि की गई और उसका इन्द्राज जी०डी० में कराया गया। दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-9 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा धारा 103(1), 238/3(5) बी०एन०एस० में 14 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया। उसी दिन मेरे द्वारा सी०डी० सं०-10 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा धारा वृद्धि के संबंध में इन्द्राज सी०डी० व जी०डी० में किया गया। दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-11 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा पंचायतनामा भरने वाले एस०आई० पंकज गौतम व एस०आई० अभिषेक कुमार व कान्सटेबल अमन यादव व पंचायतनामें के गवाहान सतेन्द्र कश्यप, मिन्टरपाल के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये। दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-12 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था। उसकी प्राप्ति की रसीद मुझे प्राप्त हुई, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया और उसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया। दिनांक 09.05.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-13 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा डाक्टर अजय कुमार व डाक्टर कपिल गर्ग के बयान अंकित किये गये और उनका इन्द्राज सी०डी० में किया। दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-14 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा गवाह सूरज तंवर के बयान लिये और सी०डी० दर्ज किये। दिनांक 18.05.2025 को मेरे द्वारा सी०डी० सं०-15 किता की गई, जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बरों की कैफ आई०डी० व सी०डी०आर० प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर, उसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया। जिसमें मोबाईल नम्बर 7819026020 जो अमरदीप चला रहा था की कैफ आई०डी० मोनू कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी जागृति विहार, एल०एल०आर०एम० मैडिकल कॉलिज के नाम से पंजीकृत होनी पायी गई, जिसको अमरदीप के द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। जिसका अवलोकन कर, संलग्न सी०डी० किया गया। तथा मोबाईल नम्बर 6399606027 की सी०डी०आर० का अवलोकन किया गया, जिसमें अभियुक्ता रविता के

मोबाईल नम्बर 7818078778 का आपस में दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 13.04.2025 तक 180 बार वार्ता होनी पायी गई, जो अमरदीप पुत्र सुन्दर, निवासी अकबरपुर सादात के नाम की कैफ आई०डी० प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर सी०डी० में इन्द्राज किया गया। तथा माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला से ना आने के संबंध में रिपोर्ट भेजी गई, जिसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमें के संबंध में दिनांक 13.04.2025 को थाना देहलीगेट से हैड कान्सटेबल 2013 कृष्ण कान्त के द्वारा मोबाईल नम्बर 6398559221 से मीमो० सूचना अंकित करायी गई थी। जिसमें बताया कि जिला अस्पताल पी०एल० शर्मा, जिला चिकित्सालय मेरठ में अमित पुत्र विजयपाल, निवासी अकबरपुर सादात को घर पर सांप का काटना बताया है, जिसको उसके रिश्तेदार राजू पुत्र नगीना उपचार हेतु लाये हैं। जो मृत अवस्था में ई०ओ०पी०डी० में है, आवश्यक कार्यवाही करें। जिसकी सूचना पर मेरे द्वारा एस०आई० पंकज गौतम व अभिषेक कुमार, व कान्सटेबल अमन यादव को पंचायतनामा कार्यवाही हेतु थाना हाजा से रवाना किया गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 7 अ/3 को देखकर कहा कि यह वही जी०डी० है, जिसमें अमित कश्यप की मृत्यु की सूचना मुझे थाना बहसूमा पर मोबाईल द्वारा दी गई, जिसके आधार पर मेरे द्वारा मृतक का पंचायतनामा कराने हेतु उपनिरीक्षक व आरक्षी को रवाना किया गया, जो कि जी०डी० में अंकित किया। यह जी०डी० मेरे द्वारा दौरान विवेचना संलग्न की गई थी, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध तस्करा पूछताछ कागज सं० 5 अ/9 को देखकर कहा कि यह तस्करा पूछताछ मेरे द्वारा किया गया था, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध जी०डी० कागज सं० 5 अ/11 को देखकर कहा कि यह जी०डी० धारा बढोतरी हेतु मेरे द्वारा की गई, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-12 डाला गया। गवाह ने

पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 6 अ/1 को देखकर कहा कि यह नक्शा नजरी मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई थी, मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-13 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं० 8 अ/1 व 8 अ/2 को देखकर कहा कि यह गिरफ्तारी प्रपत्र मेरे द्वारा मौके पर तैयार किये गये थे, मेरे हस्तलेख में है, मैं इनकी शिनाख्त करती हूँ, जिन पर कमशः प्रदर्श क 14 व प्रदर्श क-15 डाले गये। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 10 अ/1 को देखकर कहा कि यह प्रपत्र मेरे द्वारा अभियुक्तगण अमरदीप व रविता के द्वारा प्रयोग किये जा रहे मोबाईल नम्बर की सी०डी०आर० निकलवाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इसकी असल विभाग को भेजी गई थी, यह उसी की छायाप्रति है। मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-16 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 10 अ/2 ता 10 अ/35 अभियुक्त रविता के मोबाईल नम्बर 7818078778 की सी०डी०आर० को देखकर कहा कि यह वही सी०डी०आर० है, जो मेरे द्वारा दौरान विवेचना प्राप्त कर, संलग्न सी०डी० की गई थी। मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-17 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध सी०डी०आर० कागज सं० 103/36 ता 10 अ/48 को देखकर कहा कि मोबाईल नम्बर 7819026020 की सी०डी०आर० दौरान विवेचना मेरे द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मोबाईल का प्रयोग अभियुक्त अमरदीप द्वारा ही किया जा रहा था, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-18 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 10 अ/49 ता 10 अ/60 को देखकर कहा कि यह मोबाईल नम्बर 6399606027 की सी०डी०आर० है, जो अमरदीप के नाम है, यह सी०डी०आर० मेरे द्वारा दौरान विवेचना प्राप्त कर, संलग्न सी०डी० की गई थी, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-19 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 10 अ/61 ता 10 अ/62 को देखकर

कहा कि यह कैफ आई०डी० अभियुक्ता रविता के मोबाईल नम्बर की है, जिसमें रविता का मोबाईल नम्बर 7818078778 है, को देखकर गवाह ने कहा कि यह कैफ आई०डी० मेरे द्वारा दौरान विवेचना संलग्न सी०डी० की गई थी, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-20 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 10 अ/63 ता 10 अ/64 को देखकर कहा कि यह कैफ रिपोर्ट मेरे द्वारा दौरान विवेचना प्राप्त संलग्न सी०डी० की गई थी, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-21 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कैफ आई०डी० कागज सं० 10 अ/65 को देखकर कहा कि यह कैफ आई०डी० अभियुक्त अमरदीप के मोबाईल नम्बर 6399606027 की है, जो मेरे द्वारा दौरान विवेचना संलग्न सी०डी० की गई, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-22 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 10 अ/66 ता 10 अ/67 को देखकर कहा कि यह प्रपत्र ई-साक्ष्य मोबाईल से संबंधित है, जो विजय शुक्ला द्वारा तैयार किया गया था, जो मेरे द्वारा दौरान विवेचना संलग्न की गई थी, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 11 अ/1 ता 11 अ/35 को देखकर कहा कि यह सभी प्रपत्र मेरे द्वारा दौरान विवेचना गवाहों के बयान लेने के उपरान्त उनको नोटिस तामील कराने के पश्चात संलग्न सी०डी० किये गये थे। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध मूल आरोप-पत्र कागज सं० 3 अ/1 ता 3 अ/7 को देखकर कहा कि यह वही आरोप-पत्र है, जो मेरे द्वारा अभियुक्त अमरदीप व रविता के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 103 (1), 238, 3(5) बी०एन०एस० में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क-23 डाला गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 9 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

15. पी.डब्ल्यू.9 साक्षी शुभम शर्मा नोडल अधिकारी वोडाफोन, आईडिया लिमिटेड ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुझे समन गया था, तब मैं आज न्यायालय में आया हूँ। एस०एस०पी० मेरठ के अनुरोध पर मेरे द्वारा मोबाईल नम्बर 6399606027 एवं 6399563491 की सी०डी०आर० एवं कैफ आई०डी० मेरे द्वारा अनुरोध पर दिनांक 17.02.2026 को डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा एस०एस०पी० मेरठ की मेल पर भेज दिया गया था। जहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, वहाँ पर हमारे हस्तलेख हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। मोबाईल नम्बर 6399606027 अमरदीप पुत्र सुन्दर, निवासी अकबरपुर सादात, तहसील मवाना, मेरठ के नाम पर है। मोबाईल नम्बर 6399563491 संजीव पुत्र कुवंरपाल, निवासी बिसौली, बदायूँ फैज गंज बहटा उत्तर प्रदेश के नाम से है। दोनो मोबाईल नम्बरों की सी०डी०आर० 01.02.2025 से 16.04.2025 तक मेरे द्वारा जारी की गई थी। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 39 क/2 दिनांकित 17.02.2026 को देखकर गवाह ने कहा कि यह पत्र मेरे द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करके एस०एस०पी० मेरठ को भेजा गया था। जिसकी शिनाख्त गवाह ने की, जिस पर प्रदर्श क-24 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 39 क/3 तथा 39 क/4 मोबाईल नम्बर 6399606027 की कैफ है, जिसे मेरे द्वारा डिजिटली हस्ताक्षर के अन्तर्गत जारी किया गया था, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-25 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 39 क/5 व 39 क/6 मोबाईल नम्बर 6399563491 की कैफ है, जिसे मेरे द्वारा डिजिटली हस्ताक्षर के अन्तर्गत जारी किया गया था, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-26 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 39 क/7 एवं 39 क/8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 4 सी० के अन्तर्गत जारी किया गया, कैफ एवं सी०डी०आर० के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र है, जो कि मेरे द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करके जारी किया गया है। मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर कमशः प्रदर्श क-27 व

प्रदर्श क-28 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं० 39 क/11 ता 39 क/104 वही सी०डी०आर० है, जो कि मेरे द्वारा डिजिटली हस्ताक्षर करके एस०एस०पी० साहब की मेल पर भेजा गया था। उक्त सी०डी०आर० पर प्रदर्श क-29 डाला गया। उपरोक्त दोनों मोबाईल नम्बर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के थे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

16. पी.डब्लू.10 साक्षी लोकेश कुमार अल्टरनेट नोडल अधिकारी रिलायन्स जीयो इन्फोकॉम लिमिटेड ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुझे समन गया था, तब मैं आज न्यायालय में आया हूँ। एस०एस०पी० मेरठ के अनुरोध पर मेरे द्वारा मोबाईल नम्बर 7818078778 एवं मोबाईल नम्बर 7819026020 की दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक की सी०डी०आर० एवं कैफ आई०डी० मय धारा 63 (4) सी० भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र दिनांक 23.12.2025 को अपने हस्ताक्षर करके एस०एस०पी० कार्यालय में प्रेषित करने हेतु कान्सटेबल अमन यादव को दी गई थी। मोबाईल नम्बर 7818078778 कम्पनी रिकॉर्ड के अनुसार रविता पत्नी अमित कुमार, निवासी अकबरपुर सादात, मेरठ के नाम से जारी किया गया था। तथा मोबाईल नम्बर 7819026020 कम्पनी रिकॉर्ड के अनुसार मोनू पुत्र श्री महेन्द्र, निवासी 17/सी०, जागृति विहार मेरठ के नाम से जारी किया गया था। इन दोनों मोबाईल नम्बरों की सी०डी०आर० मय कैफ आई०डी० व धारा 63(4) सी० भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र मेरे द्वारा अपने हस्ताक्षर करके जारी किये गये थे, जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 30 क/2 ता 30/327 है। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 30 क/2 को देखकर कहा कि यह प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार

किया गया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-30 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 30 क / 3 प्रमाण पत्र धारा 63(4) सी० भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखकर कहा कि यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा मोबाईल नम्बर 7818078779 व मोबाईल नम्बर 7819026020 की कैफ आई०डी० व सी०डी०आर० के संबंध में जारी किया गया था, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-31 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 30 क/4 ता 30 क/10 को देखकर कहा कि यह मोबाईल नम्बर 7818078778 की कैफ आई०डी० है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-32 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 30 क/11 ता 305/17 को देखकर कहा कि यह मोबाईल नम्बर 7819026020 की कैफ आई०डी० है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-33 डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 30 क/18 ता 30 क/327 को देखकर कहा कि यह मोबाईल नम्बर 7818078778 व मोबाईल नम्बर 7819026020 की सी०डी०आर० है, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं इसकी शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-34 डाला गया। यह दोनों मोबाईल नम्बर जीयो कम्पनी के हैं, मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि दरोगा जी ने मुझसे इस संबंध में पूछताछ की थी या नहीं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

17. पी.डब्लू.11 साक्षी सुखपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं सपेरा जाति से हूँ। मैं बीन बजाने का काम करता हूँ और यदि किसी के घर से फोन आ जाता है, तो मैं सॉप भी पकड़ लेता हूँ। अकबरपुर सादात में सॉप पकड़ने के लिये मेरे पास विजय का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि एक लड़के के पास सॉप है, तुम उसे जाकर पकड़ लो। यह

फोन मेरे पास दिनांक 13.04.2025 की सुबह साढ़े छः-सात बजे के आसपास आया था। विजय द्वारा सूचना देने पर मैं वहाँ गया था। मेरे साथ पिन्टू भी गया था। पिन्टू व मैंने अमित के नीचे से साँप को पकड़ा था। मैंने अमित को उठाया था और पिन्टू ने अमित के नीचे से साँप को पकड़ा था। वह साँप घोड़ापछाड़ था। जब हमने साँप को पकड़ा था तो अमित उस समय अमित की मौत हो चुकी थी। हमने साँप को पकड़कर यह कहा था कि इस साँप में कोई जहर नहीं है। हमने साँप को पकड़कर एक डिब्बे में रखकर अमित के घरवालों को दे दिया था और उसने कहा था कि आप इसे जंगल में छोड़ दो। पुलिसवालों ने हमने साँप पकड़ने के बारे में पूछा था, तो हमने उनको भी यही बताया था, जो आज बताया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 3 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

18. पी.डब्ल्यू.12 साक्षी पिन्टू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग सवा साल पहले की बात है, मैं सुखपाल के साथ उसकी गली में खड़ा था, तभी सुखपाल के पास विजय का फोन आया कि अकबरपुर सादात में एक व्यक्ति के पास से साँप पकड़ना है। सुखपाल के पास विजय का फोन 06.30-7.00 बजे सुबह आया था। सूचना मिलने के 15 मिनट के अन्दर मैं और सुखपाल अकबरपुर सादात अमित के घर पहुँच गये थे। वहाँ जाकर हमने देखा कि अमित घर के बरामदे में खाट पर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर लिहाफ पड़ा था। सुखपाल ने उसके ऊपर से लिहाफ हटाया तो हमने देखा कि अमित की कमर के नीचे साँप दबा हुआ था। सुखपाल ने अपने दोनों हाथों से अमित को ऊपर उठाया और मैंने साँप पकड़ा। जिस समय साँप पकड़ा था, उस समय अमित की मौत हो चुकी थी। मैंने साँप पकड़कर डिब्बे में बन्द कर दिया था और अमित के परिवार वालों को दे दिया था। जो साँप पकड़ा था, वह घोड़ा-पछाड़ था। घोड़ा-पछाड़ साप में जहर नहीं होता। हमने वहाँ उपस्थित लोगों को बताया था

कि इस साँप के काटने से मौत नहीं होती। अमित की मौत इस साँप के काटने से नहीं हुई है। इसके बाद मैं और सुखपाल अपने गाँव आ गये थे। दरोगा जी ने हमसे साँप पकड़ने के बारे में पूछताछ की थी। जो साँप मैंने पकड़ा था, वह पीले रंग का था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से 3 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

19. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के बयान धारा-313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. अंकित किये गये। अभियुक्ता रविता द्वारा अपने बयान-313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. में साक्षियों द्वारा गलत बयाने देने का कथन करते हुए कहा है कि उसके घर पर अमरदीप का आना-जाना था या नहीं, उसे नहीं पता। न ही उसका उसके पति के साथ अमरदीप को लेकर कोई झगडा हुआ था। उसके और अमरदीप के बीच कोई संबंध नहीं थे। उसके पति की मृत्यु कैसे हुई, उसको नहीं पता। अभियुक्ता रविता ने कोई मोबाईल फोन चलाने से इंकार किया है तथा उसके जेठ मोनू व व मोनू की पत्नी से बंटवारे को लेकर रंजिशन के मुकदमा पंजीकृत किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त अमरदीप ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. में उसका मृतक के घर आना-जाना नहीं था। उसकी अभिक्ता रविता से कोई बातचीत फोन पर नहीं होती थी। मैंने अपने नाम से कोई मोबाईल नंबर नहीं लिया था। उसके द्वारा किसी से कोई साँप नहीं खरीदा गया है। मेरा व मोनू का गाँव में घटना से तीन माह पहले झगडा हो गया था, जिसके कारण वादी मुकदमा ने रंजिशन उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। दोनों अभियुक्तगण द्वारा विवेचक द्वारा गलत रूप से विवेचना करके प्रपत्र साबित किये जाने का कथन किया है तथा कथन किया है कि साक्षिगणों ने रंजिशन झूठी गवाही दी है, मुकदमा झूठा चला है। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का का कथन किया है।

20. सफाई साक्ष्य

अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत डी.डब्लू.1 इन्द्रपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.04.2025 को सुबह आठ बजे मैं शौच के लिये गया था। मुझे रास्ते में नहर के पुल पर अमित, उसके दो बच्चे और उसकी घरवाली मिले थे। मैंने अमित से पूछा था कि कहाँ जा रहे हो। तो अमित ने बताया कि शाकुम्भरी देवी प्रसाद चढ़ाने के लिये जा रहा हूँ। मैं अपनी ससुराल वालों का इन्तजार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। फिर 13.04.2025 को सुबह साढ़े सात बजे गांव में सनसनी मची कि अमित बेहोश पड़ा हुआ है। मैं भी अमित को देखने के लिये वहाँ गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 30-40 लोग थे। जहाँ चौक पर अमित पर चारपाई पर लेटा हुआ था, वहाँ 4-5 चारपाई खाली पड़ी थी। अमित का मुँह ढका हुआ था। अमित ने रजाई ओढ़ रखी थी। अमित के भाईयों ने ईको गाड़ियों बुलवायी थी और अमित को लेकर मेरठ हॉस्पिटल लेकर आये थे। मैं अस्पताल नहीं आया था। अमित को लेकर कौन-कौन आया था, मुझे उनके नाम याद नहीं हैं। मैंने कोई साँप नहीं देखा था। मैंने गांव में चर्चा सुनी थी कि अमित का अपने भाई मोनू से जमीन को लेकर विवाद रहता था। मुझे गांव में चर्चा से पता चला था। अमित और उसके भाई ने मुझसे विवाद की बात कभी नहीं बतायी। इसी जमीनी विवाद के कारण इन लोगों में आपस में रंजिश रहती थी। गांव में यह चर्चा थी कि भाईयों के बीच जमीन के विवाद को लेकर ही यह घटना घटी थी।

अभियोजन द्वारा बचाव साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

21. अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत डी.डब्लू.2 रविन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस घटना से लगभग 3-4 माह पहले अमरदीप की मोनू व उसके भाई सन्दीप से मामूली बात पर

झगडा हो गया था। इस झगड़े में मोनू व अमरदीप में मारपीट हो गई थी, उसका फैसला गांव वालों ने करा दिया था। इस बात से मोनू व उसके परिवार वाले अमरदीप से रंजित मानते थे। अमरदीप का मृतक अमित के घर आना-जाना नहीं था, ना ही हमने कभी अमरदीप को अमित के घर जाते देखा। अमरदीप खुली मजदूरी करता था। कभी-कभी अमित के बुलाने पर भी, अमित के साथ मजदूरी कर लेता था। दिनांक 13.04.2025 को सुबह के समय गांव में चर्चा हुई कि अमित की मृत्यु हो गई है। मैं भी लोगों के साथ अमित के घर गया था। अमित चौक में चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ 8-10 चारपाई पड़ी हुई थी, जिन चारपाईयों पर उसके परिवार वाले सोये थे। जिनमें उसके भाई, माता-पिता व अन्य लोग सोये थे। अमित की मृत्यु के 3-4 दिन बाद गांव में चर्चा हुई कि उक्त मुकदमें में अमरदीप व अमित की पत्नी को मुल्जिम बना दिया है। घटना से एक दिन पहले अमरदीप अपने मामा के यहाँ बस्तौरा गांव में गया हुआ था और दिनांक 13.04.2025 को शाम को 3-4 बजे के करीब ग्राम बस्तौरा से आया था। दिनांक 16.04.2025 को शाम के समय पुलिस अमरदीप को पूछताछ करने के लिये ले गई थी। हम भी थाने गये थे। हमने थाने में दरोगा जी से बताया था कि अमरदीप निर्दोष है। अमरदीप को षडयन्त्र करके मोनू ने पुलिस से मिलकर झूठा फंसा दिया।

अभियोजन द्वारा बचाव साक्षी से 2 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

22. अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत डी.डब्लू.3 गौरव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.04.2025 को मैं अपने गांव में था। उस दिन मैं सुबह अपनी दुकान पर गया था और शाम को करीब पांच बजे अपने घर वापस आ गया था। उसके बाद अगले दिन सुबह तक मैं अपने गांव में ही रहा था। मैं अमरदीप को जानता हूँ। उस दिन अमरदीप हमारे गांव बस्तौरा नारंग में आया था। मैं उस दिन अमरदीप से मिला था। मैं अमरदीप से शाम को करीब पांच से छः बजे के करीब मिला

था। उसके बाद मैं करीब रात्रि दस बजे तक अमरदीप के साथ ही रहा। फिर उसके बाद मैं अपने घर जाकर सो गया। अमरदीप उस दिन रात को हमारे गांव में ही रहा था। दिनांक 13.04.2025 की सुबह को मैं करीब 8-9 बजे के बीच अमरदीप से मिला था। उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया था।

अभियोजन द्वारा बचाव साक्षी से 1 पेज की विस्तृत जिरह की गयी।

23. न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुश्री फरजाना मकसूद एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह भाटी के तर्क विस्तारपूर्वक सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विधि-व्यवस्थाओं का सादर अवलोकन किया।

अन्तिम बहस

24. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप ने मृतक अमित कश्यप की हत्या अभियुक्तगण अमरदीप व रविता के द्वारा अवैध संबंधों के कारण होने का कथन अपने बयानों में किया है तथा अवैध संबंध के बारे में बयान दिये हैं। पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा घटना वाली रात अभियुक्त अमरदीप को मृतक के घर से जाते हुए सुबह के लगभग तीन से चार बजे के बीच देखने का बयान दिया है और अभियुक्त अमरदीप व रविता के अवैध संबंधों की बात न्यायालय में साबित की है और इन्हीं अवैध संबंधों के कारण अभियुक्त रविता व अमरदीप ने मृतक अमित की हत्या गला दबाकर की है। अभियुक्त अमरदीप के द्वारा मृतक अमित कश्यप की हत्या साँप से डसकर करने के उद्देश्य से साँप को पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार व पी.डब्लू.4 प्रीतम नाथ से खरीदा था, वही साँप मृतक अमित की चारपाई पर पाया गया था, जिसके डसने के निशान भी मृतक के शरीर पर थे। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.3 कृष्ण व पी.डब्लू.4 प्रीतम नाथ द्वारा बयान दिया गया है कि अभियुक्त अमरदीप उनसे साँप खरीदकर ले गया था। उक्त

साँप मृतक की चारपाई पर पाया गया था, जिसे अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा मृतक की चारपाई से मृतक के पास से पकड़ा था। मेडिकल रिपोर्ट में मृतक के अभियुक्त अमरदीप व रविता की कॉल डिटेल् जिसे अभियोजन द्वारा साबित किया गया है, का समय तथा स्थान घटनास्थल से मेल खाता है। अभियुक्त अमरदीप व रविता के फोन पर आपस में बातचीत घटना वाली रात लगभग दो बजे हुई है और दोनों का घटनास्थल के पास होना कॉल लोकेशन में आया है तथा अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है कि घटना वाली रात अभियुक्त अमरदीप को मृतक के घर से जाते हुए देखा गया था। अभियुक्त अमरदीप व रविता ने अवैध संबंधों के कारण सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक अमित कश्यप की गला घोटकर हत्या कारित की है तथा यह विश्वास कराने की नियत से कि उसे साँप ने डसा है और साँप के डसने से मृत्यु हुई है, मृतक की चारपाई पर साँप छोड़ दिया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणों का हेतुक अवैध संबंध होना तथा घटना के समय घटनास्थल पर दोनों अभियुक्तगणों का उपस्थित होना, कॉल डिटेल् तथा पी.डब्लू.2 के माध्यम से साबित किया है तथा बरामदगी साँप को साबित किया है। मेडिकल रिपोर्ट में मृतक के चेहरे व गर्दन पर खरोच के निशान तथा गला दबाकर हत्या करना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ है। इस प्रकार अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

25. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में लिखित व मौखिक बहस करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है—

अभियोजन द्वारा एफ.आई.आर. काफी विलंब से लिखायी गयी है। विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया है, जबकि अभियुक्ता मृतक के घर पर थी और अभियुक्ता के साथ कोई मारपीट भी नहीं की गयी है, जो अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न करती है।

—यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमरदीप व अभियुक्ता रविता के बीच अवैध संबंधों का हेतुक संदेह से परे साबित नहीं है, क्योंकि अभियुक्तगणों के मध्य अवैध संबंध होने के संबंध में घटना से पूर्व न तो कोई पंचायत, न ही कोई शिकायत तथा न ही कोई एफ.आई.आर. हुई है। अवैध संबंध की बात पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 द्वारा अपने बयानों अन्तर्गत धारा-180 बी.एन.एस.एस. में भी नहीं बतायी है। ऐसे में अवैध संबंध का जो हेतुक है, वह संदेहास्पद है।

—यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमरदीप को अन्तिम बार घटनास्थल पर नहीं देखा गया है। पी.डब्लू.2 जो कि मृतक की माँ है, जिसने पहली बार न्यायालय में अन्तिम बार घटनास्थल पर देखे जाने की बात बतायी है, जबकि अपने बयान धारा-180 बी.एन.एस.एस. में अन्तिम बार देखे जाने की बात नहीं बतायी है। ऐसे में लास्ट सीन के संबंध में भी तथ्यों की कड़ी आपस में मेल नहीं खाती है तथा संदेहप्रद है।

—यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में जिस साँप की बरामदगी मृतक के पास से दर्शायी है, वह संदिग्ध है। पत्रावली पर प्रश्नगत साँप के संबंध में कोई फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी संलग्न नहीं है, न ही साँप खरीदे जाने के संबंध में पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार तथा पी.डब्लू.4 प्रीतमनाथ द्वारा कोई संतोषजनक कथन किया गया है कि किस स्थान पर साँप खरीदा था, साँप खरीदने का लेनदेन किस प्रकार हुआ, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा न ही प्रश्नगत साँप को न्यायालय में पेश किया गया है। मृतक के पास से पकड़े गये साँप को वन में छोड़ने के संबंध में भी साक्षियों के बयानों में सारवान विरोधाभास है। ऐसे में मामले में मृतक के पास से जो साँप की बरामदगी दर्शायी गयी है, वह बरामदगी संदिग्ध है।

— यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर संलग्न मेडिकल रिपोर्ट में मृतक अमित कश्यप की मृत्यु साँप से डसने से होना नहीं आया है, जबकि अभियोजन द्वारा पूरा मामला साँप के इर्द-गिर्द दर्शाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर में साँप के डसने के निशान मौजूद नहीं

है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु हाईड बोन तथा थायरॉइड कार्टिलीज बोन टूटने के कारण होना बताया है तथा उक्त हाई बोन व कार्टिलीज बोन गला घोटने के कारण ही टूटती है। मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटकर हत्या करना पोस्टमार्टम में आया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गर्दन पर अंगुली व अंगूठे के निशान मौजूद नहीं थे। ऐसे में मृतक की हत्या अभियुक्तगण द्वारा गला घोटकर किये जाने वाला तथ्य संदिग्ध दर्शित होता है।

– यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता के बीच कोई बातचीत फोन कॉल पर नहीं होती थी। जिस मोबाइल की कॉल डिटेल पत्रावली पर संलग्न है, वह कभी भी अभियुक्त अमरदीप द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया है तथा न ही कथित नंबर अभियुक्त अमरदीप की आई.डी. पर जारी किया गया है। कथित नंबर जिस व्यक्ति के नाम जारी किया गया था, न तो उसको मामले में अभियुक्त बनाया गया है, न ही अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह तथ्य पूर्ण से संदिग्ध है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता की घटना के दिनांक को आपस में कोई बातचीत हुई हो तथा अभियुक्त घटना की दिनांक को घटनास्थल पर मौजूद है। अभियुक्त को मात्र झूठा फंसाने तथा मामले को इंटरनेट पर चर्चित होने के कारण मामले में फर्जी तरीके से अभियुक्त को मुल्जिम बनाया गया है। मामला पूर्णतः संदिग्ध है।

– बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि घटनास्थल वादी के घर का है तथा चारों तरफ व्यक्ति सो रहे थे। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी की गला घोटकर मृत्यु करेगा तो व्यक्ति अपने बचाव में शोर मचायेगा और आसपास के लोग जाग जायेंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में धारा-106 विशेष तथ्य जो अभियुक्तगण के ज्ञान में होते हैं, वह अभियुक्तगण के विरुद्ध लागू नहीं होता है।

26. अवधारीय बिन्दु

1. क्या दिनांक 12.04.2025 की रात में अदम समय, स्थान- अभियुक्ता रविता का ससुराल, ग्राम-अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ में अभियुक्तगण अमरदीप व रविता द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में अवैध संबंधों के कारण वादी के भाई मृतक अमित की हत्या गला दबाकर की है या नहीं तथा क्या हत्या को छिपाने के आशय से मृतक की हत्या करने के उपरान्त हत्या साँप से डसकर दिखाने के आशय से मृतक के पास उसकी चारपाई पर साँप रखा गया है या नहीं ?

27. साक्ष्य का मूल्यांकन, आधार एवं निष्कर्ष

प्रथम सूचना रिपोर्ट-

बचाव पक्ष द्वारा यह लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन के विलंब से लिखायी गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 12.04/2025 की रात को किसी समय की दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.04.2025 को समय 21.30 बजे पंजीकृत किया जाना कहा गया है। लगभग 4 दिन के विलंब से रिपोर्ट लिखायी गयी है और इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि अभियोजन कथानक के अनुसार घटनास्थल पर परिवारजन मौजूद थे तथा घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 10 किलोमीटर दूर है, ऐसे में यह तथ्य यह साबित करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को सोच-समझकर और अभियुक्तगण को झूठा फंसाने के लिए लिखायी गयी है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध है। अपने तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की हैं-

1. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ओमवीर एवं अन्य 2014(3) ए.सी.आर. 3439 इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह अवधारित किया गया है कि एफ.आई.आर. देरी से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह विचार-विमर्श कराकर हेरफेर करकर लिखायी गयी है।

2. सूफी मौ० हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1991 एल.सी.आर. ए 11 एच.सी. 198 में यह अवधारित किया गया है कि एफ.आई. आर. में दो दिन का स्पष्टीकरण नहीं होने से अभियुक्तगण को लाभ मिलेगा।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का जवाब देते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक 12.04.2025 की रात्रि में अदम समय कारित की गयी है तथा घटनास्थल से मृतक को उसको देखे जाने के तुरंत बाद डाक्टर के यहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डाक्टर द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तथा मौके पर प्रथमदृष्टया यह लगा कि मृतक की मृत्यु साँप के काटने से हुई है, क्योंकि मृतक अमित कश्यप की चारपाई से उसके पास से साँप की बरामदगी हुई है। मृतक को जब डाक्टर के पास ले जाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु साँप के काटने से नहीं हुई है तथा मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही लगाया जा सकता है, उसके बाद परिवाजनों के द्वारा मृतक अमित का पोस्टमार्टम कराया गया तथा पोस्टमार्टम कराने के बाद ही पता लगा कि मृतक की मृत्यु साँप के डसने से नहीं हुई बल्कि गला घोटने से हुई है। जहाँ तक पोस्टमार्टम के दो दिनों के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने का संबंध है तो यह स्वाभाविक है कि जब किसी जवान व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो घर के सभी लोग शकते में आ जाते हैं और उसके बाद परिवार के लोगों की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है तथा सामान्य व्यक्ति बदहवास हो जाता है तथा समझ नहीं पाता है कि क्या करे। प्रस्तुत प्रकरण में घटना को अंजाम देने वाली मृतक की धर्म पत्नी रविता ही है, इसलिये परिवाजन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने से पहले वादी द्वारा अमरदीप व रविता के संबंधों के आधार पर ही पोस्टमार्टम के दो दिन बाद मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने में चार दिन विलंब हुआ है, परन्तु इस विलंब होने से अभियुक्तगण को झूठा फंसाया जाने का कोई कारण दर्शित नहीं है। अतः बचाव पक्ष द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया गया है,

वह साबित नहीं होता है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं—

1. राव साहब बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 5 एस.सी.सी. 391
2. मध्य प्रदेश बनाम छक्की लाल ए.आई.आर. (2019) एस.सी.सी. 381
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि एफ.आई.आर. देरी से दर्ज करायी गयी और देरी का कारण मनगढ़ंत कहानी बनाने का प्रयास नहीं है और अभियोजन द्वारा देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है तो एफ.आई.आर. दर्ज कराने में मात्र देरी का कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं पड़ेगा।
3. हरिप्रसाद बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ (2024) 2 एस.सी.सी. 557 म
4. कमला प्रसाद बनाम मध्यप्रदेश (2023) 10 एस.सी.सी. 172 में यह अवधारित किया गया है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में देरी को अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता, न ही इसे अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक माना जा सकता। न्यायालय को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देरी के कारणों का पता लगाना होगा। यदि देरी का कारण कोई मनगढ़ंत कहानी का प्रयास नहीं है तो मात्र देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले की लिए घातक नहीं होगी।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा ससम्मान सादर अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि यदि देरी से एफ.आई.आर. लिखायी गयी है तो वह अभियोजन के लिए घातक तभी होगी, जब उसका कोई स्पष्टीकरण न दे। यदि अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है तो देरी होने पर भी उस पर विश्वास किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह देखना होगा कि अभियोजन द्वारा एफ.आई.आर. देरी से लिखायी गयी है या नहीं और उसका स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं। उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर यह साक्ष्य आया है कि एफ.आई.आर. लेखक पी.डब्ल्यू.5 कां. क्लर्क रामप्रवेश द्वारा मुकदमा

अपराध संख्या-67/2025, धारा-103(1) /3(5), 238 बी.एन.एस. की एफ.आई.आर. व जी.डी. को प्रदर्शक-9 व क-10 के रूप में साबित किया है। उक्त मामले की एफ.आई.आर. समय 21.23 बजे(रात्रि के 9 बजकर 23 मिनट) दिनांक 16.04.2025 को लिखी गयी है, जो कथित घटना से लगभग चार दिन की देरी से है। देरी के स्पष्टीकरण के संबंध में अभियोजन का वादी मुकदमा का बयान का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

वादी मुकदमा पी.डब्ल्यू.1 मोनू कश्यप ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 13.04.2025 की सुबह मेरा भाई अमित कश्यप चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। जब मैंने रजाई हटा कर देखा तो मेरे भाई के बगल में जिन्दा साँप पड़ा हुआ था। जब मैंने अमित को पास से देखा तो उसके गले व चेहरे पर चोट के निशान थे तथा अपने भाई के क्रियाकर्म से निवृत्त होकर थाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला पंजीकृत कराया है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि मृतक को मृत अवस्था में देखने के तुरंत बाद उसको प्यारे लाल अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डाक्टर द्वारा बताया गया कि मृतक की मृत्यु साँप के डसने से नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उसको मारा है। उसके उपरान्त मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण गला घोटने से होना आया। फिर वादी द्वारा अपने भाई का क्रियाकर्म कराया गया क्योंकि मृतक की मृत्यु उसके अपने घर पर ही हुई थी तथा गला घोटने से हुई है, ऐसे में परिवार के व्यक्ति द्वारा हत्या की गयी है या नहीं यह सोचने का प्रश्न था तथा मृतक की पत्नी रविता के अभियुक्त अमरदीप से अवैध संबंध होने तथा मृतक की माँ द्वारा यह बताये जाने पर की घटना वाली रात अमरदीप उसके घर पर आया था, पोस्टमार्टम में मृतक की मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ऐसा नहीं है कि वादी मुकदमा या उसके घरवाले घर पर आराम से बैठे हो, बल्कि वो लोग मृतक को तुरंत बाद प्यारे लाल अस्पताल लेकर गये, डाक्टरों द्वारा साँप से डसने

से मृत्यु न होना बताने के तुरंत बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया तथा उसके दो दिन बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

प्रस्तुत मामले में घटनास्थल पर ही मृतक की चारपाई के पास से साँप बरामद हुआ था, जिससे परिवारजनों को प्रथमदृष्टया यह लगा कि मृत्यु सर्पदंश से हुई है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब मृतक को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि मृत्यु सर्पदंश से नहीं हुई है और मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही लगाया जा सकेगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही इस तथ्य की पुष्टि हुई कि मृतक अमित कश्यप की मृत्यु सर्पदंश से नहीं, बल्कि गला घोटने (Strangulation) से हुई है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना विधि सम्मत एवं न्यायोचित था तथा वादी मुकदमा के द्वारा पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद ही एफ.आई.आर. पंजीकृत करा दी गई है। जहां तक यह तर्क है कि परिवारजन घटनास्थल पर मौजूद थे और थाना 10 किमी दूर था, तो न्यायालय का मानना है कि जब किसी परिवार के जवान पुत्र की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो परिवार की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती, वे शोक में डूब जाते हैं और बदहवास हो जाते हैं। यह भारतीय सामाजिक परिवेश की स्वाभाविक स्थिति है। परिवार को मृतक की चारपाई पर साँप मिलने के कारण प्रारंभ में भ्रम हुआ, जो स्वाभाविक था। जब पोस्टमार्टम से हत्या का तथ्य सामने आया और वादी को मृतक की पत्नी रविता व अमरदीप के अवैध संबंधों का आभास हुआ, तब उसने बिना विलंब किये मुकदमा पंजीकृत कराया। विलंब का लाभ अभियुक्त को तभी मिल सकता है जब यह साबित हो कि इस अवधि में सोच-समझकर झूठी कहानी गढ़ी गई है। इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका कि वादी का अभियुक्तगण को झूठा फंसाने का कोई पूर्व द्वेष या कारण था। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एफ.आई.आर. में जो चार दिन का विलंब हुआ है, उसको अभियोजन द्वारा उचित रूप से स्पष्ट किया गया है। मात्र विलंब के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को

संदिग्ध या मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता। तदोपरान्त रिपोर्ट लिखाने में जो विलंब हुआ है, वह मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार युक्ति-युक्त है और परिस्थितिबश ही स्वयं विलंब का स्पष्टीकरण दे रही है, यह विलंब युक्तियुक्त है। इस तर्क के संबंध में बचाव साक्षी द्वारा जो विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है, वह इस मामले में लागू नहीं होती है।

बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम है, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद चौबीस घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.04.2025 को 21.30 पी.एम. पर पंजीकृत कराया जाना दर्शाया गया है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.04.2025 को संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को एंटी टाइम माना जायेगा और यह सलाह मशवरा करके तैयार करायी गयी है।

उक्त के संबंध में अभियोजन का कहना है कि धारा-157 दं.प्र.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई निश्चित समय का उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किये जाने का वर्णन किया गया है।

उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर यह साक्ष्य आया है कि घटना 12.04.2025 की रात्रि में अदम समय की है तथा जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.04.2025 को 21.30 बजे की है, जिसमें अभियुक्तगणों को नामजद घटना कारित करना बताया है। यह बात सही है कि रिपोर्ट हो जाने के पश्चात उसकी एक प्रति धारा-157 दं.प्र.सं. के तहत तत्काल संबंधित क्षेत्राधिकारी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजी जानी आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी गयी है, वह दिनांक 19.04.2025 को भेजा जाना दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट चौबीस घंटे के

अंदर भेजे जाने का कोई प्रावधान धारा-157 दं.प्र.सं. में नहीं है। यदि संभव हो तो केवल तत्काल रिपोर्ट भेजे जाने का प्रावधान है। जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में धारा- 157 दं.प्र.सं. का अनुपालन न किये जाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से धारा- 157 दं.प्र.सं. के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य दर्शित नहीं होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने एवं उसे न्यायालय भेजे जाने के समयान्तराल में प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई अतिरिक्त तथ्य सम्मिलित किया गया हो। इस संबंध में **विधि व्यवस्था जाफेल विश्वास बनाम बंगाल राज्य ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 519** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा- 157 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट को एफ.आई.आर. केवल देरी से भेजे जाने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मुकदमा दोषपूर्ण है या आरोपी इस आधार पर बरी होने का हकदार है। आरोपी को यह दिखाना होगा कि धारा-157 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट को एफ.आई.आर. देरी से भेजने से उसके साथ पक्षपात हुआ है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि उसके साथ एफ.आई.आर. न्यायालय में देरी से भेजने से कोई पक्षपात हुआ हो। अतः अभियुक्त के इन तर्कों में कोई बल दर्शित नहीं होता है।

28 .मृत्यु का कारण

प्रस्तुत विचारणीय मामले में पी.डब्लू.5 उप.निरीक्षक पंकज गौतम द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी है। जिसके द्वारा यह बयान दिया गया है कि मृतक अमित कुमार पुत्र विजयपाल सिंह, निवासी-अकबरपुर सादात का पंचायतनामा दिनांक 13.04.25 को भरकर पी.एल.शर्मा अस्पताल भेजा गया था., जो लगभग दो बजे से साढ़े तीन बजे तक भरा गया था। उक्त साक्षी द्वारा पंचायतनामा, चिड्डी आर.आई. चिड्डी सी.एम.ओ., फोटोलाश, चालानाश व नमूना मोहर को साबित किया है, जिन्हें प्रदर्श क-

2 लगायत प्रदर्शक-8 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी के बयानों से मृतक का पंचयातनामा भरा जाना और पोस्टमार्टम हेतु औपचारिक कार्यवाही करना साबित होता है, जिसके बारे में कोई विरोधाभासी कथन जिरह व मुख्य परीक्षा में नहीं आया है। पोस्टमार्टमकर्ता पी.डब्ल्यू.7 डाक्टर कपिल गर्ग द्वारा मृतक अमित कुमार का पोस्टमार्टम उसके भाई मोनू व संदीप द्वारा शिनाख्त करने पर किया गया है। पोस्टमार्टम 05.45 पर शुरू होकर 06.30 पर समाप्त हुआ है। दौरान शव-विच्छेदन मेरे द्वारा मृतक के पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी तथा चेहरे पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हल्का नीलापन था। दोनो आंखें बंद व कन्जस्टिड थी। मुँह बन्द था और दोनो हाथों के नाखून साईनोज थे। प्राकृतिक द्वार एन.ए.डी. था। मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटों का विवरण

एंटीमोर्टम इंजरी-

1. चोट नं.1 मल्टीपल खरोचे चेहरे व नाक के बायी ओर 3 x 2 सेमी. के एरिये में मौजूद थे।
2. चोट नं.2 दोनों होठों व दोनों ...ऑफ माउथ पर कई खरोचों के निशान थे।
3. चोट नं.3 गर्दन के दाहिनी 5 x 3 सेमी. के क्षेत्र में कई खरोचे थी।
4. चोट नं.4 बायी गर्दन पर 3 x 3 सेमी. के क्षेत्र में कई खरोचे थी।
5. चोट नं.5 दो पंचर्ज घाव, जिनका आकार .2 सेमी. की दूरी पर गर्दन के पीछे की ओर मौजूद थे। मृतक के शरीर नीला नहीं था, बल्कि चेहरा हल्का नीला था।

नोट- चोट नं.3 व 4 में अंकित गर्दन पर आयी चोटों को खोलने पर उनके नीचे सूजन व खून के धब्बे मौजूद थे। थाइराईड कार्टिलेज के दोनों सुपीरियर बोन व हायोईड बोन टूटी हुई थी। मृतक की गर्दन पर चोटे थी, इसलिए मृतक की गर्दन खोलनी पड़ी।

आन्तरिक परीक्षण-

दिमाग व दिमाग की झिल्लायों, खाने व स्वास की नली, दोनो फेफड़े, प्लीहा, लीवर, दोनों गुर्दे सब कन्जस्टिड थे। हार्ट के चारो चैम्बर फुल थे। पेट खोलने पर पेट की दीवार कन्जस्टिड थी व लगभग उसमें 50 एम.एल. भूरे रंग का पदार्थ मौजूद था, जिसे हमने प्रयोगशाला हेतु भेज दिया था। मृत्यु का समय आधे से एक दिन था। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाने व नाक मुँह दबाने के कारण व दम घुटने से हुई है। मृतक की मृत्यु पूर्व गले की थायरॉइड कार्टिलेज व हायोईड बोन तब टूटती है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जबरदस्ती गला घोटता है। गला घोटने के कारण ही यह हड्डी टूटी है। मृतक के चेहरे पर जो चोटे आयी है, वह कोई दूसरा व्यक्ति नाक व मुँह दबाये, तब भी आ सकती है और मृतक के अपने बचाव करने में भी ऐसी चोटे आना संभव है। जिरह में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि चोट नं. 1 ता 4 खुरसट के निशान है। खुरसट चोट ब्लन्ट एवं हार्ड ऑब्जेक्ट से आयेगी। गले पर उंगली के निशान नहीं है, बल्कि खुरसट है। मृतक के गले, गर्दन, चेहरे के अलावा और कहीं चोट नहीं है।

उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा व जिरह के तुलनात्मक विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि मृतक कि चेहरे, गर्दन पर खरोच के निशान थे, जो एन्टीमोर्टम थे तथा चोट नं.3 व 4 जो गर्दन पर आयी थी, की जाँच करने पर मृतक की हाईड बोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन टूटी हुई थी। मृतक को गर्दन पर चोटे थी तथा उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पाया है कि चोट नं. 5 दो पंचर घाव थे, जिनका आकार .2 सेमी. x .2 सेमी. सबक्यूटिनीयस डीप जो एक दूसरे से 2.5 सेमी. की दूरी पर गर्दन के पीछे की ओर मौजूद थे। उक्त चोट का आकार तथा प्रकार यह दर्शित करता है कि उक्त प्रकार की चोट किसी साँप के काटने से आती है, क्योंकि उक्त पंचरघाव .2 सेमी. x .2 सेमी. आकार का था और 2.5 की दूरी पर था। जो कि एक सटीक आकार की है। यदि चोटे किसी अन्य वस्तु जैसे पैन, पिन से आती तो उनकी दूरी की लंबाई व आकार में अन्तर आता, क्योंकि पैन या पिन को इंचटेप लेकर नापकर नहीं चुभाया जा सकता था। ये

जो आकार व चोट की माप थी, वह सर्पदंश के दाँतों की ही आकार है, जो इस प्रकार आयी है। अगर अन्य वस्तु के निशान होते तो माप में भिन्नता जरूर आती। ऐसे में उक्त चोट नं. 5 जैसा कि अभियोजन का कथानक है, साँप के काटने से आना दर्शित होती है। पी.डब्लू.7 डाक्टर कपिल गर्ग द्वारा मृत्यु का कारण गले की हाईड बोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन टूटी होने के कारण मृतक अमित की मृत्यु हुई है। डाक्टर का यह भी अभिमत है कि उक्त हड्डी जबरदस्ती गला घोटने के कारण टूटने से आती है तथा मृतक की मृत्यु का समय आधे से एक दिन बताया गया है। ऐसे में मृतक अमित की मृत्यु मृत्यु पूर्व गला घोटने से गले की हड्डी टूटने के कारण हुई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में बचाव द्वारा आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के गले पर उंगलियों के निशान नहीं थे। अगर मृतक का गला हाथ से दबाया गया होता तो उंगलियों व अंगूठों के निशान जरूर होते।

उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि मृतक के चेहरे व गर्दन पर खरोच के निशान आये हैं, जो कि बहुत सारे हैं। गर्दन के दोनों हिस्सों पर खरोच के निशान हैं, चेहरे पर खरोच के निशान हैं, जो यह दर्शित करते हैं कि उक्त खरोच के निशानों का आकार व स्थान गला घोटने जैसे कार्य से ही आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उंगलियों या अंगूठों के निशान गर्दन पर छप जाये। इसीलिये मात्र उंगलियों या अंगूठों के निशान गर्दन पर न आने से यह नहीं माना जा सकता कि मृतक की मृत्यु गला दबाने से न हुई हो। वह भी जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गले की हाईड बोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन दोनों टूटी होने की पुष्टि हुई है। उक्त दोनों हड्डियों का टूटा होना ही और चेहरे पर खरोच के निशान होना ही यह दर्शित करता है कि मृतक की हत्या गला दबाकर की गयी है। इसलिये अभियोजन मृतक की मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना साबित करने में सफल रहा है।

एफ.एस.एल.

मृतक अमित कुमार की पोस्टमार्टम के समय लिया गया सैम्पल जाँच हेतु भेजा गया था, जिसमें

1. स्टमक का टुकड़ा,
2. छोटी आँत का टुकड़ा,
3. लीवर का टुकड़ा,
4. किडनी का टुकड़ा
5. स्पीलीन का टुकड़ा
6. स्टमक कंस्टेंस,
7. रक्त का नमूना
8. परीरक्षी नमक का घोल की जाँच विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद के द्वारा की गयी थी। परीक्षण रिपोर्ट में बिसरा के भाग 1 से 5 व वस्तु 6 व 7 में कोई रसायनिक विष नहीं पाया गया था।

एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्शक-35 की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मृतक के शरीर में कोई जहर नहीं पाया गया था। अर्थात् मृतक की मृत्यु जहर से नहीं हुई थी। ऐसे में एफ.एस.एल. रिपोर्ट से मृत्यु का कारण जहर होना नहीं पाया गया है, बल्कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, वही है। अर्थात् गले की हड्डियाँ हायड्रॉ बोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन टूटी होने के कारण मृतक की मृत्यु हुई है।

29. परिस्थितिजन्य साक्ष्य

प्रस्तुत मामले में मृतक की हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा है। ऐसे में मृतक की मृत्यु के समय अभियोजन का कोई साक्षी वहाँ मौजूद नहीं था। वादी मुकदमा पी.डब्ल्यू.1 मोनू कश्यप द्वारा घटना होते हुए नहीं देखी है। पी.डब्ल्यू.1 द्वारा मृतक अमित को चारपाई पर मृत अवस्था में देखा और उसकी चारपाई पर साँप को बैठे हुए देखा है। पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा भी किसी को हत्या करते हुए नहीं देखा है। मृतक अमित को चारपाई पर

मृत अवस्था में देखा और उसकी चारपाई पर साँप को बैठे हुए देखा है।
अतः मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सम्बन्धित है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं—

1. नथिया बनाम स्टेट (2016) 10 एस सी सी 298,
2. भीम सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड (2015) 4 एस सी सी 281 (प्रस्तर 23),
3. धनराज बनाम स्टेट आफ हरियाणा (2014) 6 एस सी सी 745 (प्रस्तर 18 एवं 19),
4. धम्मदेव यादव बनाम स्टेट आफ यू० पी० (2014) 5 एस सी सी 509 (प्रस्तर 15)
5. शरद बृद्धिचन्द शारदा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (1984) 4 एस सी सी 116 (प्रस्तर 120 एवं 121) में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये गये हैं—

1—The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must or should be and not merely 'may be fully established,

2—The facts so established should be consistent only with the Hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.

3—The circumstances should be of conclusive nature and tendency,

4—They should exclude every possible hypothesis except the 12 one to be proved, and

5—There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all

human probability the act must have been done by the accused.

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **विजय कुमार बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2014, 3 एस सी सी 412** में उपरोक्त सिद्धान्तों को दोहराते हुए यह अभिनिर्णीत किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निश्चित प्रकृति का होना चाहिए एवं परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है, अन्य के द्वारा नहीं।

State of Goa vs Sanjay Thakran & Anothers (2007)2 SCC Criminial 162 Criminal Trial– Circumstantial evidence– Conviction on the basis of the said evidence Tests to be satisfied for, reiterated Duty of court in such a case Held, court to take utmost precaution Suspicion, however grave, cannot be substituted for proof Evidence Act, 1872, S. 3

30. परिस्थिति साक्ष्य का संबंध मामले के तथ्यों से सीधा न होकर आस-पास के ऐसे तथ्यों से होता है जिनसे तथ्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। परिस्थितिक साक्ष्य हमें एक ही निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। इसका उपयोग न्यायालय तभी करता है, जब कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो। साक्ष्य विधि का एक सूत्र यह भी है कि साक्षी झूठ बोल सकता है, किन्तु परिस्थितियां नहीं।

परिस्थिति साक्ष्य भारतीय एवं अंग्रेजी विधि दोनों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रत्यक्ष साक्ष्य। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य को परिस्थिति साक्ष्य से वरीयता दी जायेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में शब्द “साबित” की परिभाषा इस मत को पूर्णरूपेण समर्थित करती है। उक्त धारा के अनुसार कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने साक्ष्य के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह

विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान् व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तत्व का अस्तित्व है। बहुधा ऐसा होता है कि परिस्थिति साक्ष्य का असर प्रत्यक्ष साक्ष्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है, किन्तु साबित की गयी परिस्थितियों विवाद्यक तथ्यों को साबित करने में निश्चित होने का असर रख सकती है। ऐसे परिस्थितियों में, उक्त सूत्र न्यायोचित प्रतीत हो सकता है, किन्तु यह कभी भी प्रख्यात नहीं किया जा सकता है कि यह सूत्र सामान्य रूप में प्रयोज्य है क्योंकि परिस्थितियां साक्ष्यों की तुलना में अधिक सुगमता से गढ़ी अथवा रखी जा सकती है। यदि परिस्थितिक साक्ष्य अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान के सर्वथा विपरीत हो एवं परिस्थितियों को एक साथ देखने पर अभियुक्त का दोषी होने का ही इशारा मिलता हो तो इस प्रकार की स्थिति में परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सकता है, लेकिन यदि एक ही निष्कर्ष न निकलता हो तो अभियुक्त के पक्ष वाला निष्कर्ष निकाला जायेगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करने के लिये उसे निम्न कसौटियों पर खरा उतरना चाहिये, जिसके बारे में निम्न विधि व्यवस्थाओं में यह कसौटी अवधारित की है कि—

- 1- विद्या लक्ष्मी बनाम स्टेट आफ केरला राज्य ए०आई०आर० 2019 एस०सी० 1397,
- 2-विजय कुमार बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2014, 3 एस०सी०सी० 412,
- 3-स्टेट आफ गोवा बनाम पांडुरंग मोहिते ए०आई०आर० 2009 एस०सी० 1066
- 4-अरून भानू दास पवार बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 2008 (61) ए०सी०सी० 32 (एस०सी०)
- 5-हिमांचल राज्य बनाम दीवाना 1995 सी०आर०एल० जे० 2019

6-रामानन्द उर्फ नन्दलाल भारती बनाम उ०प्र० राज्य, दण्डिक अपील संख्या 64-65/2022, निर्णय दिनांकित 13.10.2021

- वे परिस्थितियां, जिनसे दोष का अनुमान लगाया जाता है, ठोस एवं दृढ़तापूर्वक स्थापित होनी चाहिये।
- वे परिस्थितियां बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के दोष को इंगित करने वाली निश्चित प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिये।
- समेकित रूप से लेने पर वे परिस्थितियां ऐसी पूर्ण कड़ी का निर्माण करती हों कि इस निष्कर्ष से कोई पलायन नहीं है कि सभी मानवीय अधिसम्भाव्यताओं में केवल अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- परिस्थितिजन्य साक्ष्य को दोषसिद्धि को सन्धार्य करने के लिये पूर्ण और अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य कल्पना के स्पष्टीकरण के अयोग्य होना चाहिये। ऐसे साक्ष्य को न केवल अभियुक्त के दोष से संगत होना चाहिये, अपितु उसे उसकी निर्दोषिता से असंगत भी होना चाहिये। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों के साबित किये जाने वाले विचार के अतिरिक्त किसी अन्य सम्भाव्य विचार को अपवर्जित करना चाहिये।

बचाव पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गयी हैं-

1. रीना इसारिका बनाम असम राज्य 2019 (1) जे.क्रिम. अपील 1221 एस.सी. में यह अवधारित किया गया है कि परिस्थितिसाक्ष्य के बाद में अभियोजन के लिए परिस्थितियों की प्रत्येक कड़ी को आपस में निरन्तरता के साथ जुड़ा होना स्थापित करना आवश्यक होता है, जिससे केवल यही दर्शित हो कि केवल अभियुक्त ही अपराधी है।
2. कालीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद हाईकोर्ट 2009 दंड निर्णय संग्रह 548 में यह अवधारित किया गया है कि यदि परिस्थितियों की कड़ियाँ पूर्ण से कड़ीबद्ध नहीं हैं तो मामले में दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

3. रामवृक्ष उर्फ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2016 (2) जे.सी.आर.सी. 1101 एस.सी. में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा परिस्थितियों साक्ष्य की सभी कड़ियों को पूरा किया जाना चाहिए।
4. अन्जन कुमार शर्मा बनाम असम राज्य 2017(2) क्राईम 426 एस.सी. में यह अवधारित किया गया है कि साक्ष्य की कड़ी सम्पूर्ण होनी चाहिए जाहिर हो कि सभी मानवीय सम्भावनाएँ अभियुक्त द्वारा की गयी हैं।
5. गणपत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 (101) एस.सी. 989 में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी होगा, जब तक अभियोजन सम्पूर्ण कड़ी परिस्थितिजन्य की साबित न करे।
6. मुजीब एवं अन्य बनाम केरल राज्य 2000 एस.सी. क्रिमिनल 78 में यह अवधारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी सम्पूर्ण होनी चाहिए।
7. गोवा राज्य बनाम पांडुरंग मोहिते ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 1066 में यह अवधारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए तथा उसको साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष में मौजूद खामियों को झूठे बचाव या दलील से दूर नहीं किया जा सकता।
8. रवि शर्मा बनाम राज्य सरकार एन.सी.टी. की दिल्ली एवं अन्य 2022(3) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 504 में यह अवधारित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिस्थितियों की श्रृंखला में संबंध स्थापित नहीं पाये गये, इसीलिये अवर न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को वही करने का फैसला बहाल किया गया।
9. नाजिम एवं अन्य बनाम उत्तराखंड, 2026(2) सी.सी.एस.सी. 656 (एस.सी.) में यह अवधारित किया गया है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने पर मामले में प्रत्येक कड़ी दृढ़ता से साबित की जानी चाहिए और मामला पूर्णतया विश्वसनीय होना चाहिए।

10. सुजीत बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 2019(1) जे.सी.आर.सी. 115 में यह अवधारित किया गया है कि मामले में परिस्थितियों की प्रत्येक कड़ी पूरी तरह सिद्ध हो।

11. सतपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2018(2) जे.सी.आर.सी. 1037 में अवधारित किया गया है कि परिस्थितियों की सभी कड़ियाँ पूरी तथा एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, जिनमें केवल अभियुक्त का ही दोष दर्शित होता हो।

उक्त के संबंध में न्यायालय इस निष्कर्ष का है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के अनुसार अपराध के क्रम की कड़ी परिस्थितियों से पूरी होनी आवश्यक है तथा उसमें अभियुक्त की संलिप्तता भी प्रमाणित होनी चाहिए तथा अभियुक्त एवं मृतक के मध्य जुड़ाव भी आवश्यक है। परिस्थितिजन साक्ष्य के आधार पर मामला साबित करने के लिए अभियोजन को समस्त कड़ियों को साबित करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि परिस्थितियाँ अपने आप में बताती हो कि अपराध करने वाले व्यक्ति अभियुक्त ही हो। इसके लिए अभियोजन को यह परिस्थितियाँ साबित करना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्तगण मृतक एक साथ थे और उनके पास मृतक की मृत्यु कारित करने का उद्देश्य व अवसर था तथा बरामदगी अभियोजन की कहानी से समर्थन करती हो तथा मृत्यु का कारण अभियोजन कथानक से मेल खाता हो और इसमें कोई भी संदेह मात्र न हो और यह संदेह से परे साबित किया गया हो।

31. मोटिव/हेतुक

प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है, इसीलिये हेतुक एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के पास हत्या करने का कोई मोटिव नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण

अमरदीप व रविता के बीच अवैध संबंधों का हेतुक संदेह से परे साबित नहीं है, क्योंकि अभियुक्तगणों के मध्य अवैध संबंध होने के संबंध में घटना से पूर्व न तो कोई पंचायत, न ही कोई शिकायत तथा न ही कोई एफ.आई.आर. हुई है। अवैध संबंध की बात पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 द्वारा अपने बयानों अन्तर्गत धारा-180 बी.एन.एस.एस. में भी नहीं बतायी है। ऐसे में अवैध संबंध का जो हेतुक है, वह संदेहास्पद है।

उक्त का जवाब प्रस्तुत करते हुए अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 के द्वारा अपने बयान 180 बी.एन.एस.एस., एफ.आई.आर. व न्यायालय में दिये गये बयानों में अभियुक्त अमरदीप व रविता के अवैध संबंधों की बात बतायी है तथा बयानों में पंचायत होने की बात भी बतायी है। मात्र पूर्व में एफ.आई.आर. न होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उक्त अवैध संबंधों की बात साक्षी झूठी बता रही हो।

उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर यह साक्ष्य आया है कि पी.डब्लू.1 साक्षी मोनू कश्यप द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में यह लिखा है कि मृतक अमित व अभियुक्त अमरदीप दोस्त थे और अभियुक्त अमरदीप उसके साथ टाईल्स का काम करता था और मुल्जिम अमरदीप के उसके छोटे भाई की पत्नी रविता से अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों को लेकर अक्सर विवाद होता था। साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा उक्त तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित भी किया है। उक्त साक्षी पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप द्वारा अपने न्यायालय में दिये गये बयानों में भी मृतक अमित की पत्नी रविता के अवैध संबंध अभियुक्त अमरदीप से होने की बात बतायी है और यह भी बताया है कि ये लोग बाजार में साथ आते-जाते थे और फोन भी बात करते थे। उक्त साक्षी मोनू कश्यप की जिरह में भी अभियुक्त अमरदीप व रविता के अवैध संबंध होने के संबंध में साक्ष्य आया है। उक्त साक्षी पी.डब्लू.1 मोनू के बयान अवैध संबंधों के संबंध में अखंडित रहे हैं और अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण दर्शित नहीं होता है। बचाव पक्ष का यह कहना कि पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप के बयान 180-

बी.एन.एस.एस. में अवैध संबंध की बात नहीं लिखी है, झूठ है, क्योंकि पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप के धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों का अवलोकन करने पर उसमें यह अंकित है कि अभियुक्तगणों के बीच अवैध संबंध थे। ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क सरासर गलत है। पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप का यह बयान कि अभियुक्त अमरदीप व मृतक की पत्नी रविता के अवैध संबंध थे, विश्वास के योग्य है, जो कि जिरह से खंडित नहीं हुआ है।

पी.डब्लू.2 मृतक की माँ श्रीमती मुनेश द्वारा अपने बयान में बताया है कि अभियुक्त अमरदीप का उसके घर आना-जाना था व बेटा अमित के साथ टाईल्स का काम करता था। अमित की पत्नी रविता का अमरदीप से प्रेम संबंध हो गया था, जिस कारण अमित व रविता में कहासुनी होती रहती थी। हमने कई बार अमरदीप व रविता को समझाया कि तुम दोनों मत मिला करो, घर खराब हो जायेंगे लेकिन नहीं माने। उक्त साक्षी द्वारा यह भी बयान दिया गया कि घटना से एक माह पहले अमरदीप व रविता को अमित के घर में नग्न अवस्था में देखा था और एक दो बार चुमाचाटी करते हुए भी देखा था। जब मैंने दोनों को नग्न अवस्था में देखा था तो अमित ने इसका विरोध किया था। इस बात पर अमरदीप व उसके भाई ने अमित के साथ मारपीट की थी तथा बात थाने तक पहुंच गयी थी। थाने वालों ने अमित की डाक्टरी करायी थी, लेकिन गाँव के प्रधान व कुछ लोगों ने समझौता करा दिया था कि बहु-बेटी की बात है, नाम गन्दा हो जायेगा।

उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा अपने बयानों में अवैध संबंध की बात बतायी है। बचाव पक्ष का यह कहना की धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में अवैध संबंध की बात अंकित नहीं है, वह गलत है, क्योंकि उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 मुनेश के बयान 180 दं.प्र.से. का अवलोकन करने पर भी उसमें यह अंकित है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता के अवैध संबंध थे। ऐसे में बचाव का यह तर्क सरासर गलत है, इसमें कोई बल नहीं है।

बचाव पक्ष का उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 मुनेश के बयानों पर अविश्वास करने के संबंध में यह तर्क दिया है कि साक्षी के बयान 180 में अमरदीप व रविता के नग्न अवस्था में देखने व चुमाचाटी करने की बात नहीं लिखी है। इसलिये यह सारवान वृद्धि है और उक्त साक्षी विश्वास के योग्य नहीं है।

उक्त तर्क के संबंध में यह बात सही है कि पी.डब्लू.2 मुनेश के धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में रविता व अमरदीप को नग्न अवस्था में देखने व चुम्माचाटी करने की बात अंकित नहीं है। विवेचक पी.डब्लू. 8 इन्दु वर्मा द्वारा भी यह बताया गया है कि उक्त बात कि अमरदीप व रविता नग्न अवस्था में देखे व चुम्माचाटी करने की बात पी.डब्लू.2 मुनेश ने नहीं बतायी बतायी थी। परन्तु यह बात संदेह से परे साबित है कि अवैध संबंध कि बात पी.डब्लू.2 मुनेश द्वारा बतायी गयी है। पी.डब्लू.2 द्वारा अवैध संबंध का विस्तृत वर्णन अपने न्यायालय के बयानों में किया है। अवैध संबंध कैसे अवैध होगा, यह उक्त साक्षी द्वारा अपने न्यायालय के बयानों में बताया गया है। अवैध संबंध का वर्णन उक्त साक्षी द्वारा अमरदीप व रविता को एक साथ नग्न अवस्था में देखने व चुम्माचाटी करते हुए के रूप में बताया है। ऐसे में अगर साक्षी द्वारा पूर्व में (180 बी.एन.एस.एस.) केवल अवैध संबंध बताया गया है और उसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है तो यदि न्यायालय में उक्त साक्षी के द्वारा उसका विस्तृत वर्णन करते हुए बताया जाता है तो उसके साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अर्थात् धारा-180 बी.एन.एस.एस. में मात्र अवैध शब्द बताना और न्यायालय में उस अवैध शब्द को अवैध क्यों बताया गया है, इसका वर्णन करना या अवैध क्यों बताया गया, उसका क्या आधार था, इसका वर्णन करना सारवान वृद्धि नहीं माना जा सकता। अवैध शब्द का एक विस्तृत अर्थ होता है, न कि केवल शाब्दिक अर्थ है। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि जैसे किसी साक्षी से पूछा जाये कि ए के पिता कौन है और वह बताता है कि बी, ए का पिता है और न्यायालय में आकर वह बताता है कि बी की शादी ए की माँ से हुई थी और ए की माँ से दामपत्य जीवन निर्वाह के दौरान ए की

उत्पत्ति हुई है, तभी वह ए का पिता हुआ है। ऐसे में पिता कैसे बिना इस तथ्य का विवरण अगर धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में नहीं बताया परन्तु न्यायालय में दिये गये बयानों में बताया है तो यह सारवान वृद्धि की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में उक्त साक्षी अगर उक्त का स्पष्ट वर्णन करते हुए बताता है और पूर्व के बयानों में वह स्पष्ट वर्णन नहीं है तो मात्र इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि साक्षी झूठ बोल रहा है या बयानों में वृद्धि कर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में भी साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा अवैध संबंधों का विस्तृत वर्णन करते हुए कि अवैध संबंध क्या थे, यह न्यायालय में दिये गये बयानों में बताया है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न दर्शित नहीं होता है। उक्त साक्षी शुरू से ही अभियुक्त अमरदीप व रविता के अवैध संबंधों की बात बताते आयी है। अतः न्यायालय में अवैध संबंधों का विस्तृत वर्णन करते हुए न्यायालय में बयान दिया गया है तो उस पर विश्वास किये जाने योग्य है।

बचाव द्वारा यह भी तर्क उठाया है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता के बीच अवैध संबंध होने के संबंध में घटना से पूर्व न तो कोई पंचायत हुई, न ही कोई शिकायत/एफ.आई.आर. हुई। इसलिये साक्षी अवैध संबंधों की बात झूठ बता रहे हैं।

उक्त तर्क के संबंध में अभियोजन के तथ्य के दोनों साक्षी पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप व पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा बताया गया है कि अवैध संबंध की बात को लेकर अमरदीप व अमित के बीच मनमुटाव हुआ था और दिनांक 20.03.25 को अमरदीप व उसके भाई ने अमित की पिटाई की थी। पुलिस आ गयी थी। गाँव वालों ने फैसला करा दिया था। गाँव के प्रधान व अन्य लोगों के कहने पर एफ.आई.आर. नहीं हुई थी, क्योंकि उनका कहना था कि बहु-बेटी की बात है, नाम गन्दा हो जायेगा। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि जब समाज में ऐसी कोई बात होती है तो गाँव वाले व परिवार वाले अपनी इज्जत की खातिर कोई एफ.आई.आर. नहीं कराते हैं। इसीलिये पूर्व में कोई एफ.आई.आर./शिकायत नहीं हुई थी। अतः बचाव का यह तर्क कि

मात्र एफ.आई.आर./शिकायत या पंचायत अवैध संबंधों को लेकर पूर्व में न की गयी हो, इसलिये उक्त साक्षी की बात झूठ है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

बचाव पक्ष के द्वारा हेतुक के संबंध में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता के बीच कोई बातचीत फोन कॉल पर नहीं होती थी। जिस मोबाईल की कॉल डिटेल पत्रावली पर संलग्न है, वह कभी भी अभियुक्त अमरदीप द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया है तथा न ही कथित नंबर अभियुक्त अमरदीप की आई.डी. पर जारी किया गया है। कथित नंबर जिस व्यक्ति के नाम जारी किया गया था, न तो उसको मामले में अभियुक्त बनाया गया है, न ही अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह तथ्य पूर्ण से संदिग्ध है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता की घटना के दिनांक को आपस में कोई बातचीत हुई हो तथा अभियुक्त घटना की दिनांक को घटनास्थल पर मौजूद है। अभियुक्त को मात्र झूठा फंसाने तथा मामला के इंटरनेट पर चर्चित होने के कारण मामले में फर्जी तरीके से अभियुक्त को मुल्जिम बनाया गया है तथा अभियोजन घटना के हेतुक को साबित करने में असफल रहा है।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता के मोबाईल नंबरों की कैफ आई.डी. (कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म) से यह साबित है कि उक्त मोबाईल नं. अमरदीप व रविता ने अपने नाम पर लिये थे और दोनों नंबरों पर आपस में घटना से पूर्व भी और घटना के बाद भी दोनों के द्वारा अनेकों बार बात की गयी है तथा अमरदीप अपने मोबाईल फोन में दो नंबरों का प्रयोग कर रहा था तथा उक्त नंबर अभियुक्त अमरदीप द्वारा अन्य व्यक्ति मोनू की आई.डी. से लिया गया था और एक नंबर अपनी आई.डी. पर लिया गया था। जिस नंबर से अभियुक्त द्वारा रविता से बात की गयी थी। कॉल डिटेल की लंबी समयावधि व एक ही दिन में कई बार बातें करना यह दर्शित करता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और घटना वाले दिन भी दोनों का बातचीत करना और दोनों

की कॉल डिटेल्स व लोकेशन एक ही स्थान पर होना घटना को कारित करना दर्शित करता है।

उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर विवेचक पी.डब्ल्यू.8 इन्दु वर्मा द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि मोबाईल नं. 6399606027, मोबाईल नं. 7818078678 तथा मोबाईल नं. 7819026020 की सी.डी.आर., कैफ आई.डी. व लोकेशन मंगायी गयी थी, जो कि संदिग्ध थी। पी.डब्ल्यू.9 शुभम शर्मा नोडल अधिकारी वोडाफोन-आईडिया ने यह बयान दिया है कि 6399606027 की सी.डी.आर. व कैफ आई.डी. एस.एस.पी.मेरठ के अनुरोध पर डिजीटल हस्ताक्षर करके मेल पर भेजी गयी थी। **मोबाईल नं.- 6399606027 अमरदीप पुत्र सुन्दर, निवासी-अकबरपुर सादात, तहसील-मवाना, मेरठ** के नाम पर है, जिसकी सी.डी.आर. 01.02.2025 से 16.04.2025 तक जारी की गयी थी। पत्रावली पर संलग्न कागज जो एस.एस.पी. मेरठ को भेजा गया था, जिस पर डिजीटल हस्ताक्षर है को प्रदर्श क-24 के रूप में साबित किया गया है तथा **मोबाईल नं. 6399606027 की कैफ कागज संख्या- 39 क/3 ता 39 क/4 है**, जिस पर डिजीटल हस्ताक्षर है, जिसे प्रदर्श क-25 के रूप में साबित किया गया है तथा कैफ व सी.डी.आर. के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र कागज संख्या-39 क/7 ता 39 क/8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-63(4)के अन्तर्गत जारी किया गया था, जिस पर डिजीटल हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, जिसको प्रदर्श क-27 व क-28 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अमरदीप के द्वारा मोबाईल नं. **6399606027** प्रयोग किया जा रहा था और उसकी कैफ आई.डी. फॉर्म अमरदीप के नाम से था तथा कैफ आई.डी. फॉर्म में अभियुक्त अमरदीप का फोटो भी लगा है तथा उक्त साक्षी द्वारा सी.डी.आर. को भी साबित किया गया है।

पी.डब्ल्यू.10 लोकेश कुमार अल्टरनेट नोडल अधिकारी रिलायन्स द्वारा बताया गया कि 7818078678 की सी.डी.आर. व कैफ आई.डी.

एस.एस.पी.मेरठ के अनुरोध पर डिजीटल हस्ताक्षर करके मेल पर भेजी गयी थी। मोबाईल नं.- 7818078778 रविता पत्नी अमित कुमार, निवासी- अकबरपुर सादात, मेरठ के नाम पर है, जिसकी सी.डी.आर. मेरे द्वारा जारी की गयी थी। पत्रावली पर संलग्न कागज जो एस.एस.पी. मेरठ को भेजा गया था। मोबाईल नं. 7818078778 की कैफ कागज संख्या- 30 क/4 ता 30 क/10 है, जिस पर डिजीटल हस्ताक्षर है, जिसे प्रदर्श क-32 के रूप में साबित किया गया है तथा कैफ व सी.डी.आर. के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र कागज संख्या-30 क/2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-63(4)के अन्तर्गत जारी किया गया था, जिस पर डिजीटल हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, जिसको प्रदर्श क-30 के रूप में तथा मोबाईल नं. 7818078778 की सी.डी.आर. 30 क/18 ता 30 क/327, प्रदर्श क-34 के रूप में साबित किया है तथा उक्त मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. 08.01.2025 से 16.04.2025 तक प्रस्तुत की गयी है। उक्त साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता रविता के द्वारा मोबाईल नं. 7818078778 प्रयोग किया जा रहा था और उसकी कैफ आई.डी. फॉर्म रविता के नाम से था तथा कैफ आई.डी. फॉर्म में अभियुक्त रविता का फोटो भी लगा है।

इस प्रकार उक्त दोनों साक्षी पी.डब्लू.9 शुभम शर्मा व पी.डब्लू.10 लोकेश कुमार के बयानों से यह साबित होता है कि अभियुक्त अमरदीप द्वारा मोबाईल नं. 6399606027 वोडाफोन-आईडिया का प्रयोग किया जा रहा था तथा अभियुक्ता रविता द्वारा मोबाईल नं. 7818078778 रिलायंस जियो प्रयोग में लाये जा रहे थे। विवेचक पी.डब्लू.8 इन्दु वर्मा के द्वारा अपने बयानों में यह बयान दिया गया है कि मोबाईल नं. 6399606027 व मोबाईल नं. 7818078778 की सी.डी.आर. व लोकेशन सर्विलांस सेल से मंगवायी गयी थी तथा मोबाईल नं. 6399606027 की सी.डी.आर. का अवलोकन किया गया, जिसमें अभियुक्ता के मोबाईल नं. 7818078778 का आपस में दिनांक

28.03.2025 से 13.04.2025 तक कुल 180 बार वार्ता होना पाया गया, जो अमरदीप पुत्र सुन्दर के नाम की कैफ आई.डी. से प्राप्त हुआ था, उसका अवलोकन भी इन्द्राज सी.डी. किया गया था। अभियुक्ता रविता के मोबाईल नं. 7818078778 की सी.डी.आर. कागज संख्या-10 अ/2 ता 10 अ/35 को देखकर कहा कि यही सी.डी.आर. है, जो विवेचना के दौरान प्राप्त हुआ था, जिसे प्रदर्श क-17 के रूप में साबित किया है तथा अमरदीप के मोबाईल नं. 6399606027 की सी.डी.आर. को प्रदर्श क-19 के रूप में साबित किया है।

इस प्रकार विवेचक पी.डब्लू.8 इन्दु वर्मा व पी.डब्लू.9 शुभम शर्मा व पी.डब्लू.10 लोकेश के द्वारा साबित की गयी दोनों अभियुक्तगणों की सी.डी.आर.(प्रदर्श क-17 व क-19) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श क-17 सी.डी.आर. रविता के मोबाईल नं. 7818078778 से अभियुक्त अमरदीप के मोबाईल नं. 6399606027 पर दिनांक 18 जनवरी 2025 से दिनांक 13 अप्रैल 2025 तक कुल 703 कॉल की गयी है, जिनका समयावधि 3,71,347 सैकेंड बातचीत होना पाया गया है। अमरदीप के मोबाईल नं. 6399606027 से अभियुक्ता रविता के मोबाईल नं. 7818078778 पर प्रदर्श क-18 के अनुसार 15 जनवरी से 22 फरवरी तक 236 बार कुल समयावधि 1,58,655 (एक लाख अठ्ठाह्न हजार छः सौ पचप्पन) सैकेंड और अभियुक्त अमरदीप के मोबाईल नं. 6399606027 से रविता के मोबाईल नं. 7818078778 पर केवल दिनांक 28.03.25 से 13.04.25 तक अर्थात् सौलह दिनों में 180 बार बात हुई है। उक्त समयावधि तथा दोनों का आपस में बात करना यह दर्शित करता है कि इतनी सारी बाते केवल और केवल प्रेम करने वाले ही करते हैं, क्योंकि सामान्यतः कोई भाई-बहन या देवर-भाभी या माता-बेटा इतनी लंबे समय तक बात नहीं करते हैं। सी.डी.आर. में आयी एक ही कॉल की अवधि भी काफी लंबी रही है, जो सिर्फ यह दर्शित करती है कि ऐसी लंबी समय तक बाते करना भाई-बहन, देवर-भाभी में नहीं हो सकता है। केवल

और केवल इतनी लंबी समयावधि प्रेम करने वालों में होती है। ऐसे में उक्त अभियुक्तगणों के कॉल डिटेल्स व सी.डी.आर. से यह साबित होता है कि दोनों के बीच अवैध संबंध था।

जहाँ तक अन्य मोबाईल नं. 7819026020 अभियुक्त अमरदीप के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला दूसरा नंबर बताया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा उक्त नंबर 7819026020 की कैफ आई.डी. में उक्त नंबर मोनू कुमार पुत्र महेन्द्र, जागृति विहार मेरठ की आई.डी. पर था। उक्त नंबर की बात रविता के मोबाईल नंबर 7818078778 पर होती थी। उक्त नंबर अभियुक्त अमरदीप द्वारा अपने नाम से नहीं लिया गया है। जहाँ तक उक्त नंबर अभियुक्त अमरदीप के नाम पर पंजीकृत न होने का प्रश्न है तो जहाँ पर प्रेम प्रसंग जैसे मामले होते हैं, वहाँ अक्सर व्यक्ति दो नंबर रखता है और एक नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या दोस्त के नाम से रखता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी उक्त नंबर अभियुक्त द्वारा मोनू पुत्र महेन्द्र, जागृति विहार, मेरठ के नाम से लिया गया था। इसीलिये नंबर 7819026020 अभियुक्त द्वारा अपने नाम से नहीं लिया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मोबाईल नंबर 7819026020 के साबित न होने पर भी अभियुक्त रविता के स्वयं की कैफ आई.डी. पर लिया गया नंबर 7818078778 व अभियुक्त अमरदीप की स्वयं की आई.डी. पर लिया गया नं. 6399606027 की आपस में घटना से पूर्व बातचीत व घटना वाले दिन बातचीत और सी.डी.आर. में लंबा समयान्तराल तक बातचीत होने के आधार पर अवैध संबंध साबित होता है। भले ही अभियुक्त का दूसरा कथित मोबाईल नंबर 7819026020 साबित न हुआ हो।

इस प्रकार तथ्य के साक्षी पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप, पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश के मौखिक बयानों तथा अभियुक्त अमरदीप व अभियुक्ता रविता के मोबाईल नंबरों की आपस में बातचीत व अनेकों बार बात होना, लंबी बातें होने से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण अमरदीप व रविता के

बीच अवैध संबंध थे। ऐसे में अभियुक्तगण यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगणों अमरदीप व रविता के बीच अवैध संबंध थे।

32. Last seen together (अंतिम बार एक साथ देखा जाना)

बचाव पक्ष द्वारा अंतिम बहस में कथन किया है कि अभियुक्त अमरदीप को अन्तिम बार घटनास्थल पर किसी भी साक्षी द्वारा नहीं देखा गया है। पी.डब्ल्यू.2 जो कि मृतक की माँ है, उसने पहली बार न्यायालय में अन्तिम बार घटनास्थल पर देखे जाने की बात बतायी है, जबकि अपने बयान धारा-180 बी.एन.एस.एस. में अन्तिम बार देखे जाने की बात नहीं बतायी है। ऐसे में लास्ट सीन के संबंध में भी तथ्यों की कड़ी आपस में मेल नहीं खाती है तथा संदेहप्रद है।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि लास्ट सीन का गवाह पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती मुनेश जो की मृतक की माँ है, भले ही पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा धारा-180 बी.एन.एस.एस. में अन्तिम बार देखे जाने वाली बात न बतायी हो, परन्तु न्यायालय में दिये गये बयानों में उक्त कथन का समर्थन किया है तथा उसकी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में किये गये अखंडित रहे हैं।

उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर यह साक्ष्य आया है कि साक्षी पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती मुनेश जो मृतक की माँ है, ने यह बयान दिया है कि "रात के तीन-चार बजे के करीब जब मैं उठी तो जब जानवरों को चारा कर रही थी तो मुझे अमरदीप अमित के घर दिखायी दिया। मैंने अमरदीप को अमित के घर जाते देखा था। मैंने अमरदीप को इसलिये नहीं टोका था कि अमरदीप अमित के घर किसी काम से गया होगा। उसके बाद अमरदीप को अमित के घर से जाते देखा था।" उक्त साक्षी ने आगे यह बताया कि उसके बाद सुबह उसके बेटा मृतक अमित चारपाई से नहीं उठ रहा था तो उसे चारपाई पर मृत पाया गया था। जिरह में उक्त साक्षी द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर उक्त साक्षी का कहना है कि मैंने मुख्य परीक्षा में जो यह बात बतायी है कि जिस रात अमित की मृत्यु हुई थी, उस रात को तीन-चार

बजे के करीब जब मैं उठी तो जब जानवरों को चारा कर रही थी तो मुझे अमरदीप अमित के घर जाता दिखायी दिया। मैंने उसे अमित के घर जाते देखा था। यह बात मैंने दरोगा जी को बतायी थी। अगर दरोगा जी ने उक्त बात मेरे बयानों में नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती।

इस प्रकार उक्त साक्षी के बयानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा अन्तिम बार अभियुक्त अमरदीप को मृतक अमित के घर जाते देखने की बात अपने न्यायालय में दिये गये बयानों में बतायी है, परन्तु धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में नहीं बतायी है। विवेचक पी.डब्लू.8 के द्वारा भी यह बयान दिया गया है कि पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा घटना वाली रात अभियुक्त अमरदीप को अमित के घर आते-जाते देखने की बात नहीं बतायी थी।

उक्त बयान के संबंध में बचाव पक्ष की यह आपत्ति है कि उक्त साक्षी का कथन विश्वास के योग्य नहीं है, संदेहप्रद है, क्योंकि विवेचना के दौरान धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में उक्त बात विवेचक को नहीं बतायी है तथा अन्तिम बार देखे जाने की बात एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो की अभिवृद्धि की श्रेणी में आता है।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में यह बात सही है कि अभियुक्त अमरदीप को घटना वाली रात मृतक के घर आते-जाते देखने की बात उक्त साक्षी द्वारा पहली बार अपनी मुख्य परीक्षा में बतायी गयी है। जब कोई साक्षी मुख्य परीक्षा में कोई नयी व महत्वपूर्ण बात बताता है, जो उसके धारा- 180 बी.एन.एस.एस. पुलिस के दिये गये बयानों में नहीं थी तो न्यायालय उस बयान पर कितना विश्वास कर सकती है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नई बात कितनी महत्वपूर्ण है और उसे किस प्रकार साबित किया गया है। हर नई बात या छूट विरोधाभास नहीं होता। केवल महत्वपूर्ण विरोधाभास या छूट ही गवाहों को पूर्ण या आंशिक रूप से अविश्वसनीय बनाता है। प्रस्तुत प्रकरण में लास्ट सीन के बारे में जो बात उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 के द्वारा बतायी गयी है, वह महत्वपूर्ण है और

प्रासंगिक है और उसका धारा-180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में छूटना विरोधाभास माना जा सकता है। पूरी तरह से नई बात जो जाँच में कभी नहीं बताया गया, उस पर न्यायालय तभी विश्वास कर सकती है, जब उस बात की पुष्टि किसी अन्य तथ्य से भी होती हो। अन्यथा नई बात विश्वास के योग्य नहीं रहती है। प्रस्तुत प्रकरण में पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा अन्तिम बार अभियुक्त अमरदीप को मृतक अमित के घर आते हुए रात करीब तीन-चार बजे के आसपास देखा है। अभियुक्त की उपस्थिति मृतक के घर होने के संबंध में अभियुक्त की मोबाईल की कॉल डिटेल व सी.डी.आर. अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गयी है। घटना दिनांक 12.04.2025 की रात्रि की है। अभियुक्त का मोबाईल नंबर 6399606027 होना साबित है तथा भारतीय साक्ष्य अधि. की धारा-63(4) का प्रमाण पत्र प्रदर्श-27, क-28 के रूप में साबित है। अभियुक्त के मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल सी.डी.आर. प्रदर्श क-19 के रूप में गवाह पी.डब्लू.9 शुभम शर्मा के द्वारा साबित की गयी है। प्रदर्श क-29 के पृष्ठ संख्या-61 पर अभियुक्त के मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल व लोकेशन अंकित है। अभियुक्त के मोबाईल नंबर 6399606027 से अभियुक्ता रविता के मोबाईल नंबर 7818078778 पर दिनांक 12.04.2025 घटना वाली रात को 22 बजकर 7 मिनट 31 सैकेंड पर 69 सैकेंड, 22 बजकर 9 मिनट 43 सैकेंड पर 442 सैकेंड, 22 बजकर 17 मिनट 15 सैकेंड पर 80 सैकेंड, 22 बजकर 21 मिनट पर 273 सैकेंड, 22 बजकर 25 मिनट 50 सैकेंड पर 120 सैकेंड, 22 बजकर 28 मिनट 08 सैकेंड पर 258 सैकेंड, 22 बजकर 34 मिनट 22 सैकेंड पर 9 सैकेंड, बात हुई है। इस प्रकार कुल सात बार में 852 सैकेंड बात घटना वाली रात दिनांक 12.04.25 के 10 बजकर 7 मिनट से लेकर 10 बजकर 34 मिनट तक हुई तथा उक् मोबाईल नंबर का लोकेशन दिनांक 12.04.2025 को खाता नंबर 25 खसरा नंबर 402/4, ग्राम व पोस्ट-अकबरपुर सादात, तहसील-मवाना, जनपद-मेरठ अंकित है। अभियुक्त के मोबाईल नंबर 6399606027 से दिनांक

13.04.2025 को घटना वाली रात अभियुक्त के मोबाईल नंबर 7818078778 पर रात के 01 बजकर 50 मिनट 44 सैकेंड पर 05 सैकेंड बात हुई है, जिसका लोकेशन खाता नंबर 25 खसरा नंबर 402/4, ग्राम व पोस्ट-अकबरपुर सादात, तहसील-मवाना, जनपद-मेरठ है। उक्त कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर अभियुक्त अमरदीप की उपस्थिति मृतक अमित के घर के पास थी। उक्त लोकेशन मृतक अमित की मृत्यु के समय की है, क्योंकि मृतक की मृत्यु रात में लगभग दो से तीन बजे के बीच हुई है। उसी रात अमरदीप व रविता की बात भी रात के 1 बजकर 50 मिनट पर हुई है और लोकेशन भी मृतक के घर की है। उक्त कॉल डिटेल एक दस्तावेजी साक्ष्य है, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य झूठ नहीं बोल सकता है। उक्त कॉल लोकेशन के आधार पर अभियुक्त का मृतक अमित के घर उपस्थित होना साबित है, जो साक्षी पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती मुनेश के इस बयान का समर्थन करता है कि अभियुक्त अमरदीप को मृतक अमित के घर आते-जाते देखा था। ऐसे में पी.डब्ल्यू.2 श्रीमती मुनेश के बयानों का समर्थन उक्त अभियुक्त की मोबाईल की लोकेशन के आधार पर लास्ट सीन संदेह से परे साबित होता है कि अभियुक्त दिनांक 12.04.25 की रात्रि में मृतक अमित के घर गया था।

बचाव पक्ष द्वारा लास्ट सीन के संबंध में सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डी.डब्ल्यू.3 बचाव साक्षी गौरव प्रस्तुत कराया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि वह ग्राम- बसतौरा नारंग का रहने वाला है। दिनांक 12.04.25 को अमरदीप गाँव-बसतौरा नारंग आया था और बताया कि 5-6 बजे तक अमरदीप से मिला था और रात्रि 10 बजे तक अमरदीप उसके साथ रहा। उस दिन रात को अमरदीप उसी के गाँव में रहा और दिनांक 13.04.2025 की सुबह को आठ-नौ बजे के बाद अमरदीप से फिर मिला था। उक्त साक्षी द्वारा दिनांक 12.04.25 की शाम पाँच बजे से लेकर दिनांक 13.04.25 की सुबह आठ-नौ बजे तक उसके गाँव बसतौरा नारंग में होना बताया है और

उसका गाँव अमरदीप के गाँव- अकबरपुर सादात से करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होना बताया है और एक से डेढ़ घंटे की दूरी पर होना जिरह में बताया है, परन्तु उक्त साक्षी का बयान विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त की कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर उसका दिनांक 12.04.25 की शाम 07.30 बजे से लेकर रात के 10.30 बजे तक, फिर दिनांक 13.04.25 की रात के 01 बजकर 50 मिनट पर भी ग्राम-अकबरपुर सादात में होना पाया गया है। दिनांक 13.04.25 के समय 08 बजकर 40 मिनट पर भी अभियुक्त अमरदीप की लोकेशन ग्राम-अकबरपुर सादात की होना पाया गया था। अभियुक्त अमरदीप की लोकेशन गाँव बसतौरा नारंग नहीं आयी है। ऐसे में उक्त साक्षी के द्वारा जो लास्ट सीन के समय अभियुक्त अमरदीप का उसके गाँव बसतौरा नारंग में होने का कथन किया गया है, वह झूठ है। बचाव पक्ष के साक्षी डी.डब्लू.3 गौरव का बयान विश्वसनीय नहीं है।

इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त अमरदीप की उपस्थिति घटना वाली रात 01 बजकर 50 मिनट पर मृतक अमित के घर संदेह से परे साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश व दस्तावेजी साक्ष्य सी.डी.आर. की लोकेशन प्रदर्श क-29 के पृष्ठ संख्या-61 पर अभियुक्त के मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है और अन्तिम बार अभियुक्त अमरदीप का मृतक अमित के घर जाना साबित हुआ है।

इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अभियोजन द्वारा दी गयी निम्न विधि व्यवस्था अवलोकनीय है-

- 1- स्टेट आफ गोवा बनाम पाण्डु रंग मोहिते ए आई आर 2009 एस 0 सी 1066 ए
- 2- रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश 2006 (410) एस सी सी 172 एवं 3- स्टेट आफ यू० पी० बनाम सतीश 2005 (3) एस सी सी 114

4– Niranjan Panja Vs.. State of W.B, (2010) 6 SCC 525

5– Vithal Eknath Adlinge Vs. State of Maharashtra, AIR 2009 SC 2067 में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि–

“Circumstances of "last seen together" do not by themselves and necessarily lead to the inference that it was accused who committed the crime. There must be something more establishing connectivity between the accused and the crime. The time gap between last seen alive and the recovery of dead body must be so small that the possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible.”

“Time gap between last seen & death: The last seen theory comes into play where the time–gap between the point of time when the accused and the deceased were seen last alive and when the deceased is found dead is so small that possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible. It would be difficult in some cases to positively establish that the deceased was last seen with the accused when there is a long gap and possibility of other persons coming in between exists. In the absence of any other positive evidence to conclude that the accused and the deceased were last seen together, it would be hazardous to come to a conclusion of guilt in those cases. Where prosecution depends upon theory of "last seen together" it is always necessary that prosecution should establish time of death.”

बचाव पक्ष द्वारा लास्ट सीन के संबंध में विधि व्यवस्था बलिया उर्फ बाल किशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2013(1) जे.क्रिम.102 एस.सी. में यह अवधारित किया गया है कि केवल आखिरी बार देखे जाने के कथनों को स्थापित करने से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि प्रशगत अभियुक्त कीधारा-302 भा.दं.सं. अपराध के लिए उत्तरदायित्व है।

अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखने से यह निष्कर्ष आवश्यक है कि वह अभियुक्तगण ही थे, जिसने अपराध कारित किया था। अपराध व अभियुक्तगण के मध्य जुड़ाव होना चाहिए। मृतक को जीवित देखने व मृतक के शव की बरामदगी के मध्य कम से कम समय होना चाहिए। अंतिम बार जीवित देखे जाने और शव बरामद होने के बीच का समय अंतराल इतना कम होना चाहिए कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध को अंजाम देने की संभावना असंभव हो जाए। जहां अभियोजन “अंतिम बार एक साथ देखे जाने” के सिद्धांत पर निर्भर करता है, वहां अभियोजन पक्ष के लिए मृत्यु का समय स्थापित करना हमेशा आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के कथित लास्ट सीन के गवाह पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश के द्वारा अभियुक्त अमरदीप को मृतक अमित के घर आते हुए देखा था तथा इस बात का पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य कॉल डिटेल व सी.डी.आर. लोकेशन से भी हुई है, क्योंकि अभियुक्त अमरदीप घटना की रात लगभग दो बजे (रात के 1 बजकर 50 मिनट पर) उसी स्थान पर था और अभियुक्त अमरदीप के जाने के पश्चात सुबह साक्षी का बेटा मृत अवस्था में मिला है। घटना होने व अभियुक्त का मृतक के घर से जाने का समयान्तराल काफी कम समयान्तराल है, जो कि बहुत नजदीक का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का समय एक से आधा दिन होना पाया गया है, जो कि मृतक की मृत्यु व अभियुक्त के उस स्थान पर एक साथ होने के समय से मेल खाता है। ऐसे में उक्त समयान्तराल कम होने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्तगण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य कारण से घटना घटित नहीं हुई है। अतः अभियोजन

के उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह साबित करने में संदेह से परे सफल रहा है कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतक व अभियुक्तगण एक साथ थे। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था लास्ट सीन के संबंध में लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में मात्र लास्ट सीन ही नहीं है, बल्कि घटना का हेतुक भी साबित हुआ है तथा बरामदगी भी साबित हुई है। ऐसे में प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाएं इस मामले में लागू नहीं होती है।

33. फर्द बरामदगी

बरामदगी के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क उठाया गया है कि प्रस्तुत मामले में जिस साँप की बरामदगी मृतक के पास से दर्शायी है, वह संदिग्ध है। पत्रावली पर प्रश्नगत साँप के संबंध में कोई फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी संलग्न नहीं है, न ही साँप खरीदे जाने के संबंध में पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार तथा पी.डब्लू.4 प्रीतमनाथ द्वारा कोई संतोषजनक कथन किया गया है कि किस स्थान पर साँप खरीदा था, साँप खरीदने का लेनदेन किस प्रकार हुआ, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा न ही प्रश्नगत साँप को न्यायालय में पेश किया गया है। मृतक के पास से पकड़े गये साँप को वन में छोड़ने के संबंध में भी साक्षियों के बयानों में सारवान विरोधाभास है। ऐसे में मामले में मृतक के पास से जो साँप की बरामदगी दर्शायी गयी है, वह बरामदगी संदिग्ध है।

उक्त के संबंध में अभियोजन द्वारा तर्क का जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार व पी.डब्लू.4 प्रीतमनाथ ने अभियुक्त अमरदीप द्वारा साँप खरीदना अपने बयानों में बताया है तथा मृतक के पास से साँप की बरामदगी साक्षी पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा साबित की गयी है। जहाँ तक फोटो व वीडियोग्राफी की बात है तो फोटोग्राफ व वीडियो न होने से साँप की बरामदगी को झूठा

नहीं माना जा सकता क्योंकि बरामदगी को स्वतंत्र चक्षुदर्शी द्वारा साबित किया गया है।

उक्त के संबंध में पत्रावली पर यह साक्ष्य आया है कि अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार ने यह बयान दिया है कि वह सपेरा है और साँप पकड़ने का काम करता है। अभियुक्त अमरदीप आज से लगभग सात महीने पहले मेरे घर आया था और जागरण के लिये घोड़ापछाड साँप मांगा था। तब मेरे नाना जी ने जो एक साँप पकड़ा था, उसे थैले में रखकर अमरदीप को दे दिया था और अमरदीप ने अपनी मर्जी से एक हजार रुपये दिये थे तथा पूजा के बाद वापस करना कहा था। अमरदीप ने साँप वापस नहीं किया जो कि पूजा के लिये कहकर लिया था। हाजिर अदालत अमरदीप की पहचान की है और बताया है कि यही व्यक्ति साँप लेकर गया था। साक्षी द्वारा जिरह में बताया गया है कि मैंने अपने जीवन में अमरदीप के अलावा किसी को साँप नहीं दिया। पी.डब्लू.4 प्रीतमनाथ ने भी बयान दिया है कि आज से छः-सात महीने पहले कृष्ण मुझसे एक घोड़ा पछाड साँप लेकर गया था और कहा था कि किसी को जागरण में देना है। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों के बयानों का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अमरदीप जागरण करने के नाम पर हजार रुपये देकर साक्षी पीडब्लू.3 कृष्ण से साँप लेकर आया था। अभियोजन के उक्त साक्षियों की यह साक्ष्य कि अभियुक्त अमरदीप को साँप दिया था, जिरह में अखंडित रहे है।

बचाव पक्ष द्वारा पी.डब्लू.4 साक्षी प्रीतमनाथ के बयान को इस आधार पर अविश्वसनीय होना कथन किया गया है कि उक्त साक्षी चार-पाँच साल से चलने-फिरने में असमर्थ होना जिरह में बताया है, जिसके कारण कोई साँप नहीं पकड़ा है, परन्तु मात्र इस आधार पर कि चार-पाँच साल से कोई साँप नहीं पकड़ा है का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि सपेरे प्रीतमनाथ के पास पहले से ही ऐसा साँप न हो। उक्त साक्षी द्वारा जिरह या मुख्य परीक्षा में इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि उसके पास घोड़ापछाड साँप नहीं था। उक्त साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि

उसके पास घोडापछाड साँप था, जिसे उसने पी.डब्लू.3 कृष्ण को दिया था। ऐसे में मात्र इस आधार पर उक्त साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। उक्त साक्षी का साक्ष्य विश्वास के योग्य है। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य से यह बात संदेह से परे साबित होती है कि अभियुक्त अमरदीप ने घोडापछाड साँप साक्षी पी.डब्लू.3 कृष्ण से खरीदा था।

बचाव पक्ष का यह तर्क कि प्रश्नगत साँप की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा यह बयान दिये गये हैं कि उनके पास गाँव-अकबरपुर सादात से दिनांक 13.04.25 को छः-सात बजे के करीब विजयपाल का फोन आया था, कि एक लड़के के पास है, तो वहाँ जाकर हम दोनों ने अमित के नीचे से साँप को पकड़ा था। साक्षी पीडब्लू.11 सुखपाल ने अमित को उठाया था तथा पिन्टू पी.डब्लू.12 ने साँप को पकड़ा था। वह साँप घोडापछाड था। जब साँप को उठाया था, तब अमित की मृत्यु हो चुकी थी। साँप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर अमित के घरवालों को दे दिया था। इस प्रकार अभियोजन के दोनों साक्षियों पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा गाँव अकबरपुर सादात में मृतक अमित की चारपाई से घोडापछाड साँप पकड़ना तथा उसे पकड़कर मृतक अमित के घरवालों को डिब्बे में रखकर देने की बात बतायी है। उक्त दोनों साक्षी जनता के स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी हैं और मृतक की चारपाई पर साँप की बरामदगी को संदेह से परे साबित किया है, कोई भी खंडन साँप बरामदगी के संबंध में नहीं हुआ है। उक्त साक्षी विश्वास के योग्य हैं और अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ है।

बचाव पक्ष का यह तर्क है कि साँप को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, न ही उसकी कोई फोटोग्राफ न्यायालय में पेश की गयी है। जिससे यह दर्शित हो कि प्रश्नगत साँप मृतक के पास चारपाई पर मिला हो और अभियोजन कथानक सही हो।

प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष का यह कहना कि साँप को न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। उक्त चीज (साँप) ऐसी नहीं है कि उस पर न्यायालय की मोहर लगाकर सील लगाकर कैद कर लिया जाये और जब न्यायालय में साक्ष्य हो तो उसे पेश किया जाये। इसलिये न्यायालय में साँप पेश न करना मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि साँप की बरामदगी मृतक की चारपाई से न हुई हो। जहाँ तक फोटो व वीडियोग्राफी की बात है तो वह पेश नहीं की गयी है, तो यह भी ऐसा तथ्य नहीं है कि प्रशगत साँप की बरामदगी को झूठा साबित कर दे, क्योंकि तथ्य के दोनों चक्षुदर्शी साक्षी जिन्होंने मौके पर जाकर साँप को पकड़ा है, उन्होंने साँप को पकड़ना संदेह से परे अपने बयानों में साबित किया है। दोनों चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा मृतक की चारपाई पर साँप को पकड़ना साबित किया है। ऐसे में बरामदगी को केवल फोटो या वीडियो पत्रावली पर न होने के आधार पर संदेहप्रद नहीं माना जा सकता। अतः अभियोजन साँप बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। उक्त साक्षियों के बयानों से यह साबित हुआ है कि मृतक के पास जो घोडापछाड साँप पाया गया था, वह अभियुक्त अमरदीप द्वारा पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार से खरीदा गया था।

34. साक्षियों के साक्ष्य व उनकी विश्वसनीयता

बचाव पक्ष द्वारा अन्तिम बहस में तर्क प्रस्तुत किया है कि साक्षी हितबद्ध साक्षी है, इसलिये उनका साक्ष्य ग्राह्य नहीं है और विश्वास के योग्य नहीं है तथा अन्य साक्षी के बयान भी विश्वसनीय नहीं है।

अभियोजन का उक्त तर्क के संबंध में जवाब है कि भले ही साक्षी हितबद्ध हो, परन्तु उनका साक्ष्य विश्वसनीय है। अन्य साक्षी भी विश्वसनीय है।

उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर मृतक के परिवार के दो साक्षी पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप भाई व पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश मृतक की माँ,

प्रस्तुत हुए हैं। उक्त दोनों साक्षी भले ही परिवार के हो, परन्तु उक्त दोनों साक्षियों ने अपने बयानों में केवल इतना बताया है कि मृतक अमित दिनांक 13.04.25 की सुबह जब उसे उठाया गया तो उसकी चारपाई पर साँप लेटा हुआ था और उसकी मृत्यु हो गयी थी। जिसकी तहरीर पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप ने लिखायी थी। उक्त दोनों साक्षियों द्वारा यह बयान दिया है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता के अवैध संबंध थे और शक के आधार पर रिपोर्ट लिखायी गयी थी। किसी ने हत्या करते हुए नहीं देखा है। पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश के द्वारा भी किसी को हत्या करते न देखने का कथन किया है, सिर्फ अभियुक्त अमरदीप व अभियुक्ता अमरदीप के अवैध संबंध की बात बतायी है। उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश के द्वारा अभियुक्त अमरदीप को घटना वाली रात मृतक अमित के घर आते हुए देखने की बात बतायी है। जिस पर बचाव पक्ष द्वारा उसके साक्ष्य पर अविश्वास होना बताया है, परन्तु इस निर्णय में उपरोक्त आपत्ति के संबंध में किये गये विश्लेषण के आधार पर उक्त साक्षी की बात का समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य कॉल लोकेशन व सी.डी.आर. से समर्थन हुआ है। ऐसे में उक्त साक्षी के बयान भी विश्वसनीय है। ऐसे में भले ही दोनों साक्षी हितबद्ध साक्षी हो, परन्तु उक्त साक्षिगणों के बयान विश्वास के योग्य है।

उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश के बयानों के इस आधार पर अविश्वास करने का तर्क बचाव पक्ष द्वारा उठाया गया है कि अभियुक्त अमरदीप व रविता घटना से एक दिन पहले शाकुंबरी देवी प्रसाद चढ़ाने एक साथ गये थे, जबकि पी.डब्लू.1 का कहना है कि शाकुंबरी देवी अभियुक्त अमरदीप नहीं बल्कि अमित व रविता गये थे। ऐसे में उक्त साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है।

यह बात सही है कि पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश द्वारा घटना से एक दिन पहले अभियुक्त अमरदीप व रविता को शाकुंबरी देवी प्रसाद चढ़ाने का कथन किया है। जबकि पी.डब्लू.1 ने अमित व रविता को शाकुंबरी देवी जाने व प्रसाद चढ़ाने का कथन किया है। पी.डब्लू.2 के बयान 180

बी.एन.एस.एस. में भी अमित व रविता के शाकुंबरी देवी जाने व प्रसाद चढ़ाने का कथन है, न कि अभियुक्त अमरदीप व रविता का। ऐसे में उक्त तथ्य के संबंध में साक्षी का कथन अविश्वसनीय है। परन्तु उक्त कथन घटना वाली रात का नहीं है, जो कि अभियोजन कथानक को समाप्त कर दे। उक्त विरोधाभास महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, तुच्छ विरोधाभास है। जिसके संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं अवलोकनीय हैं—

1. गोवर्धन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025) एस.सी.सी. 378

2. धनपाल बनाम एन.सी.टी. दिल्ली (2020) प्रस्तुत की गयी।

उक्त विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि किसी गवाह की गवाही में विरोधाभास होने पर भी केवल कुछ सामान्य स्वाभाविक या मामूली विरोधाभासों, असंगताओं, अतिशयोक्ति, अलंकरणों आदि के आधार पर उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। महत्वपूर्ण विसंगति और सामान्य विसंगति में अन्तर यह है कि मामूली विश्वसनीयता किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करती है, जबकि महत्वपूर्ण विसंगतियाँ ऐसा करती हैं।

3. विधि व्यवस्था सूच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2003) में भी यह अवधारित किया गया है कि किसी गवाह की गवाही में सामान्य विरोधाभास किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अमरदीप व रविता शाकुंबरी देवी प्रसाद चढ़ाने गये थे या नहीं गये थे, यह तथ्य ऐसा नहीं है कि वह अभियोजन की कहानी की झूठला सके। उक्त विरोधाभास एक सामान्य विरोधाभास है। इससे अभियोजन प्रकरण साबित या ना साबित नहीं होता है। केवल अमित की जगह अमरदीप को जाना बताना उक्त साक्षी के बयान को झूठा होना बताता है, कि उक्त साक्षी द्वारा इस संबंध में झूठा कथन किया है।

भारतीय विधि का यह सिद्धान्त है कि एक बात झूठ तो सब बात झूठ भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू नहीं होती है। इस संबंध में निम्न विधि

व्यवस्था है (i) Ravasaheb Vs. State of Karnataka, (2023) 5 SCC 391 (Three-Judge Bench)

(ii) State of AP Vs. Pullagummi Kasi Reddy Krishna Reddy, (2018) 7 SCC 623.-

Doctrine of "falsus in uno, falsus in omnibus" not applicable in Indian judicial system: In India doctrine of falsus in uno, falsus in omnibus does not apply. "Maxim 'falsus in uno, falsus in omnibus' is not applicable in 10 India. It is merely a rule of caution. Thus even if a major portion of evidence is found to be deficient, in case residue is sufficient to prove the guilt of an accused, notwithstanding acquittal of number of other coaccused persons, his conviction can be maintained. The court has to separate grain from chaff and appraise in each case as to what extent the evidence is acceptable. If separation cannot be done, the evidence has to be rejected in toto. A witness may be speaking untruth in some respect and it has to be appraised in each case as to what extent the evidence is worthy of acceptance and merely because in some respects the court considers the same to be insufficient for placing reliance on the testimony of a witness, it does not necessarily follow as a matter of law that it must be disregarded in all respects as well. Falsity of particular material witness on a material particular would not ruin it from the beginning to end. The aforesaid dictum is not a sound rule for the reason that one hardly comes across a witness whose evidence does not contain a grain untruth or at any rate exaggeration, embroideries or embellishment."

ऐसे में उक्त साक्षी द्वारा उक्त अगर कोई बात अभियोजन कथानक से इतर बोल दी गयी है तो उक्त साक्षी का सम्पूर्ण बयान अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। अतः उक्त साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश का बयान अन्य बातों के साक्ष्यों के संबंध में विश्वसनीय है।

अभियोजन के अन्य साक्षी पी.डब्लू.3 कृष्ण व पी.डब्लू.4 प्रीतमनाथ जो कि जनता के गवाह हैं, हितबद्ध साक्षी नहीं हैं के द्वारा इस बात का साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्त अमरदीप द्वारा पी.डब्लू.3 कृष्ण कुमार से जागरण के बहाने साँप खरीदा गया था। अभियुक्त की पहचान उक्त दोनों

साक्षी सपेरे लोगों ने की है। उक्त साक्षी के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण दर्शित नहीं हुआ है। उक्त गवाह का न तो अभियुक्तगणों से कोई रंजिश है, न ही कोई अन्य कारण है, जो साक्षी झूठी गवाही देंगे। ऐसे में उक्त साक्षी विश्वसनीय है।

साक्षी पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्दू जो कि स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी साँप बरामदगी के साक्षी है। उक्त दोनों साक्षी द्वारा दिनांक 13.04.25 को मृतक अमित की चारपाई से साँप की बरामदगी को अपने बयानों में साबित किया है तथा उनके साक्ष्य में कोई विरोधाभास दर्शित नहीं हुआ है। दोनों साक्षी स्वतंत्र निष्पक्ष साक्षी है, जिनकी कोई दुश्मनी अभियुक्तगणों से नहीं है। ऐसे में उक्त साक्षीगणों के बयानों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

अन्य साक्षीगण पी.डब्लू.9 शुभम शर्मा व पी.डब्लू.10 लोकेश कुमार अभियुक्त अमरदीप व अभियुक्ता रविता के मोबाईल नंबरों की कॉल डिटेल, सी.डी.आर. तथा कैफ के गवाह है, जिनके द्वारा घटना से पूर्व दोनों लोगों की आपस में बातचीत तथा घटना वाली रात में दोनों के बीच आपस में बातचीत और लोकेशन को साबित किया है। ऐसे में उक्त साक्षी के बयानों पर अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अन्य औपचारिक साक्षीगण पी.डब्लू.5 उप.निरीक्षक पंकज गौतम पंचायतमनामा के गवाह व पी.डब्लू.6 कां. क्लर्क रामप्रवेश एफ.आई.आर. साक्षी, पी.डब्लू.7 डाक्टर कपिल गर्ग पोस्टमार्टमकर्ता व पी.डब्लू.8 इन्दु वर्मा जो कि मामले की विवेचक है के द्वारा पुलिस प्रपत्रों को साबित किया गया है।

ऐसे में अभियोजन के समस्त साक्षीगण विश्वसनीय है।

बचाव द्वारा बचाव में बचाव साक्षी डी.डब्लू.1 इन्द्रपाल प्रस्तुत किया गया है, जो कि अभियुक्त अमरदीप का सगा चाचा है। उक्त साक्षी के द्वारा केवल इतना साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 13.04.25 को अमित बेहोश पड़ा था और उसके घरवाले उसे अस्पताल लेकर गये थे। उक्त साक्षी द्वारा यह बयान दिया गया है कि मृतक अमित व उसके भाई मोनू में जमीन को

लेकर विवाद रहता था। उक्त साक्षी द्वारा स्वयं यह भी बताया है कि विवाद की बात कभी मुझे नहीं बतायी। ऐसे में उक्त साक्षी का यह कहना की गाँव में चर्चा सुनी थी, एक हेयरसे एवीडेंस है, जो कि साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में उक्त साक्षी के साक्ष्य से कोई विशेष लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है।

बचाव साक्षी डी.डब्लू.2 रविन्द्र भी अभियुक्त अमरदीप का सगा चाचा है, जिसके द्वारा यह बयान दिया गया है कि घटना से तीन चार माह पहले अभियुक्त अमरदीप की मोनू व उसके भाई संदीप से मामूली बात पर झगडा हो गया था, जिसका फैसला गाँव वालों ने करा दिया था। मोनू व उसके परिवार वाले अमरदीप से रंजिश मानते थे। अमरदीप का अमित के घर आना-जाना नहीं था। अमरदीप खुली मजदूरी करता था। कभी-कभी अमित के बुलाने पर उसके साथ भी मजदूरी कर लेता था। मुझे मालूम हुआ कि अमित की मृत्यु दिनांक 13.04.25 को हो गयी है। अमरदीप अपने मामा गाँव बसतौरा एक दिन पहले चला गया था। दिनांक 13.04.25 के शाम तीन से चार बजे के करीब गाँव आया था। जिरह में उक्त साक्षी द्वारा कहा गया है कि अमित व अमरदीप का कोई झगडा नहीं हुआ था। मेरा घर अमरदीप व अमित के घर से एक किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं पता कि अमित के घर कौन-कौन आता था। ऐसे में उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षा व जिरह का मूल्यांकन करने पर यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि अमित के घर कौन आता-जाता था। उक्त साक्षी द्वारा स्वयं कहा गया है कि मृतक अमित व अमरदीप में झगडा नहीं था। उक्त साक्षी द्वारा जो घटना वाले दिन दिनांक 12.04.25 को अभियुक्त अमरदीप को अपने मामा के गाँव बसतौरा में रहने का कथन किया है, वह अभियुक्त के मोबाईल की कॉल डिटेल् की लोकेशन से मेल नहीं खाता है। अभियुक्त की मोबाईल की लोकेशन दिनांक 12.04.25 की रात व दिन की ग्राम-अकबरपुर सादात की थी। जहाँ तक मृतक के भाई मोनू व अभियुक्त अमरदीप की आपस में झगडे के कारण दुश्मनी की बात है तो कोई भी भाई

अपने भाई को मारकर किसी अन्य व्यक्ति को दुश्मनी के कारण नहीं फंसायेगा। अगर दुश्मनी के कारण बदला ही लेना होगा तो वह अपने भाई को क्यों मारेगा, जिससे दुश्मनी है उसी को मारेगा। ऐसे में यह कह देने मात्र से कि मोनू की अमरदीप से रंजिश थी, इसलिये अमरदीप को झूठा फंसा दिया, उक्त तर्क साबित नहीं होता है। ऐसे में उक्त साक्षी की बयान विश्वास के योग्य नहीं है तथा उक्त साक्षी के बयान से अभियुक्त को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता।

डी.डब्ल्यू.3 गौरव के द्वारा अभियुक्त अमरदीप के संबंध में प्ली ऑफ एलीबाय का बचाव प्रस्तुत किया है और कहा है कि अभियुक्त अमरदीप दिनांक 12.04.25 को करीब पाँच-छः बजे उसके गाँव बसतौरा नारंग में मिला था और दोनों रात के दस बजे तक गाँव बसतौरा में रहे। फिर उसके बाद वह घर जाकर सो गया। अमरदीप उस दिन रात को हमारे गाँव में ही रहा और दिनांक 13.04.25 की सुबह को करीब आठ-नौ बजे के बीच अमरदीप से मिला था और उसके गाँव की दूरी अमरदीप के गाँव से तीस-पैंतीस किलोमीटर दूर की है। परन्तु उक्त साक्षी का प्ली ऑफ एलीबाय के संबंध में यह कहना कि दिनांक 12.04.25 की रात को अभियुक्त अमरदीप गाँव बसतौरा में था, अभियुक्त के मोबाईल की लोकेशन से मेल नहीं खाता है। क्योंकि अभियुक्त के मोबाईल की लोकेशन घटनास्थल ग्राम-अकबरपुर सादात की आयी है। ऐसे में साक्षी झूठे बयान दे रहा है और प्ली ऑफ एलीबाय साबित नहीं होता है।

ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तीनों साक्षियों के बयानों से अभियोजन कहानी पर लैशमात्र संदेह भी उत्पन्न नहीं होता है। अभियोजन की कहानी उक्त साक्षियों के बयानों से खंडित नहीं होती है।

35. बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि घटनास्थल वादी के घर का है तथा चारो तरफ व्यक्ति सो रहे थे। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी की गला घोटकर मृत्यु करेगा तो व्यक्ति अपने बचाव में शोर मचायेगा और

आसपास के लोग जाग जायेंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में धारा-106 विशेष तथ्य जो अभियुक्तगण के ज्ञान में होते हैं, वह अभियुक्तगण के विरुद्ध लागू नहीं होता है।

उक्त तर्क के संबंध में यह है कि यह बात सही है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आयेगा, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति सो रहे हो और गला घोटकर हत्या करके चला जाये, तो ऐसा संभव नहीं है। यह केवल तभी संभव हो सकता है, जब घर का कोई व्यक्ति मिला हो, जिसे देखकर मृतक शोर न मचाये और जब शोर मचाने की स्थिति में आये, तब तक वह हत्यारों की पकड़ में आ जाये। प्रस्तुत प्रकरण में भी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आया था, बल्कि मृतक की स्वयं की पत्नी अभियुक्त के साथ मिलकर घटना कारित की है। गले व चेहरे पर जिस तरह खरोच के निशान हैं, वो यह दर्शित करते हैं कि मृतक का मुँह बंद किया गया था तथा गला दबाकर उसकी हत्या की गयी थी, जो कि एक व्यक्ति का काम नहीं है। मृतक के शरीर गर्दन व चेहरे पर जो खरोच के निशान आये हैं, उसके संबंध में पोस्टमार्टमकर्ता डाक्टर द्वारा भी यही अभिमत दिया गया है कि उक्त प्रकार की चोटें केवल तभी कारित हो सकती हैं, जब कोई व्यक्ति नाक, मुँह दबाये। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त चोटें एक ही व्यक्ति द्वारा कारित किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति घटना कारित करता तो वह केवल गला दबा पाता, परन्तु मुँह बन्द नहीं कर पाता। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की चीख इसीलिये सुनायी नहीं दी है, क्योंकि उसका मुँह भी दबाया गया है। इसीलिये मृतक अमित की हत्या उसी के घर पर कारित करने का हेतुक/मोटिव उसकी पत्नी रविता व उसके प्रेमी अमरदीप के पास था। उसकी पत्नी व प्रेमी की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित हुई है और मृतक उसके घर में मृत पड़ा है और मृतक के पास अभियुक्त का खरीदा हुआ साँप भी मृतक के पास मिला है। ऐसे में यह अभियुक्त अमरदीप पर 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भार था कि उनके द्वारा खरीदा गया साँप मृतक की चारपाई पर कैसे मिला और मृतक की हत्या के समय अभियुक्त अमरदीप के

द्वारा खरीदा गया साँप और अभियुक्त घटनास्थल पर क्या कर रहा था और घटना के समय रात में अभियुक्त अमरदीप से अभियुक्ता रविता की लगातार बात हो रही थी। अभियुक्ता रविता पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 का भार इसलिये है कि उसके पति की हत्या के समय उसका प्रेमी अमरदीप व उसके प्रेमी के द्वारा खरीदा गया साँप घटनास्थल पर क्या कर रहा था। जिसका कोई भी स्पष्टीकरण दोनों अभियुक्तगणों के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिये अभियुक्तगण द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देना उनके विरुद्ध जाता है।

36. बचाव पक्ष के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता रविता व अभियुक्त घटना कारित होने के बाद भी अपने-अपने घर गाँव में रहे तथा घर से फरार नहीं हुए। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह हत्या करने के बाद फरार हो जाता है या फिर छिपता है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण फरार नहीं हुए।

उक्त के संबंध में अभियोजन का जवाब है कि उक्त घटना योजनबद्ध तरीके से की गयी थी। इसलिये अभियुक्तगण फरार नहीं हुए हैं।

उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली पर यह साक्ष्य आया है कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी चारपाई पर साँप पाया गया था। जिसके आधार पर उसके घरवालों द्वारा सर्वप्रथम यह माना कि उसकी हत्या सर्पदंश से हुई है, जिसके इलाज के लिये परिवार के लोग उसको इलाज हेतु गुलावटी, बुलन्दशहर लेकर गये। बाद में फिर वो लोग पी.एल.शर्मा अस्पताल लेकर आये। जहाँ पर डाक्टर ने पोस्टमार्टम करने के पश्चात यह पाया था कि मृतक की मृत्यु गला दबाने से हुई है, साँप के काटने से नहीं। क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में साँप के काटने से मृत्यु दिखाकर लोगों को भ्रम में रखा गया। ऐसी योजना बनायी गयी थी। योजना बनाने के कारण ही सब लोगों को ऐसा लगे की मृतक की मृत्यु साँप के डसने से हुई है, इसीलिये अभियुक्ता रविता व अभियुक्त अमरदीप घर से फरार नहीं है, ताकि लोगों का शक उन पर न

आये। जब कोई हत्या योजनाबद्ध तरीके से की जाती है तो हत्यारा हमेशा वहीं उपस्थित रहता है और सब लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा ही हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने गोली मारकर या चाकू घोपकर हत्या कर दी हो और घटना करते हुए किसी ने उसे देखा हो और फिर भी वह मौके पर ही रुका रहा हो। प्रस्तुत प्रकरण बकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, इसीलिये अभियुक्तगण मौके से फरार नहीं हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि जब मृतक के घरवाले उसे साँप के इलाज के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिये सहमत हुए तो मृतक की पत्नी रविता द्वारा इस बात का विरोध किया गया। पी.डब्लू.1 द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट रूप से बताया है कि मेरे मृतक भाई की पत्नी ने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा था कि पोस्टमार्टम मत कराना नहीं तो रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ भी लिखायी जायेगी। ऐसे में अभियुक्ता रविता द्वारा पोस्टमार्टम कराये जाने का विरोध करना यह दर्शित करता है कि वह यह जानती थी कि अगर पोस्टमार्टम कराया जायेगा तो हत्या का सही कारण पता चल जायेगा, इसीलिये वह इसका विरोध कर रही थी। अभियुक्ता के आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-8 के तहत अपराध करने के पश्चात पश्चातवृत्ति आचरण की श्रेणी में आता है, जो कि सुसंगत है। ऐसे में अभियुक्तगणों का यह आचरण सुसंगत है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन करता है। उक्त विश्लेषण के आधार पर बचाव पक्ष का यह तर्क खंडित किये जाने योग्य है।

37. अभियुक्तगणों पर बी.एन.एस. की धारा-238 का आरोप भी विरचित किया गया है, जिसके संबंध में अभियोजन के गवाह पी.डब्लू.1 मोनू कश्यप व पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश, पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा यह बयान दिया गया है कि मृतक अमित की चारपाई पर घोडापछाड साँप बैठा हुआ था और ये लोग भ्रम में पड गये थे कि शायद इसी ने मृतक को काटा है, इसीलिये मृतक की मृत्यु हुई है। उक्त साँप को अभियुक्तगण

द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस आशय से मृतक की चारपाई पर छोड़ा था कि देखने वाले व्यक्ति को यह लगे कि मृतक की मृत्यु साँप के काटने से हुई है, जो कि उक्त साक्षियों द्वारा कहा भी गया है कि पहले वे लोग ये समझे कि अमित की मृत्यु साँप के काटने से हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि मृत्यु गला दबाने से हुई है, जिससे मृतक की हायड्रोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन टूट गयी थी। ऐसे में अभियुक्तगणों द्वारा साक्ष्य का विलोपन करने की नियत से उक्त साँप को मृतक की चारपाई पर छोड़ा, जिससे की देखने वाले लोग व मामले की विवेचना करने अधिकारी भ्रम में रहे कि हत्या साँप के काटने से ही हुई है। उक्त कार्य अभियुक्तगणों के द्वारा अपराध के साक्ष्य का विलोपन करने के लिये किया गया है जो कि साक्षीगणों के बयानों से साबित होता है। अतः धारा- 238 बी.एन.एस. का अपराध अभियुक्तगणों के विरुद्ध संदेह से परे साबित होता है।

38. प्रस्तुत मामले में अभियोजन के साक्ष्य से यह संदेह से परे साबित होता है कि मृतक को अन्तिम बार अभियुक्तगण के घर देखा जाना साक्षी पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश ने साबित किया है और अभियुक्त की मोबाईल फोन की सी.डी.आर. व कॉल लोकेशन से भी अभियुक्त अमरदीप की उपस्थिति घटनास्थल पर साबित हुई है। अन्तिम बार अभियुक्त को घटनास्थल पर देखे जाने की समायवधि के बीच ही मृतक की हत्या हुई है। अभियुक्त अन्तिम बार घटना वाली रात लगभग 01 बजकर 50 मिनट पर मृतक के घर पर था और उसके तुरन्त पश्चात ही मृतक की हत्या हुई है। इस बीच में कोई बहुत बड़ा समयान्तराल नहीं है। अभियुक्त अमरदीप द्वारा खरीदा गया साँप की बरामदगी व उपस्थिति मृतक की चारपायी पर पायी गयी है और साँप के काटने के निशान भी मृतक के शरीर पर है। अभियुक्त के द्वारा खरीदा गया साँप मृतक की चारपाई पर था और अभियुक्त अमरदीप के द्वारा साँप खरीदने की पुष्टि साक्षी पी.डब्लू.3 कृष्ण के बयानों से हुई है। पी.डब्लू.11 सुखपाल व पी.डब्लू.12 पिन्टू द्वारा अपने बयानों में मृतक की

चारपाई से अभियुक्त अमरदीप द्वारा खरीदे गये घोडापछाड साँप को बरामद किया जाना साबित किया है। अभियुक्त अमरदीप व अभियुक्ता रविता के बीच फोन पर बातचीत व उनके बीच अवैध संबंध को अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सी.डी.आर., कॉल लोकेशन एवं मौखिक साक्ष्य (पी.डब्लू.1 मोनू व पी.डब्लू.2 श्रीमती मुनेश के बयानों) से साबित किया गया है। घटना का हेतुक जो कि अभियुक्तगणों के बीच अवैध संबंध बताया गया है, वह भी अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन ने प्रस्तुत प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शारदा विरधि चन्द के मामले में अवधारित स्वर्णिम सिद्धान्त की पूर्ति की है, क्योंकि अभियुक्त अमरदीप को अन्तिम बार मृतक के घर पर देखा गया है और उसकी उपस्थिति साबित हुई है, हत्या करने का हेतुक उसके पास होना साबित है, अभियुक्त के द्वारा खरीदे गये साँप की बरामदगी मृतक की चारपाई से होना साबित है, अभियुक्त अमरदीप व रविता के बीच अवैध संबंध होना साबित है। मृतक अमित की हत्या करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियाँ अभियुक्तगणों के विरुद्ध जुड़ी हुई है। उक्त सभी तथ्य को अकाट्य रूप से अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक की मृत्यु कारित करके हत्या के साक्ष्य को छिपाने की नियत से गुमराह करते हुए उसकी चारपाई पर साँप छोड़ा गया था, जिससे की साक्ष्य का विलोपन हो सके। मामले में अभियोजन ने अभियुक्तगण अमरदीप व रविता के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित किया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण अमरदीप व रविता को बी.एन.एस. की धारा-103(1)/3(5), 238 के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

1. सत्र परीक्षण सं.- 752/2025, सत्र वाद सं.-1365/2025 , मु.अ.सं.-67/2025, अन्तर्गत धारा-103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस.

थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ के अपराध में अभियुक्तगण अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह तथा अभियुक्ता रविता पत्नी अमित को दोषसिद्ध किया जाता है।

2. अभियुक्त अमरदीप जमानत पर है और आज न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त अमरदीप को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त के जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त अमरदीप का वारंट बनाकर जिला-कारागार भेजा जाये।

3. अभियुक्ता रविता जिला कारागार से हाजिर आयी।

4. पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.10.2026 को पेश हो।

दिनांक- 07.10.2026

(जयवीर सिंह नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-12, मेरठ
JOCODE- UP2704

CNR-UPME010134812025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.-12, मेरठ

पीठासीन अधिकारी: (जयवीर सिंह नागर), (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP2704

सत्र परीक्षण सं.- 752/2025

सत्र वाद सं.- 1365/2025

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन

बनाम

1. अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात, थाना- बहसूमा, जनपद-मेरठ

2. श्रीमती रविता पत्नी अमित, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात, थाना- बहसूमा, जनपद-मेरठ

.....अभियुक्तगण

अपराध संख्या-67/2025

धारा-103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस.

थाना- बहसूमा, जनपद मेरठ

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ...विद्वान ए.डी.जी.सी. सुश्री फरजाना मकसूद

वादी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बलराज सिंह

अभियुक्तगण की ओर से ..विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह भाटी

निर्णय: भाग-II

मनुस्मृति- अध्याय-7 (राजधर्म) 22 वाँ श्लोक

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः।

दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद् भोगाय कल्पते।

(अर्थ - दण्ड के भय से ही यह सम्पूर्ण जगत नियंत्रण में रहता है, यदि दण्ड न हो तो दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को खा जायेंगे।)

आत्रेय संहिता के श्लोक-26

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च सम्पदवृद्धिः।

अपक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणामः॥

(अर्थ –दुष्टों को दंड देना, सज्जन पुरुषों का सम्मान करना, न्यायपूर्वक नीति से राज्य के सम्मान में वृद्धि करना, न्याय मांगने आए लोगों के साथ बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष व्यवहार करना और अपने राष्ट्र की रक्षा करना – ये ही न्याय व्यवस्था के पाँच मुख्य गुण माने गए हैं।")

1. सत्र परीक्षण संख्या-752/2025 के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2026 को अभियुक्तगण **अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह**, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ एवं **श्रीमती रविता पत्नी अमित**, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-67/2025, अंतर्गत धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) एवं धारा 238 में दोष-सिद्धि का निर्णय पारित किया गया है।

2. विद्वान अपर सहायक जिला अधिवक्ता द्वारा दंड की मात्रा पर तर्क प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगणों ने जघन्यतम अपराध किया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगणों ने सोते समय व्यक्ति की हत्या की है। दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा जिस रीति व तरीके से उक्त अपराध को अन्जाम दिया गया है, वह अपराध बहुत ही जघन्य, घृणित व अमानुषिक है। दोषसिद्ध अभियुक्तगणों ने इस अपराध को करने में अमानुषिकता की सारी सीमाएँ लांघ दी है, जिस तरह का घृणित कार्य दोषसिद्ध अभियुक्तगणों ने किया है, उस तरह का घृणित कार्य कोई जानवर या पशु भी नहीं करता है। कोई स्त्री जिस मनुष्य जिसके साथ सात जन्मों के साथ रहने का वादा करता हो और उसी को धोखा देकर मार दे, तो इससे घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। अभियुक्तगणों ने मृतक के विश्वास की भी हत्या की है। दोनों लोग मृतक की पत्नी व अभियुक्त दोस्त होने के बावजूद भी विश्वास में लेकर उस व्यक्ति की

हत्या की है, जो कि उन पर इस संसार में सबसे ज्यादा विश्वास करता था। अभियुक्तगणों ने सोते समय मृतक की चीख भी न निकले, ऐसा कृत्य करते हुए मृतक का मुँह दबाकर उसकी गर्दन दबाकर हत्या की है तथा गर्दन की दोनों हड्डियाँ हायड बोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन तोड़ दी। अभियुक्तगणों ने इस तरह की योजना बनाकर अपराध किया है कि उसी के पड़ोस में थोड़ी दूरी पर सो रहे व्यक्तियों तक उसकी चीख भी न जाये, ऐसी योजना बनाकर मृतक की हत्या की है। मृतक अभियुक्ता रविता का पति था, जो कि उस पर विश्वास रखता था और मृतक की हत्या उसी के घर में सोते समय उसकी पत्नी व उसके प्रेमी अमरदीप द्वारा की गयी है और ऐसा अपराध करते समय किसी प्रकार का कोई रहम मृतक पर नहीं दिखाया गया है। उक्त अपराध समाज के अन्तःकरण को विचलित करता है और ऐसे अपराध से समाज के न्यायिक अन्तःकरण भी कुन्द होता है। दोषसिद्ध व्यक्ति मृत्युदंड पाने लायक है। यह मामला मृत्यु दंड हेतु उचित मामला है, क्योंकि अपराधियों को मृत्यु दंड देकर समाज न केवल पीड़ित व उसके प्रति न्याय करेगा, बल्कि समाज के प्रति भी न्याय करेगा। इस निर्णय का परिणाम व प्रभाव न केवल दोषसिद्ध के लिये बल्कि समाज में उसी तरह के अन्य दुर्दान्त अपराधियों के लिये भयपरक होना चाहिए। मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है। अतः निवेदन किया गया है कि दोषसिद्ध व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जाये।

3. दंड की मात्रा के संबंध में दोषसिद्ध अभियुक्तगणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह भाटी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगणों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। यह दोषसिद्धि का प्रथम अपराध है। यह अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। अभियुक्त अमरदीप की उम्र 22 वर्ष है। नौजवान है तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्ता रविता की उम्र 25 वर्ष है। अभियुक्ता रविता के तीन बच्चे हैं, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है तथा अभियुक्तगणों का फिर से समाज में रहकर अच्छा

जीवन जीने का अधिकार है। अधिक दंड देने से मृतका के बच्चे अनाथ हो जायेंगे, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहेगा। दोषसिद्ध व्यक्तियों के सुधार की पूर्ण संभावना है। ऐसे में अभियुक्तगणों को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दिया जाना न्यायोचित होगा।

दंड के प्रश्न पर दोनों अभियुक्तगणों को वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। दोनों अभियुक्तगणों द्वारा कम से कम दंड की याचना की गयी है तथा कहा है कि इन्हें फिर से सुधारने का एक मौका दिया जाये।

4. दंड के प्रश्न पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अभियुक्तगण धारा-103(1)/3(5), 238 बी.एन.एस. के दोषी पाये गये हैं। धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में यह दण्ड प्रावधानित किया गया है कि, जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

5. हत्या के मामले में दण्ड निर्धारण की विधिक स्थिति:

धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत हत्या के अपराध में अर्थदण्ड सहित दो प्रकार का दण्ड प्रावधानित है-

1. मृत्यु-दण्ड या

2. आजीवन कारावास का दण्ड।

6. इस प्रकार अभियुक्तगण जिस अपराध के दोषी पाये गये हैं, उसके लिये उक्त दो दंडों का प्रावधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 लाईव लॉ (सु०को०) 510 अद्यतन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि हत्या के मामले में दंड की मात्रा पर सुने जाने से पूर्व तीन रिपोर्टें मंगाया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय में दिये गये दिशा-निर्देशों के प्रकाश में जिला कारागार अधीक्षक, मेरठ चिकित्सीय बोर्ड एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी, मेरठ से अपेक्षित आख्या आहूत की गई, जो पत्रावली पर प्रस्तुत है-

(i). जिला कारागार, मेरठ की आख्या के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि-

(1) अभियुक्तगणों का जेल में आचरण व्यवहार-

दोनों अभियुक्तगणों क्रमशः रविता एवं अमरदीप का कारागार में आचरण सामान्य रहा है। दोनों अभियुक्तगण द्वारा कारागार के नियमों का पालन करते हुये अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कारागार प्रशासन को इनके आचरण से कोई परेशानी अथवा अनुशासनहीनता की शिकायत नहीं मिली है।

(2) अभियुक्तगणों द्वारा जेल में किया गया कार्य/कौशल/प्रशिक्षण/शैक्षिक पुनर्वास सम्बन्धी रिपोर्ट-

(A) अभियुक्त अमरदीप पुत्र सुन्दर द्वारा कारागार में निरुद्धि के दौरान कोई कार्य/कौशल-प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

(B) महिला अभियुक्त रविता पत्नी अमित द्वारा कारागार में निरुद्धि के दौरान चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा चलाये गये सात दिवसीय बहुआयामी (फूड प्रोसेसिंग, क्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि) प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुये प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)

(3) अभियुक्तगण का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई घटना या उपचार यदि कोई हो तो- दोनों अभियुक्तों द्वारा कारागार में निरुद्धि के दौरान कोई असामान्य मानसिक प्रवृत्ति/गतिविधि प्रदर्शित नहीं की गयी है। दोनों अभियुक्तों

के अद्यतन शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की समीक्षा हेतु कारागार प्रशासन द्वारा किये गये पत्राचार के अनुक्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ द्वारा चिकित्सको का चार सदस्यी एक बोर्ड गठित किया गया। बोर्ड द्वारा परीक्षणोंपरान्त दोनो अभियुक्तो को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया है।

(4) अभियुक्तगणों का समग्र रूप से सुधार की प्रगति का

संकेत- अभियुक्त रविता पत्नी अमित द्वारा कारागार में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, कढ़ाई कोर्सेस इत्यादि) में प्रतिभाग करते हुये कारागार में अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास किया गया है। वही दूसरी और अन्य अभियुक्त अमरदीप पुत्र सुन्दर द्वारा कारागार में बहुत कम समय व्यतीत किया है। जिस कारण से उसमे सुधार की संभावना के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई सकारात्मक अथवा नकारात्मक टिप्पणी कर पाना सम्भव नहीं है।

(ii). दोष-सिद्धगण की चिकित्सीय बोर्ड की आख्या निम्न प्रकार

है-

दोष-सिद्ध अमरदीप के मानसिक परीक्षण की आख्या निम्नप्रकार है:

पहचान चिन्ह- गर्दन के बाई ओर सामने की तरफ, बाई कॉलरबोन से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर स्थित जन्मचिन्ह।

1. सामान्य दिखावट और व्यवहार- औसत कद-काठी का एक युवक साक्षात्कार के लिए आया और दी गई कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसके हाव-भाव में कोई असामान्यता नहीं थी। उसने आंखों से आंखें मिलाकर

बात की और संपर्क बनाए रखा। वह सहयोगी था और उससे अच्छा तालमेल स्थापित हो गया।

2. बोलने की गति, स्वर, तीव्रता और प्रतिक्रिया समय सामान्य थे।

3. मूड- व्यक्तिपरक: मन ठीक है।

4. भाव (Affect)- वस्तुनिष्ठ: समभाव

अनुकूलता: परिस्थिति के अनुरूप उचित।

5. चिंतन-प्रवाह: सामान्य

स्वरूप: प्रासंगिक और सुसंगत

अंतर्वस्तु: कोई मनोकिवृत्ति नहीं पायी गयी।

विचारों पर नियंत्रण: स्वयं का

6. धारणा- धारणा संबंधी कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

7. निर्णय-क्षमता- सही/ठीक (व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों)

निष्कर्ष- वर्तमान में कोई मानसिक बीमारी नहीं है।

फिलहाल दोषसिद्ध अमरदीप मानसिक रूप से स्वस्थ है।

दोष-सिद्ध रविता के मानसिक परीक्षण की आख्या निम्न

प्रकार है:

पहचान चिन्ह- सिर के दाहिने कनपटी क्षेत्र पर जन्म का चिह्न।

1. सामान्य दिखावट और व्यवहार- औसत कद-काठी की एक युवा महिला साक्षात्कार के लिए आई और दिए गए स्टूल पर आराम से बैठ गई। उसके हाव-भाव में कोई असामान्यता नहीं थी। उसने आंखों से आंखें मिलाकर

बात की और संपर्क बनाए रखा। वह सहयोगी थी और उसके साथ अच्छा तालमेल स्थापित हो गया।

2. बोलने की गति, स्वर, तीव्रता और प्रतिक्रिया समय सामान्य थे।

3. मूड- व्यक्तिपरक: मन ठीक है।

4. भाव (Affect)- वस्तुनिष्ठ: समभाव

अनुकूलता: परिस्थिति के अनुरूप उचित।

5. चिंतन-प्रवाह: सामान्य

स्वरूप: प्रासंगिक और सुसंगत

अंतर्वस्तु: कोई मनोकिवृत्ति नहीं पायी गयी।

विचारों पर नियंत्रण: स्वयं का

6. धारणा- धारणा संबंधी कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

7. निर्णय-क्षमता- सही/ठीक (व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों)

निष्कर्ष- वर्तमान में कोई मानसिक बीमारी नहीं है।

फिलहाल दोषसिद्ध रविता मानसिक रूप से स्वस्थ है।

आंतरिक चिकित्सकीय मूल्यांकन: अमरदीप (22/पु०)

पहचान चिन्ह- गर्दन के बाईं ओर सामने की तरफ, बाईं कॉलरबोन से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर स्थित जन्मचिन्ह।

1. सामान्य दिखावट और व्यवहार- औसत कद-काठी का एक युवक चिकित्सा परीक्षण के लिए आया और सहजता से खड़ा था। वह स्वस्थ, सचेत और समय, स्थान, व्यक्ति के प्रति सजग तथा सहयोगी प्रतीत होता है।

उसके सभी ज़रूरी शारीरिक संकेत (वाइटल्स)

स्थिर हैं।

- तापमान- 98.6f
- रक्तचाप- 130/70 mmhg
- हृदय गति-80/ प्रति मिनट
- श्वसन गति- 16/ प्रति मिनट
- ऑक्सीजन संतृप्तता- 98%
- आर.बी.एस.- 117mg/dl

उच्च रक्तचाप एवं अन्य पुरानी बीमारियों का कोई इतिहास नहीं।

निष्कर्ष- प्रथम-दृष्ट्या आंतरिक चिकित्सा से संबंधित कोई चिकित्सकीय व्याधि नहीं पाई गई।

आंतरिक चिकित्सकीय मूल्यांकन: रविता (25/म०)

पहचान चिन्ह- सिर के दाहिने कनपटी क्षेत्र पर जन्म का चिह्न।

1. **सामान्य दिखावट और व्यवहार-** औसत कद-काठी की एक युवा महिला चिकित्सापरीक्षण के लिए आई और वह सहजता से खड़ी थी। वह स्वस्थ, सचेत और समय, स्थान, व्यक्ति के प्रति सजग तथा सहयोगी प्रतीत होती है।

उसके सभी ज़रूरी शारीरिक पैरामीटर (वाइटल्स) स्थिर हैं।

- तापमान- 98.2f
- रक्तचाप- 118/70 mmhg
- हृदय गति- 82/ प्रति मिनट
- श्वसन गति- 15/ प्रति मिनट
- ऑक्सीजन संतृप्तता- 99%
- आर.बी.एस.- 109mg/dl

उच्च रक्तचाप एवं अन्य पुरानी बीमारियों का कोई इतिहास नहीं।

निष्कर्ष- प्रथम-दृष्टया आंतरिक चिकित्सा से संबंधित कोई चिकित्सकीय व्याधि नहीं पाई गई।

दोष-सिद्ध रविता की स्त्री एवं प्रसूति संबंधी

जांच आख्या भी पत्रावली पर संलग्न है। उक्त आख्या के अनुसार अभियुक्त रविता को स्त्री एवं प्रसूती संबंधी कोई भी समस्या नहीं पायी गयी।

(iii). जिला परीक्षा अधिकारी, मेरठ की आख्या निम्न प्रकार है-

दोष-सिद्ध अभियुक्त अमरदीप की पारिवारिक पृष्ठभूमि:

सामाजिक स्थिति:- वर्तमान में अभियुक्त के परिवार में उसके माता-पिता एवं एक भाई, दो बहन हैं। समस्त बहनों की शादी हो चुकी है। अभियुक्त का परिवार हिन्दू धर्म में विश्वास रखते हैं। आस-पड़ोस के लोगों के द्वारा जानकारी दी गयी कि परिवार व अभियुक्त का सामाजिक आचरण सामान्य एवं शांतिपूर्ण रहा है। परिवार की सामाजिक स्थिति दयनीय प्रतीत हुई।

आर्थिक स्थिति:- जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जेल में निरुद्ध होने से पूर्व में मजदूरी का कार्य करता था। जाँच के दौरान ज्ञात है कि वर्तमान में अभियुक्त का परिवार का जीवन-यापन अभियुक्त के पिता द्वारा मजदूरी का कार्य करके किया जाता है। अभियुक्त का परिवार ग्राम अकबरपुर सादात थाना-बहसूमा जिला-मेरठ में निवासरत हैं। वर्तमान में परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय प्रतीत हुई।

दोष-सिद्ध रविता के ससुराल की पारिवारिक पृष्ठभूमि:

सामाजिक व आर्थिक स्थिति:- अभियुक्त के परिवार में उसकी सास, जेठ-जेठानी, 02 देवर, 01 देवरानी व उसके 01 पुत्र तथा 02 पुत्री संयुक्त रूप से

निवासरत है। अभियुक्त का परिवार हिन्दू धर्म में विश्वास रखते हैं। अभियुक्त के मायके परिवार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आस-पड़ोस के लोगो द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार अभियुक्त के परिवार का सामाजिक आचरण सामान्य एवं शांतिपूर्ण, किन्तु अभियुक्त रविता का आचरण व व्यवहार सामाजिक परिक्षेत्र में ठीक नहीं था। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति निम्न मध्यम प्रतीत हुई।

दोष-सिद्धगण की शैक्षित पृष्ठभूमि एवं रोजगार आदि का विवरण:

दोष-सिद्ध अभियुक्त अमरदीप कक्षा-07 तक पढ़ा है। यह मजदूरी (टाईल्स-पत्थर) का कार्य करता था।

दोष-सिद्ध अभियुक्ता रविता ने 10 वी. तक की पढ़ाई की है। इसके द्वारा कोई भी व्यवसायिक कार्य नहीं किया जाता है।

दोष-सिद्धगण की आपराधिक इतिहास:

वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त दोष-सिद्धगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दोष-सिद्धगण के द्वारा कारित अपराध का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव:

डी.पी.ओ. की आख्या के अनुसार अभियुक्ता रविता का आचरण, व्यवहार सामाजिक परिक्षेत्र में ठीक नहीं होना अंकित किया गया है। अभियुक्त अमरदीप के संबंध में डी.पी.ओ. की आख्या के संबंध में कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गयी है। डी.पी.ओ. द्वारा दी गयी आख्या में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है कि

अभियुक्तगणों के अपराध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है।

जिला परिवीक्षाधिकारी की आख्या के साथ दोष-सिद्धगण के निवास-स्थान ग्राम-प्रधान, ग्राम-पंचायत अकबरपुर सादात की आख्या भी संलग्न है। उक्त में दोष-सिद्ध अमरदीप की निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार से आने, अभियुक्त द्वारा मजदूरी करने, कोई आपराधिक इतिहास न होने तथा कक्षा आठवीं तक पढ़ाई किये जाने का वर्णन किया गया है। दोष-सिद्ध अभियुक्ता रविता की पारिवारिक-आर्थिक स्थिति निम्न होने, उच्च प्राथमिक तक शिक्षित होने तथा कोई आपराधिक इतिहास न होने का वर्णन किया गया है।

7. पक्षकारों के तर्कों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकरण में कौन सा दंड दिया जाना उचित होगा, यह अवधारित करने के लिए दंड की मात्रा की विधिक स्थिति को विचार में लिया जाना आवश्यक है। जहां तक हत्या के मामले में दण्ड के निर्धारण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न निरंतर विमर्श का प्रमुख विषय रहा है। यद्यपि मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 लाईव लॉ (सु०को०) 510, विकास चौधरी बनाम दिल्ली राज्य, 2023 लाईव लॉ (सु०को०) 336, नवल किशोर एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य, 2026 आई.एन.एस.सी. 1048 एवं वारिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2026 आई.एन.एस.सी. 1050 के उपरोक्त निर्णय सबसे अद्यतन निष्कर्ष हैं, लेकिन बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 (2) एस.सी.सी. 684 इस विमर्श की 'केन्द्र बिन्दु' है, जो सन् 1980 से लेकर आज तक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 684** के मामले में "विरल से विरलतम" के सिद्धान्त को स्थापित करते हुए उसकी चार निम्नलिखित कसौटियों को निर्धारित किया-

1. मृत्यु-दण्ड सिर्फ सबसे जघन्य मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
2. मृत्यु-दण्ड देने का निर्णय करने के पहले 'अपराधी' एवं 'अपराध' दोनों की परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है।
3. आजीवन कारावास का दण्ड एक सामान्य नियम है और मृत्यु-दण्ड अपवाद है। अर्थात् मृत्यु-दण्ड केवल उन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास का दण्ड अपराध की परिस्थितियों में अपर्याप्त हो और अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों तथा अन्य सभी आवश्यक तथ्यों के अधीन आजीवन कारावास का दण्ड देने का विकल्प उचित न प्रतीत हो।
4. अपराध को गंभीर बनाने वाली व सजा को कम करने वाली परिस्थितियों की एक सूची तैयार करनी होगी और कोई भी विकल्प चुनने के पहले उन दोनों परिस्थितियों के बीच उचित तुलनात्मक संतुलन बनाना होगा।

9. **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी. 470** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विरल से विरलतम के सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए पांच मापदण्ड स्थापित किए, जो इस प्रकार हैं-

1. हत्या करने का तरीका या अपराध की प्रकृति
2. हत्या करने का हेतु
3. अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति

4. अपराध की गंभीरता

5. हत्या के शिकार हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुकेश बनाम दिल्ली राज्य AIR 2017 S.C. 2161** जो निर्भया केस के नाम से जाना जाता है, में निम्न सम्प्रेक्षण किया गया—

477. Whether the Case falls under rarest of rare cases: as well as Law relating to award of death sentence in India has evolved through massive policy reforms—nationally internationally and through a catena of judicial pronouncements, showcasing distinct phases of our view towards imposition of death penalty. Undoubtedly, continuing prominence of reformatory approach in sentencing and India's international obligations have been majorly instrumental in facilitating a visible shift in court's view towards restricting imposition of death sentence. While closing the shutter of deterrent approach of sentencing in India, the small window of award of death sentence' was left open in the category of 'rarest of rare case' as held in *Bachan Singh v. State of Punjab* (1980) 2 SCC 684: (AIR 1980 SC 898), by a Constitution Bench of this Court. 482. After referring to a catena of judicial pronouncement post *Bachan Singh* (AIR 1980 SC 898) (supra) and *Machhi Singh* (AIR 1983 SC 957) (supra), in the case of *Ramnaresh and Ors. v. State of Chhattisgarh* (2012) 4 SCC 257: (AIR 2012 SC 1357), this Court, tried to lay down a nearly exhaustive list of aggravating and mitigating circumstances. It would be apposite to refer to the same here:

Aggravating circumstances:

- (1) The offences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping, etc. by the accused with a prior record of conviction for capital felony or offences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.
- (2) The offence was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offence.
- (3) The offence was committed with the intention to create a fear psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to the life of more than one person.
- (4) The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.
- (5) Hired killings.
- (6) The offence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.
- (7) The offence was committed by a person while in lawful custody.
- (8) The murder or the offence was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty Under Section 43 Code of Criminal Procedure. When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community. When the victim is innocent, helpless or a person relies upon the trust of relationship and

social norms, like a child, helpless woman, a daughter or a niece staying with a father/uncle and is inflicted with the crime by such a trusted person.

(9) When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.

(10) When there is a cold-blooded murder without provocation.

(11) The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.

Mitigating circumstances:

1) The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example, extreme mental or provocation extreme emotional disturbance or in contradistinction to all these situations in normal course.

(2) The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.

(3) The chances of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

(4) The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.

(5) The circumstances which, in normal course of life, would render such a behaviour possible and could have the effect of giving rise mental imbalance in that given situation like persistent harassment or, in fact, leading to such a peak of

human behaviour that, in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

(6) Where the court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary crime.

(7) Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eye-witness though the prosecution has brought home the guilt of the accused."

484. As dealing with sentencing, courts have thus applied the "Crime Test", "Criminal Test" and the "Rarest of the Rare Test", the tests examine whether the society abhors such crimes and whether such crimes shock the conscience of the society and attract intense and extreme indignation of the community. Courts have further held that where the victims are helpless women, children or old persons and the accused displayed depraved meanness, committing crime in a diabolic manner, the accused should be shown no remotes and death penalty should be awarded.

495. Another significant development in the sentencing policy of India is the 'victim-centric' approach, clearly recognised in *Macchi Singh* (AIR 1983 SC 957) (*supra*) and re-emphasized in a plethora of cases. It has been consistently held that the courts have a duty towards society and that the punishment

should be corresponding to the crime and should act as a soothing balm to the suffering of the victim and their family. The Courts while considering the issue of sentencing are bound to acknowledge the rights of the victim and their family, apart from the rights of the society and the accused. The agony suffered by the family of the victims cannot be ignored in any case. In *Mohfil Khan* (supra), this Court specially observed that it would be the paramount duty of the Court to provide justice to the incidental victim of the crime—the family members of the deceased persons.

उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के सिद्धांत को समेकित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शंकर कृष्णाराव खड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 CRI.L.J.** में सम्प्रेक्षित किया है कि—

24. The list of cases mentioned above, wherein this Court had awarded death sentence and cases where this Court had commuted death sentence, is not exhaustive but only illustrative. This bench in *Sangeeta and Ors.V.State of Haryana* (2013)2 SCC 452 (AIR 2013 SC 447 :2012 AIR SCW 6416) notices that the circumstances of the criminal referred to in *Bachan Singh* (AIR 1980 SC 898) appeared to have taken a bit of back seat in the sentencing process and held despite *Bachan Singh*, the particular crime continues to play a more important role than the crime and criminal's test. In conclusion, we have said, inter alia, as follows:—

1. The application of aggravating and mitigating circumstances need a fresh look. This Court has not endorsed that approach

in Bachan Singh. In any event, there is little or no uniformity in the application of this approach.

2- Aggravating circumstance relate to the crime while mitigating circumstance relate to the criminal. A balance sheet cannot be drawn up for comparing the two. The considerations for both are distinct and unrelated. The use of the mantra of aggravating and mitigating circumstances needs a review.

3- In the sentencing process, both the crime and the criminal are equally important. We have, unfortunately not taken the sentencing process as seriously as it should be with the result that in capital offences, it has become, Judge-centric sentencing rather than principled sentencing.

4- The Constitution Bench of this Court has not encouraged standardization and categorization of crimes and even otherwise it is not possible to standardize and categorize all crimes."

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निष्कर्ष के प्रकाश में न्यायालय को निम्नलिखित तीन कसौटियों पर विचार कर संतुष्ट होने का निर्देश दिया-

1. **अपराध परीक्षण (CRIME TEST)**- इस परीक्षण में अपराध की गंभीरता को गुरुत्तर करने वाले तथ्यों पर विचार करना चाहिए।
2. **अपराधी परीक्षण (CRIMINAL TEST)**- इसमें अपराध की गंभीरता कम करने वाले तथ्यों पर विचार करना चाहिए।

3. **विरल से विरलतम परीक्षण (RAREST OF THE RARE TEST)**– इसमें समाज के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या समाज इस तरह के अपराध में मृत्यु-दण्ड की सजा को उचित समझता है? समाज की सामूहिक चेतना की मंशा क्या है और अपराध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है?

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अद्यतन निर्णय **वारिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2026 आई.एन.एस.सी. 1050** में एक अन्य कसौटी को रेखांकित करते हुए बल दिया कि न्यायालयों को अपराधी की परिस्थितियों और उसके सुधार की संभावना की ओर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि जांच के निर्णायक चरण के रूप में करना चाहिए।

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निष्कर्षों के प्रकाश में इस न्यायालय से निम्नलिखित परीक्षण किया जाना विधितः अपेक्षित है–

- (i). अपराध परीक्षण,
- (ii). अपराधी परीक्षण,
- (iii). दोषसिद्धि के सुधार एवं समाज में पुनर्वास की संभावना का परीक्षण।
- (iv). विरल से विरलतम परीक्षण,

11. **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 684, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी. 470** एवं अनेक मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि अपराध को गंभीर बनाने वाली व सजा को कम करने वाली परिस्थितियों की एक सूची तैयार करनी होगी और कोई भी विकल्प चुनने के पहले उन दोनों परिस्थितियों के बीच उचित तुलनात्मक संतुलन बनाना होगा। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत मामले के तथ्य, साक्ष्य एवं परिस्थितियों तथा

उपरोक्त प्रक्रियात्मक कार्यवाही में प्राप्त की गई आख्या एवं उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में अपराध को गंभीर बनाने वाली व सजा को कम करने वाली सुसंगत परिस्थितियां निम्नलिखित हैं-

(i). गंभीर बनाने वाली परिस्थितियां (अपराध परीक्षण) (CRIME TEST)-

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं प्रस्तुत मामले के तथ्यों के अधीन मुख्यतः निम्नलिखित गंभीर बनाने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं-

1. मृतक अमित कश्यप की हत्या बिना किसी उकसावे के ठण्डे दिमाग एवं पूर्व नियोजित ढंग से की गई, क्योंकि अभियुक्त अमरदीप ने हत्या करने के उद्देश्य से तथा उसे छिपाने के उद्देश्य से साँप खरीदकर उसे मृतक की चारपाई पर इस आशय से छोड़ा कि उसके घरवालों/अन्य लोगों को यह लगे कि मृतक की मृत्यु साँप काटने से हुई है। अभियुक्तगणों का यह कृत्य उनके शातिर शातिराना सोच व पूर्व नियोजित ढंग को साबित करता है, जो यह भी साबित करता है कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने से पूर्व बड़े शांत दिमाक-मन से योजना बनायी थी। अभियुक्तगणों ने उक्ता शातिराना अपराध, अपराध को छिपाने के एक नये तरीके से किया है, जो न केवल भविष्य में अन्य लोगों को अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, बल्कि समाज की अन्तर-आत्मा को भी झकोर देता है। (इस घटना से प्रेरित होकर इस घटना के बाद इसी मेरठ जनपद में दिनांक 16/17.07.2026 को एक नया मामला घटित हुआ है, जो कि दामिनी के नाम से चर्चित है जो थाना-हस्तिनापुर में मु.अ.सं.- 176/26 , धारा-103(1), 61(2) बी.एन.एस. के रूप में दर्ज हुआ है, जो कि दामिनी के नाम से चर्चित है,

जिसमें इस घटना से एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए तथा इस घटना से प्रेरणा लेते हुए तथा अपराध करने का नया तरीका जानने के पश्चात हस्तिनापुर वाली घटना में घोडापछाड साँप के स्थान पर असली जहरीला साँप कॉमन करैत का प्रयोग करते हुए घटना कारित की है, क्योंकि इस घटना में साँप जहरीला नहीं था, इसीलिये इसी घटना से प्रेरित होते हुए कि अपराध करने के पश्चात अभियुक्त पकड़े न जाये, कॉमन करैत जहरीले साँप का प्रयोग किया गया है। हालांकि उक्त मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है, परन्तु उक्त अपराध करने का विचार इस मुकदमे से अभियुक्तगणों के जहन में आया है।)

2. मृतक अमित कश्यप की हत्या अवैध संबंधों के कारण कामवासना की पूर्ति के लिये की गयी है। इस प्रकार यह ऐसा उद्देश्य है, जो पूरी तरह से नीचता और घटियापन को दर्शाता है।

3. मृतक अमित कश्यप की हत्या किए जाने के पश्चात दोष-सिद्धगण अभियुक्तगण बिना किसी अपराध-बोध के उसी स्थान पर बने रहे तथा घरवालों को यह दिखाते रहे कि जैसा कि उन्होंने कोई अपराध ही न किया हो और अपराध न करने का नाटक करते रहे, जो कि उनके अपराध करने के पश्चात कोई पश्चाताप न होने को दर्शित करता हैं, क्योंकि अभियुक्त की पत्नी रविता उसी घर में रही और यह दर्शित करने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है, खाना बनाकर अपने बेटे को मृतक की चारपाई पर खाने देने भेजा, जिससे कि कोई उस पर शक न कर सके कि उसके द्वारा घटना कारित की गयी है।

4. मृतक अमित कश्यप की हत्या की परिस्थितियों एवं प्रकृति ने भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन की नींव को हिला दिया। इस घटना ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को मजाकर बनाकर रख दिया है, जिसके कारण विवाह जैसे पवित्र संस्कार पर प्रश्न चिन्ह भविष्य की पीढ़ी को लग रहा है। नयी पीढ़ी इस विवाह जैसे पवित्र रिश्ते का सोशल मीडिया के माध्यम से मीम आदि बनाकर मजाक बना रहे हैं, जिससे यह दर्शित होता है कि इस प्रकार का अपराध आम अपराध नहीं है, बल्कि कि एक ऐसा अपराध है, जिसने समाज की दिशा ही बदल दी है तथा समाज को गलत दिशा की ओर ले जाने को प्रेरित करता है।

5. मृतक अमित कश्यप का निर्दोष एवं निष्कपट होना तथा अपनी पत्नी/दोष-सिद्ध रविता एवं दोष-सिद्ध अमरदीप द्वारा मृतक के विश्वास/निर्दोषिता/निष्कपटता के साथ छल कर उसकी बेरहमी से हत्या करना।

6. दोष-सिद्ध रविता से जिला-कारागार में कोई परिवारजन मिलने नहीं गया। उसके बच्चे अपने दादा-दादी के साथ घर पर ही रहते हैं, परन्तु कभी भी रविता के तीनों बच्चे उससे मिलने तक नहीं आये हैं, न ही अभियुक्ता रविता ने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की है,

7. दोष-सिद्धगण से मृतक अमित कश्यप की संतान के जीवन को खतरे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्त्री अवैध संबंधों के लिए अपने पति का मार सकती है, वह अवैध संबंधों की खातिर बच्चों को भी खतरे में डाल सकती है।

(ii). राहत प्रदान करने वाली परिस्थितियां (अपराधी परीक्षण)
(Criminal Test)–

चिकित्सीय बोर्ड की आख्या के अनुसार दोष-सिद्धगण किसी मानसिक रोग से ग्रस्त नहीं पाए गए। दोष-सिद्धगण की ओर से किसी भावनात्मक परेशानी में होने या उकसावे का शिकार होने का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह भाटी के तर्कों एवं प्रस्तुत मामले के तथ्यों के अधीन मुख्यतः निम्नलिखित राहत प्रदान करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं-

1. दोष-सिद्ध रविता का महिला होना।
2. दोष-सिद्ध रविता की घटना से पूर्व तीन संतान होना।
3. दोष-सिद्ध अमरदीप एवं रविता का युवा होना।
4. दोष-सिद्धगण द्वारा पुनः अपराध न करने की संभावना।
5. दोष-सिद्धगण में सुधार एवं वापस समाज में पुनर्वास की संभावना।
6. दोष-सिद्धगण का जिला कारागार में रहने के दौरान का आचरण।
7. दोष-सिद्धगण का कोई आपराधिक इतिहास न होना।
8. दोषसिद्धगण की मानसिक एवं चिकित्सीय आख्या में सामान्यता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था रामनरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2012 (4) सु०को०के० 257 में सजा को बढ़ाने एवं राहत प्रदान करने वाली परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की। उक्त सूची के आधार पर प्रश्नगत मामले का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'गंभीर परिस्थितियों' में क्रम संख्या-06 पर अपराध बहुत ही बेरहमी और मनमाने ढंग से किया गया होना, जिसमें पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार और उसे प्रताड़ित करना शामिल था एवं क्रम संख्या-10 पर पीड़ित के निर्दोष या असहाय होने, या ऐसा व्यक्ति, जो रिश्तों और सामाजिक मानदंडों के भरोसे हो और उसी भरोसेमंद

व्यक्ति द्वारा अपराध का शिकार बनाया जाना, क्रम संख्या-11 पर जब हत्या ऐसे मकसद से की जाए जो पूरी तरह से नीचता और घटियापन को दर्शाता हो, क्रम संख्या-12 पर जब बिना किसी उकसावे के ठंडे दिमाग से हत्या की जाए एवं क्रम संख्या-13 पर अपराध इतनी बेरहमी से किया जाए कि वह न केवल न्यायिक अंतरात्मा को बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर दे, प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्य प्रस्तुत हस्तगत मामले में विद्यमान हैं, क्योंकि अभियुक्तगणों द्वारा रात में सोते समय जब आदमी घर से सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उस समय उसी की पत्नी व उसके प्रेमी द्वारा गला दबाकर मुँह बन्द करके हत्या करना और इस प्रकार हत्या करना की मृतक की चीख तक न निकल पाये, उसे मार देना अपने आप में किया गया यह कृत्य बहुत ही बेरहमी और मनमाने ढंग से किया गया होना प्रतीत होता है। पीड़ित/मृतक के साथ जब घटना कारित की गयी थी तो वह बिना किसी अपराध के आराम से सोने के लिये चारपाई पर लेटा था और उसे यकीन भी नहीं था कि उस निर्दोष व्यक्ति को उसी की पत्नी हत्या कर देगी, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास रहता है, उक्त अभियुक्ता द्वारा किया गया कृत्य रिश्ते व सामाजिक मापदंडों के भरोसे को तोड़ता है। जब हत्या केवल कामवासना की पूर्ति के लिये की जाये तो यह पूरी तरह नीचता व घटियापन को दर्शाता है और बिना किसी उकसावे के ठंडे दिमाक से हत्या की गयी है और हत्या को छिपाने के उद्देश्य से परिवार /अन्य लोगों व देखने वालों को यह भ्रम पैदा करने की नियत से कि साँप द्वारा काटने से मृत्यु हुई है, योजना के तहत साँप चारपाई पर छोड़ना अभियुक्तगणों के शातिरपन को दर्शित करता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्य हस्तगत प्रकरण में विद्यमान है। उक्त कृत्य समाज की अन्तरात्मा को झकझोर देने वाला है।

उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सजा कम करने वाली जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया उनमें से क्रम संख्या-01 में वर्णित मानसिक एवं भावनात्मक परेशानी का तथ्य प्रस्तुत मामले में प्रभावी नहीं

है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रम संख्या-02 में आरोपी की आयु को सजा को कम करने का एक मात्र आधार नहीं माना। क्रम संख्या-04 में वर्णित मानसिक रूप से कमजोर तथा समझने की क्षमता प्रभावित होने के तथ्य भी प्रस्तुत मामले में सुसंगत नहीं है। प्रस्तुत मामले में क्रम संख्या-05 में वर्णित परिस्थिति भी लागू नहीं होती, जिसमें आरोपी की परिस्थितियां उसके द्वारा अपराध किए जाने को नैतिक रूप से सही बनाने की सोच देती हैं। प्रस्तुत मामले में ऐसी किसी परिस्थिति का अभाव है। प्रस्तुत मामले में क्रम संख्या-06 की परिस्थितियां भी लागू नहीं होती। क्रम संख्या-07 में वर्णित परिस्थिति इस मामले में प्रभावी नहीं है, क्योंकि साबित सुसंगत तथ्यों के अटूट श्रृंखला की कड़ी संदेह से परे विद्यमान है। आरोपी के सुधार एवं समाज में पुनर्वास की संभावना का तथ्य न्यायालय द्वारा अलग से मूल्यांकित किया जाएगा।

(iii). सुधार एवं वापस समाज में पुनर्वास की संभावना:

दोषसिद्धगण की मानसिक एवं चिकित्सीय स्थिति की सामान्यता एवं कारागार में दोषसिद्धगण के सामान्य व्यवहार के आधार पर उनकी ओर से बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क लिया गया है कि दोषसिद्धगण के सुधार एवं वापस समाज में पुनर्वास की संभावना है। अतः उन्हें न्यूनतम दण्ड दिया जाना न्यायोचित है, जिसका राज्य तथा वादी के अधिवक्ता की ओर से विरोध किया गया है।

जहां तक कारागार में दोषसिद्धगण के व्यवहार का संबंध है, जिला कारागार अधीक्षक की आख्या में यह तथ्य अंकित है कि दोषसिद्ध अमरदीप द्वारा कारागार में औपचारिक रूप से कोई कार्य नहीं किया गया है तथा न ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। उक्त आख्या में दोषसिद्ध रविता के संबंध में यह तथ्य अंकित है कि दोषसिद्ध के द्वारा कारावास में महिला कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता कार्यशाला में 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक सहभागिता की गयी है। परन्तु किस कार्य कौशल में उक्त अभियुक्ता कुशल है, यह साबित नहीं होता है, केवल प्रतिभाग करना साबित

होता है। रिपोर्ट से ऐसा कोई कौशल दर्शित नहीं होता है, जिससे की देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति में उक्त अभियुक्ता के कौशल से लाभ हो सके। अभियुक्तगणों की मानसिक स्थिति सही पायी गयी है। कोई ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है कि जिसके आवेश में आकर अपराध किया गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोषसिद्ध रविता से उसके परिवार की ओर से किसी भी व्यक्ति ने मिलने की इच्छा प्रकट नहीं की, न ही उसके तीन बच्चों अभियुक्ता से जेल में मिलने आये। अभियुक्ता रविता के द्वारा जेल की अवधि के दौरान सुधार के संबंध में कोई टिप्पणी जेल अधीक्षक द्वारा नहीं की गयी है और न ही अभियुक्त अमरदीप के संबंध में कोई सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी की गयी है। अभियुक्तगणों के पुनः सुधार के संबंध में कोई निष्कर्ष जेल अधीक्षक द्वारा नहीं दिया गया है। इस अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों में यह समझना मुश्किल है कि दोषसिद्धगण ऐसे काम नहीं करेंगे और सुधार जाएंगे या समाज में वापस घुल-मिल जाएंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोषसिद्ध रविता द्वारा ससुराल पक्ष से उसके माता-पिता या भाई-बहनों से मिलने में कोई अभिरुचि नहीं दिखलाई गई। सुनवाई के दौरान दोनों दोषसिद्धगण में कोई अपराध-बोध परिलक्षित नहीं पाया गया। जिला प्रोबेशन की आख्या के अनुसार अभियुक्ता रविता का आचरण व व्यवहार सामाजिक परिक्षेत्र में ठीक न होना दर्शित किया गया है, जो दोषसिद्धगण के सुधार या पुनर्वास की संभावना के विद्यमान न होने की पुष्टि करता है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष तक पहुंचती है कि प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में दोषसिद्धगण के सुधार एवं वापस समाज में पुनर्वास की संभावना का अभाव है।

(iv). विरल से विरलतम परीक्षण (RAREST OF THE RARE TEST)—

विद्वान ए.डी.जी.सी. द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि उक्त घटना के पश्चात मेरठ एवं आसपास के स्थानों में ऐसी घटनाओं की संख्या

बढ़ी है तथा मेरठ शहर पतियों के हत्याओं के शहर के रूप में विश्वभर में चर्चित हो गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध समाज में चुनौतियों, परेशानियों, तनाव व दबाव से लड़ने के बजाय एक उदाहरण सामने आया कि इन सब का अन्त किसी व्यक्ति विशेष का अन्त कर देना है। उक्त आख्या से यह स्पष्ट है कि समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह अपने तरह की क्रूरतम अपराध करने के तरीके की एक अनूठी प्रकृति की घटना है।

राम सिंह बनाम सोनिया, (2007) 3 एस.सी.सी. 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पारिवारिक सदस्यों की हत्या योजना बनाकर शैतानी तरीके से की गई थी, जब पीड़ित सो रहे थे और उनकी तरफ से कोई उकसावा भी नहीं था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरोपियों में कोई बुनियादी इंसानियत नहीं थी और उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी कि उनमें कोई सुधार हो सके; इसलिए, यह मामला मौत की सज़ा देने के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, ऐसे ही अन्य मामलों में जहाँ आरोपियों ने अपने ही सगे-संबंधियों की हत्या पहले से योजना बनाकर बेरहमी से की थी—बिना किसी पछतावे के या आत्मरक्षा के बिना— माननीय न्यायालय ने मृत्यु-दण्ड को सही ठहराया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित अपराध में मृतक की हत्या मात्र गला दबाने से होना साबित हुआ है। मृतक की हत्या के उपरान्त शव के साथ किसी प्रकार की क्रूरता या बर्बरता नहीं की गयी है, मृतक के किसी अंग को काटा नहीं गया है, न ही जलाया गया है। ऐसे में जबकि मृतक की मृत्यु केवल दम घुटने से हुई है, उक्त केस विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। अपने तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 सी.आर.एल.जे. पेज 636 व मच्छी सिंह सन् 1983 सी.आर.एल.जे. पेज 1457 प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत मामले के तथ्य/परिस्थितियां अत्यन्त गंभीर हैं और अपराध करने का नया तरीका इस्तेमाल करना इस अपराध को गंभीर बनाता है। दोषसिद्धगण द्वारा सोते हुए व्यक्ति के साथ क्रूरतम अपराध किया गया है। उसे न तो अपने बचाव करने का और न ही उसके साथ क्या हो रहा है, समझने का मौका मिला। उसकी न केवल हत्या की गई, बल्कि हत्या के अपराध को इस प्रकार से अंजाम दिया गया कि मृतक की चीख भी न निकले, ऐसा कृत्य करते हुए मृतक का मुँह दबाकर उसकी गर्दन दबाकर हत्या की है तथा गर्दन की दोनों हड्डियाँ हायड्रोन व थायरॉइड कार्टिलेज बोन अधिक प्रेशर डालकर तोड़ दी है। अभियुक्त के साथ मरने से पहले इस तरह की योजना बनाकर अपराध किया है कि उसी के पड़ोस में थोड़ी दूरी पर सो रहे व्यक्तियों तक उसकी चीख भी न जाये, ऐसी योजना बनाकर मृतक की हत्या की है तथा अपराध को छिपाने के आशय से एक फिल्मी स्टाईल में नया तरीका अपनाते हुए साँप को मृतक के पास छोड़कर उससे डसवाया, जिससे की लोगों को यह पूर्ण विश्वास हो जाये कि मृतक की मृत्यु साँप के डसने से ही हुई है। ऐसी स्थिति में अपराध करने का नया तरीका और अपराध को छिपाने का नया तरीका इस मामले को विरल से विरलत की ओर ले जाता है। ऐसे स्थिति में मृतक की अवस्था, भारतीय वैवाहिक जीवन एवं समाज में उक्त अपराध को विरल से विरलतम की ओर ले जाने की प्रवृत्ति रखती है। दोष-सिद्ध रविता द्वारा मृतक के विश्वास एवं प्रेम को बड़ी बेरहमी से कुचला गया है। पारिवारिक रिश्ते की उक्त विद्वरूपता इस मामले को विरलतम बनाती है। उक्त मामले में अपराध करने का तरीका अमानवीय था और अपराध पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा था। पीड़ित मृतक अमित कश्यप विश्वास में होने के कारण तथा रात में सोते रहने के कारण असहाय था, जब अपराध किया गया था। अपराध में मृतक के साथ विश्वासघात हुआ है। अपराध करने का तरीका अपने आप में असाधारण है। दोनों अपराधियों की प्रमुख व सक्रिय भूमिका अपराध कारित करने में रही है। यह मामला अपनी प्रकृति, उद्देश्य एवं दोषसिद्धगण के आचरण के

आधार पर सबसे घिनौनी हत्याओं में से एक है। उपरोक्त तथ्य अपराध के विरल से विरलतम प्रकृति के होने की पुष्टि करते हैं।

बचाव पक्ष के तर्क के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध कारित करने के तरीके, दोषसिद्धिगण की भूमिका तथा अपराध के पश्चात उनके आचरण का समग्र एवं सम्यक् मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण विश्वास, प्रेम एवं वैवाहिक संबंधों की आड़ में रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का ऐसा उदाहरण है, जिसमें मृतक अमित कश्यप को अपनी जीवन साथी अभियुक्ता रविता से सुरक्षा, सहचर्य एवं जीवनपर्यन्त विश्वास की अपेक्षा थी, उसी विश्वास की निर्मम हत्या करके अपने पति का गला घोटकर जीवन समाप्त कर दिया गया, जब वह निद्रावस्था में होने के कारण न तो आने वाल खतरे को भाँप सकता था और न ही स्वयं का प्रतिरक्षण कर सकता था। अपराध की गंभीरता केवल इस तथ्य में निहित नहीं है कि एक सोते हुए व्यक्ति की हत्या कर दी गई, बल्कि इस तथ्य में भी निहित है कि हत्या को स्वाभाविक अथवा आकस्मिक मृत्यु का रूप देने और वास्तविक अपराध को छिपाने के उद्देश्य से मृतक के पास साँप छोड़कर उसकी मृत्यु को सर्पदंश का परिणाम प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार, एक ओर मृतक की जीवनरक्षा की प्रत्येक संभावना को समाप्त किया गया और दूसरी ओर उसकी मृत्यु के वास्तविक कारण को छिपाकर न्यायिक प्रक्रिया को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। यह परिस्थिति अपराध के पीछे विद्यमान पूर्वचिन्तित योजना, मृतक की असाधारण असुरक्षा तथा अपराध के पश्चात उसके वास्तविक स्वरूप को छिपाने के कथित प्रयास की गंभीरता को रेखांकित करती है।

इस प्रकरण की सबसे अधिक मर्मभेदी विशेषता यह है कि मृतक की हत्या किसी आकस्मिक आवेश, क्षणिक विवाद अथवा तत्काल उत्पन्न परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि अभियोजन के अनुसार पूर्वनियोजित योजना के अंतर्गत की गई। मृतक अपने ही घर और अपने ही वैवाहिक

संबंध में सुरक्षित होने के विश्वास के साथ सोया हुआ था; उसे यह अनुमान तक नहीं था कि जिन परिस्थितियों को वह सामान्य एवं सुरक्षित समझ रहा है, उन्हीं के बीच उसके जीवन का अंत करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार विश्वास का दुरुपयोग, निद्रावस्था में असहाय व्यक्ति को निशाना बनाना तथा हत्या को सर्पदंश का रूप देने का प्रयास—ये सभी परिस्थितियाँ संयुक्त रूप से अपराध की गंभीरता को अत्यधिक बढ़ाती हैं तथा अपराध की क्रूरता को दर्शित करती हैं। क्रूरता मात्र किसी के शरीर के टुकड़ने कर देना ही नहीं होता है, बल्कि ऐसी क्रूरता भी इसके अन्तर्गत आती है, जो कि किसी व्यक्ति के विश्वास का अन्त करती हो और साथ ही साथ समाज का अन्तःकरण का अन्त करती हो। प्रस्तुत मामले का समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि मृतक की हत्या के साथ-साथ विवाह जैसे पवित्र रिश्ते की भी निर्मम हत्या हुई है। प्रस्तुत मामले में उपलब्ध साक्ष्य, दोषसिद्धगण की व्यक्तिगत भूमिका तथा समस्त गंभीर एवं शमनकारी परिस्थितियों के संतुलित परीक्षण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आजीवन कारावास का विकल्प युक्तियुक्त रूप से समाप्त हो जाता है और विधि द्वारा निर्धारित कठोर कसौटी पूर्ण होती है, ऐसे में उपरोक्त अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी में रखे जाने का निष्कर्ष विधिसम्मत पाया गया है। ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा उक्त के संबंध में जो विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है, लागू नहीं होती है।

उपर्युक्त तथ्यों, अपराध की प्रकृति, दोषसिद्धगण के आचरण एवं उनमें अपराध-बोध के अभाव तथा अपराध के व्यापक प्रभाव को देखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपराध 'विरल से विरलतम' श्रेणी का है और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संभावना की कोई गुंजाइश नहीं है।

13. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या अपराध इतना असामान्य है कि आजीवन कारावास का दण्ड अपर्याप्त है ?

राज्य की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि इस घटना के पश्चात पुनः इसी प्रकार की घटना इसी मेरठ जनपद में हुई है। इस घटना से प्रेरित होकर घटना का और विस्तार करते हुए थाना-हस्तिनापुर में मु.अ.सं.-176/26 , धारा-103(1), 61(2) बी.एन.एस. जो कि दिनांक 19/17.07.2026 को घटित हुआ है, जो कि दामिनी के नाम से चर्चित है, जिसमें इस घटना से और आगे बढ़ते हुए तथा इस घटना से प्रेरणा लेते हुए तथा अपराध करने का नया तरीका जानने के पश्चात हस्तिनापुर वाली घटना में घोडापछाड साँप के स्थान पर असली जहरीला साँप कॉमन करैत का प्रयोग करते हुए घटना कारित की है, क्योंकि इस घटना में साँप जहरीला नहीं था, इसीलिये इसी घटना से प्रेरित होते हुए कि अपराध करने के पश्चात अभियुक्त पकड़े न जाये, कॉमन करैत जहरीले साँप का प्रयोग किया गया है। जैसे कि युवाओं के मन में विवाह के प्रति एक अज्ञात भय जन्म लिया। ऐसी ही एक और घटना थाना-लोहियानगर, जनपद-मेरठ की है, जिसमें इलमा व अमन की है, जिसमें अमन व मृतक तालिब की पत्नी इलमा द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालिब की हत्या करा दी है। इसके पश्चात ऐसी अनेकों घटनाएं जैसे- इन्दौर की राजा रघुवंशी व सोनम रघुवंशी की घटना, जिसमें अपने पति को पहाड से धक्का देकर मारा गया है। महाराष्ट्र के पूणे की सीया व केतन की घटना, जिसमें कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहाड से धक्का देकर हत्या कारित की है। ऐसे में यह अपराध अपने विशिष्ट प्रकृति के कारण एक अनूठा उदाहरण है तो दण्ड की मात्रा के संबंध में भी किसी रियायत का दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं होगा।

14. जिला करागार, मेरठ की रिपोर्ट के अनुसार कारावास के दौरान दोष-सिद्ध रविता से मिलने उसके परिवार से कोई भी मिलने नहीं आया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि दोष-सिद्ध रविता द्वारा भी अपने माता-पिता या अपने बच्चों से मिलने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई। इस सम्बंध में पत्रावली पर कोई

तथ्य/प्रार्थना-पत्र नहीं है, जिसके द्वारा दोष-सिद्ध रविता ने अपने माता-पिता या पुत्री/सन्तानों से मिलने की कोई इच्छा जाहिर की हो।

15. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क लिया गया है कि दोष-सिद्ध रविता द्वारा अपने बच्चों से कारावास के दौरान मिलने की कोशिश न किया जाना, दोष-सिद्धगण से मृतक अमित कश्यप की संतान के जीवन को खतरे की संभावना को पुष्ट करता है।

16. प्रस्तुत मामले में यह तथ्य साबित किया जा चुका है के दोष-सिद्धगण द्वारा मृतक अमित कश्यप की हत्या अपने विवाहेत्तर संबंधों की बाधा को हटाने के लिए की गई। मृतक अमित कश्यप एवं दोष-सिद्ध रविता के विवाह का तथ्य साबित है। यह भी साबित है कि मृतक अमित कश्यप अभियुक्त अमरदीप के साथ टाईल्स लगाने का काम करता था और उसके घर भी आता-जाता था। दोष-सिद्धगण ने मिलकर नीचता और घटियापन के उद्देश्य के साथ विश्वास का गला घोटते हुए मृतक अमित कश्यप की हत्या कर दी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक अमित कश्यप निर्दोष एवं निष्कपट था, लेकिन उसकी पत्नी/दोष-सिद्ध रविता एवं दोष-सिद्ध अमरदीप द्वारा मृतक के विश्वास/निर्दोषिता/निष्कपटता के साथ छल कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

17. प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण विवेचना से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि मृतक अमित कश्यप की हत्या बिना किसी उकसावे के ठण्डे दिमाग एवं पूर्व नियोजित ढंग से की गई। मृतक अमित कश्यप की हत्या रात के सन्नाटे में दोष-सिद्ध रविता एवं उसके प्रेमी अमरदीप द्वारा मृतक के घर पर ठण्डे दिमाक से एवं पूर्व-नियोजित ढंग से किया गया।

18. यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि मृतक अमित कश्यप की हत्या किए जाने के पश्चात दोष-सिद्धगण द्वारा बिना किसी अपराध-बोध के घटनास्थल पर बने रहे तथा यह दिखाने का प्रयास करते रहे कि वास्तव में हत्या साँप के काटने से हुई है। दोष-सिद्धगण के आचरण में मृतक की हत्या किए जाने का कोई दुःख या विषाद नहीं पाया गया।

19. प्रस्तुत मामले में मृतक अमित कश्यप की हत्या की परिस्थितियों एवं प्रकृति ने भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन की नींव को हिला दिया। भारतीय समाज में पति-पत्नी का रिश्ता केवल एक दाम्पत्य बंधन नहीं, अपितु विश्वास, त्याग, समर्पण और सात जन्मों के अटूट पवित्र संस्कार पर आधारित माना जाता है, तथा हिन्दू शास्त्रों में धर्मपत्नी को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। पति-पत्नी एक-दूसरे के जीवन के रक्षक माने जाते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा पर किया गया गहरा प्रहार है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता रविता, जो स्वयं मृतक की जीवनसंगिनी थी, उसी ने अपने पवित्र रिश्ते की निर्मम हत्या कर अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने ही पति के गले को घोंट दिया। जिस पत्नी के हाथों पति ने रक्षा की उम्मीद की थी, उसी के हाथों द्वारा पति की सांसें छीन ली गईं। यह कृत्य केवल एक हत्या नहीं, बल्कि भारतीय वैवाहिक संस्था और पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते की निर्मम हत्या है। इस अपराध का भारतीय समाज पर प्रभाव अत्यंत दूरगामी और विध्वंसकारी है। यह समाज को झकझोर देने वाला कृत्य है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में पत्नी को 'अर्धांगिनी' कहा गया है, जिसका अर्थ है पति के शरीर का आधा अंग। पत्नी को 'धर्मपत्नी' इसलिए कहा जाता है कि वह पति के धर्म, कर्म, सुख-दुःख की सहभागी होती है। हमारे वेदों, पुराणों में कहा गया है – "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे, यही है भारतीय नारी का आदर्श। परन्तु इस कलयुगी प्रकरण में अभियुक्ता रविता ने सावित्री के आदर्शों को तार-तार कर दिया। जिस पति को परमेश्वर मानकर पत्नी द्वारा उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे जाते हैं, करवाचौथ की पूजा की जाती है, उसी पति का गला घोंटकर पत्नी ने अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया। जिस पति ने उस पर विश्वास करके उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाया, अपने तीन बच्चों की माँ बनाया, अपने जीवन की बागडोर सौंपी, उसी पति की गर्दन को उसी की

पत्नी ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर घोंट दिया। यह दृश्य अत्यंत हृदयविदारक है कि मृतक अपनी अंतिम सांस तक यह सोच भी नहीं पाया होगा कि जो हाथ कभी उसके माथे पर प्रेम से फेरा करते थे, वही हाथ आज उसकी सांसों को छीन रहे हैं। भारतीय समाज में पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है। पति दिनभर मेहनत करके इसलिए निश्चित होकर घर में सोता है कि घर में उसकी पत्नी है जो उसकी रक्षा करेगी। यदि घर की रक्षक ही भक्षक बन जाये और प्रेमी के मोह में अंधी होकर अपने ही पति की हत्या कर दे, तो पूरा समाज असुरक्षित हो जायेगा। ऐसे अपराधों से पति-पत्नी के जन्म-जन्मांतर के पवित्र बंधन से लोगों का विश्वास उठता है। ऐसे कृत्य से समाज में अनैतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है और लोग सोचने लगते हैं कि अवैध संबंधों के रास्ते का कांटा बनने वाले पति को हटाया जा सकता है। तीन मासूम बच्चों के सिर से उनके पिता का साया तो उठा ही, साथ ही उनकी माँ भी जेल की सलाखों के पीछे चली गई। उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया, जिसकी एकमात्र दोषी स्वयं अभियुक्ता रविता है। यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है। यदि इस प्रकार के अपराध में जहां पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे, वहां न्यायालय द्वारा उदारता का लाभ दिया गया तो समाज में एक गलत संदेश जायेगा और पवित्र वैवाहिक मूल्यों पर से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। आज के समाज में जहां पहले से ही अनैतिक संबंधों के कारण पारिवारिक हत्याओं में वृद्धि हो रही है, वहां ऐसे अपराध को रोकने के लिए कठोर से कठोर दण्ड का दिया जाना नितांत आवश्यक है। अभियुक्त अमरदीप मृतक के घर में आता-जाता था और उसके साथ टाईल्स लगाने का काम करता था, मृतक ने ही उसे भाई जैसा विश्वास दिया था, परन्तु उसने उसी विश्वास का गला घोंटा है। अतः अपराध की जघन्यता, उसकी योजना, क्रूरता और भारतीय समाज पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए अभियुक्तगण उदारता का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इस तरह के अपराधों से रिश्तों पर भरोसा नहीं रहता है,

पारिवारिक मूल्य टूटते हैं। इस घटना के बाद मेरठ एवं आसपास के स्थानों में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ी है। साथ ही मीडिया के द्वारा इस घटना का सौन्दर्यीकरण करने के कारण जिन लोगों को इस घटना के विषय में जानकारी नहीं थी, उन्हें भी ऐसी अपरिहार्य घटना का पता चला है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध से समाज में चुनौतियों, परेशानियों, तनाव व दबाव से लड़ने के बजाय एक उदाहरण सामने आया कि इन सब का अन्त किसी व्यक्ति विशेष का अन्त कर देना है। इससे लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति या सोच उत्पन्न हो रही है। विशेषतः बाल-मन व युवा जो अभी पूरी तरह मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं, उस पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।'

20. ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में मृतक अमित कश्यप की हत्या करने के तरीके या अपराध की प्रकृति, हत्या करने का नीचतापूर्ण हेतु, दोष-सिद्धगण में घटना के पश्चात अपराध-बोध का अभाव, अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति एवं समाज तथा वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले व्यापक नकारात्मक प्रभाव, अपराध की गंभीरता एवं मृतक अमित कश्यप के निर्दोष तथा निष्कपट व्यक्तित्व ऐसे तथ्य हैं, जो इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि प्रस्तुत मामले में दोष-सिद्धगण के लिए आजीवन कारावास का दण्ड पर्याप्त नहीं है।

21. इस न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रश्न यह है कि, क्या शमनकारी परिस्थितियों को पूरा महत्व देने के पश्चात भी मृत्यु-दण्ड के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

22. शमनकारी परिस्थितियों के संबंध में केवल इस आधार पर कि अभियुक्ता महिला है, इसलिये कम दंड दिया जाये या अपराध शमन कर दिया जाये, ऐसा विधि की मंशा नहीं रही है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी **शबनम बनाम उ०प्र० राज्य, (2015) 9 एस.सी.आर. 943** के मामले में आरोपी की आयु, उसका

महिला होना और उसके संतान या गर्भवती होने के तर्क को पूरी तरीके से नकार दिया है। अपराध करते समय आरोपी कम उम्र का पहलू उनके बेहरम काम की गंभीरता के आगे कोई मायने नहीं रखता है। इस प्रकार उक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से दर्शित है कि मामले में महिला होने मात्र को शमन का आधार नहीं बतलाया है। जहां तक दोष-सिद्धगण के युवा होने का प्रश्न है, पत्रावली पर दोष-सिद्ध रविता की आयु लगभग 25 वर्ष एवं दोष-सिद्ध अमरदीप की आयु लगभग 22 वर्ष है। दोनों दोष-सिद्धगण न तो बालक हैं और न ही वृद्ध हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में यह स्पष्ट किया है कि युवा होना सजा को कम किए जाने का एकमात्र आधार नहीं है।

23. प्रस्तुत मामले में दोष-सिद्ध रविता की घटना से पूर्व तीन संताने हैं। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि दोष-सिद्ध रविता द्वारा न तो उससे कारावास के दौरान मिलने की इच्छा जाहिर की गई और न ही उसके माता-पिता ने उससे मिलवाया। ऐसी स्थिति में उक्त संतान सजा को कम किए जाने का कोई आधार नहीं है, बल्कि यह तथ्य सजा के बढ़ाने वाले परिस्थितियों को बल प्रदान करता है। दोषसिद्धगण का जीवित होना उक्त संतान के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक है।

24. जहां तक दोषसिद्धगण का आपराधिक इतिहास ने होने का प्रश्न है, प्रस्तुत मामला विवाहेत्तर संबंधों एवं घृणित लिप्सा का परिणाम, जहां दोषसिद्धगण द्वारा लंबे समय से मृतक अमित कश्यप के घर पर उसके साथ दोस्ती कर अवसर का लाभ उठाया गया। ऐसी स्थिति में लंबे समय से दोषसिद्धगण द्वारा उक्त अनैतिक संबंधों में रत होना आपराधिक इतिहास न होने के तर्क को समाप्त कर देता है।

25. **निष्कर्षतः** इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धगण ने जो अपराध किया है, वह बहुत ही क्रूर एवं वीभत्स है। मृतक को उसके अपने ही घर में जहां वह वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहा था, उसे उसी की पत्नी द्वारा अपने विवाहेत्तर संबंध के साथी के साथ मिलकर घृणित उद्देश्य से ठण्डे दिमाग के साथ योजनाबद्ध तरीके एवं पूरे इतमिनान के साथ बेहरमी से

गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया गया। उक्त अपराध को किए जाने का तरीके बहुत ही क्रूर एवं बेरहम था। मृतक की हत्या करने के बाद हत्या को छिपाने का तरीका बेहद चौकाने वाला है, जो समाज में अपराध करने के नये तरीके को जन्म देता दिखायी देता है। दोषसिद्धगण को अपने अपराध का कोई पछतावा या अपराध-बोध नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अपराध के पश्चात किया गया आचरण उनकी धिनौनी प्रवृत्ति और हवस भरी इच्छा को दर्शाती है। समाज के नज़रिए से यह सोचना भी मुश्किल है कि एक विवाहिता स्त्री अपने विवाहेत्तर संबंधों के साथी के साथ मिलकर अपने अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने पति की इतनी बेरहमी और शातिराना तरीके से हत्या करेगी। यह न सिर्फ किसी व्यक्ति के भरोसे को तोड़ने जैसा है, बल्कि सामाजिक भरोसे को पूरी तरह खत्म करने जैसा भी है। यह बहुत ही धिनौना और भयानक अपराध है। यह समाज में गहरी नफ़रत और गुस्से को जन्म देता है। यह सामाजिक संतुलन के लिए बहुत बुरा है। इस तरह का अपराध "मच्छी सिंह" में वर्णित "बेहद बेरहम, वीभत्स, शैतानी, धिनौने या कायरतापूर्ण तरीके से किए गए अपराध" की श्रेणी में आता है, जिससे समाज में गहरा आक्रोश पैदा हुआ है। इस न्यायालय की नज़र में, इस मामले में अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाली परिस्थितियां, सज़ा कम करने वाली परिस्थितियों से कहीं ज़्यादा भारी हैं और यह 'सबसे दुर्लभ मामलों' की कसौटी पर खरा उतरता है और यह न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा मानती हैं। न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचती हैं कि दोषसिद्धगण के सुधार एवं वापस समाज में पुनर्वास की संभावना का अभाव है। मेरी राय में, नरमी बरतने लायक कोई हालात नहीं हैं।

महाभारत शांति पर्व 15/3 –

दण्डनीतिर्यदा सम्यक् राजा दण्डं प्रयच्छति।

अचमेतदा सर्वे धर्मा वर्धन्ते तदा धर्मो न हीयते ॥

अर्थ — जब राजा दण्डनीति के अनुसार सम्यक रूप से दण्ड देता है, तभी सभी धर्मों की वृद्धि होती है और धर्म की हानि नहीं होती।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था-पुरुषोत्तम दशरथ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 6 SCC 652 में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि

“The object of sentencing policy should be to see that crime does not go unpunished and victim of crime as also the society has satisfaction that justice has been done to it. In case of offences against women & children, stricter yardstick ought to be adopted by the sentencing court. There are shockingly large number of cases where sentence awarded is not in proportion to gravity and magnitude of offence, thereby encouraging criminal and ultimately making justice suffer by weakening systems's credibility.”

28. मुकेश बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ए.आई.आर. 2017 सु०को० 2161 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि—

“116. दण्ड का निर्धारण न्यायालय के विवेक का मामला है और इसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए, चाहे वे परिस्थितियां दण्ड को बढ़ाने वाली हों या कम करने वाली। न्यायालयों को अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ उन्हें नई चुनौतियों का जवाब देना होता है और उन चुनौतियों के हिसाब से दण्ड का निर्धारण करना होता है। समाज की सुरक्षा और अपराधी को अपराध करने से रोकना कानून का मुख्य उद्देश्य है।

न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दण्ड देने की प्रक्रिया को इस तरह से अपनाएँ कि दिया गया दण्ड समाज की सामूहिक चेतना को दर्शाए। गंभीर अपराधों में दण्ड का निर्धारण करते समय, न्यायाधीशों को समाज पर इसके प्रभाव को आंकना चाहिए और समाज की सामूहिक चेतना या न्याय की माँग को ध्यान में रखते हुए उचित दण्ड देना चाहिए। उचित दण्ड का निर्धारण करते समय, न्यायालयों को न केवल अपराधी के अधिकारों का, बल्कि पीड़ित और पूरे समाज के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दो और महत्वपूर्ण निर्णय स्टेट आफ पंजाब बनाम सौरभ बक्सी (2015) 5 SCC 182 एवं खाड़ा शशिकला बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश (2017) 4 SCC 546 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—

Principle of sentencing recognizes corrective measures but there are occasions when deterrence is an imperative necessity depending upon facts of a particular cases. Undue sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law and the society cannot long endure under such serious threats. It is, therefore, the duty of every court to award proper sentence by having regard to the nature of the offence and the manner in which it was

committed. Imposition of sentence without considering its effect on the social order in many case may in reality be a futile exercise.

27. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समस्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर पूरी गंभीरता से विचार किए जाने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले में दोषसिद्धिगण अमरदीप एवं रविता को आजीवन कारावास का दण्ड अपर्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धिगण को मृत्यु-दण्ड देने के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड का विकल्प न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार दोषसिद्धिगण अमरदीप एवं रविता को अंतर्गत धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप में मृत्यु-दण्ड एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

28. इसी प्रकार दोषसिद्धिगण अमरदीप एवं रविता को अंतर्गत धारा 238 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप में प्रत्येक को अधिकतम दण्ड 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

-दण्डादेश-

दोषसिद्ध अमरदीप पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ तथा श्रीमती रविता पत्नी अमित, निवासी- ग्राम अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ उपरोक्त को अपराध अंतर्गत धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 238 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप में निम्न दण्ड से दण्डित किया किया जाता है -

(i). दोष-सिद्धिगण उपरोक्त को अपराध अंतर्गत धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टिकरण के अद्यधीन मृत्यु-दण्ड एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये (प्रत्येक दोषसिद्ध के लिए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(ii). दोष-सिद्धगण उपरोक्त को अपराध अंतर्गत धारा 238 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपये (प्रत्येक दोषसिद्धगण के लिए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(iii). दोषसिद्धगण को मृत्यु-दण्ड की सजा के संबंध में निष्पादन वारण्ट प्राप्त होने पर मृत्यु-दण्ड की पालना में दोषसिद्धगण की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, जब तक कि दोषसिद्धगण की मृत्यु न हो जाए।

(iv). दोषसिद्धगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 404(1) सपठित नियम 43 सामान्य नियमावली (दाण्डिक) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार सूचित किया गया कि यदि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आज निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

(v). निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि अविलम्ब दोषसिद्धगण को धारा 404(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परन्तुक के अनुपालन में नियमानुसार तुरंत निःशुल्क प्रदान की जाए।

(vi). मामले की समस्त कार्यवाहियां, सम्पूर्ण पत्रावली सभी संबंधित अभिलेखों के साथ धारा 407(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सपठित नियम 64 व 65 सामान्य नियमावली (दाण्डिक) सपठित परिपत्र संख्या 47/7-बी.-43 एडमिन-जी दिनांकित 08 मई 1978 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार मृत्यु दण्ड के पुष्टिकरण हेतु अविलम्ब माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की जाए।

(vii). दोषसिद्धगण को धारा 407(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची-2 के प्रारूप

संख्या-41 के अनुसार वारण्ट पर कारागार अभिरक्षा में जिला कारागार, मेरठ को सुपुर्द किया जाए।

(viii). जमाशुदा कुल अर्थदण्ड राशि बाद मियाद अपील बतौर प्रतिकर नियमानुसार दोषसिद्ध रविता की तीनों संतानों की देखभाल करने वाले मृतक के माता-पिता को अदा कर दिये जाये, जिसे कि बच्चों की परवरिश में खर्च किया जाये।

(ix). राज्य सभी लोगों के हित का ध्यान रखता है, जिसके कारण राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जो जनता के हितों की रक्षा करता है, जिसकी प्रतिनिधि जिले में जिलाधिकारी करता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक अमित कश्यप के बच्चे की समस्त जिम्मेदारी का भार भी राज्य पर है, इसलिये जिले के जिलाधिकारी महोदय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह मृतक अमित कश्यप के तीनों बच्चों का पढ़ाई-लिखाई व स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, उन्हें अच्छे स्कूलों में प्रवेश दिलाये तथा राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ प्रदान कराये एवं कृत्य कार्यवाही से भी न्यायालय को अवगत कराये।

(x). मामले से संबंधित भौतिक प्रदर्श सुरक्षित रखे जाएं। उक्त को अपील अवधि की समाप्ति के छः माह पश्चात या माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में निस्तारित कर दिया जाए।

(xi). दण्डादेश भाग-II, निर्णय दिनांकित 07.10.2026 के साथ सहबद्ध किया जाए। दण्डादेश भाग-II उक्त निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

दिनांक- 16.10.2026

जयवीर सिंह नागर
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-12, मेरठ
J.O.CODE-UP2704

दोषसिद्धगण जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उन्हें उनके अनुरोध पर जरिए वीडियो-कान्फ्रेन्सिंग न्यायालय में उपस्थित किया गया और दण्डादेश आज दिनांक 16.10.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया, समझाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक- 16.10.2026

जयवीर सिंह नागर
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-12, मेरठ
J.O.CODE-UP2704